

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू और कश्मीर सरकार
वर्ष 2019 की प्रतिवेदन सं. 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

जम्मू और कश्मीर सरकार

वर्ष 2019 की प्रतिवेदन सं.1

विषय सूची			
क्र. सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सार		vii
अध्याय-I राज्य सरकार के वित्त			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	वित्त लेखों 2017-18 के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2	8
5.	राजस्व प्राप्तियां	1.3	10
6.	पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	24
7.	लोक लेखों की प्राप्तियाँ	1.5	26
8.	संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	27
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	33
10.	सरकार के पूंजीगत व्यय और निवेश का वित्तीय मूल्यांकन	1.8	37
11.	परिसंपत्तियां और देयताएं	1.9	42
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	49
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	55
14.	निष्कर्ष	1.12	60
अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण			
15.	प्रस्तावना	2.1	63
16.	विनियोग लेखों का सार	2.2	64
17.	वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	65
18.	विभागीय आंकड़ों का समेकन न होना	2.4	75
19.	बजटीय विश्लेषण की समीक्षा के परिणाम	2.5	75
20.	पेंशन का अधिक भुगतान	2.6	80

21.	भुगतान एवं लेखा अधिकारियों/रक्षा/रेलवे द्वारा पेंशन आदि की प्रतिपूर्ति न होना	2.7	80
22.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.8	80
23.	संस्वीकृतियों की लेखापरीक्षा	2.9	83
24.	निष्कर्ष	2.10	84
अध्याय-III वित्तीय रिपोर्टिंग			
25.	लेखाकंन मानको का अनुपालन	3.1	87
26.	संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन	3.2	88
27.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.3	90
28.	वार्षिक लेखों की प्रस्तुति न होना/विलम्ब से प्रस्तुति होना	3.4	92
29.	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	3.5	94
30.	सरकारी लेखों में अपारदर्शिता	3.6	95
31.	ठेकेदारों को अदत्त देयता	3.7	95
32.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.8	96
33.	निष्कर्ष	3.9	96
परिशिष्ट			
34.	जम्मू और कश्मीर की प्रोफाइल	परिशिष्ट 1.1	99
35.	भाग क: संरचना और सरकारी लेखों के प्रपत्र	परिशिष्ट 1.2	101
	भाग ख: वित्त लेखों का प्रारूप		101
36.	वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति	परिशिष्ट 1.3	103
37.	राज्य सरकार वित्त पर समय श्रृंखला डेटा	परिशिष्ट 1.4	105
38.	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार	परिशिष्ट 1.5	108
	31 मार्च 2018 की स्थिति तक जम्मू और कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति		112
39.	जम्मू और कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006	परिशिष्ट 1.6	114

40.	एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन	परिशिष्ट 1.7	117
41.	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के बजट से बाहर कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां दर्शाने वाला विवरण।	परिशिष्ट 1.8	122
42.	14वें वित्त आयोग के सौंपे जाने के अंतर्गत अनुदान अनुमानों/निर्गम की स्थिति	परिशिष्ट 1.9	136
43.	नियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2016-17 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण	परिशिष्ट 2.1	137
44.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ अतिरिक्त व्यय किया गया है	परिशिष्ट 2.2	139
45.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान में से ₹एक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक बचत थी।	परिशिष्ट 2.3	140
46.	अनावश्यक पूरक अनुदान/विनियोजन के मामले	परिशिष्ट 2.4	142
47.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां ₹एक करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।	परिशिष्ट 2.5	143
48.	₹एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की वापसी न करने पर बचत का विवरण	परिशिष्ट 2.6	144
49.	₹एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण	परिशिष्ट 2.7	147
50.	अनुदान संख्या 06 एवं 08 के अंतर्गत व्यय किए गए अधिक व्यय को दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.8	150
51.	अनुदान संख्या 06 एवं 08 में वापस न की गई काफी बड़ी बचत के मामले दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.9	152 और 153
52.	अनुदान संख्या 06 एवं 08 में बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.10	154
53.	अप्रयुक्त अनुदान को दर्शाता विवरण अनुदान संख्या 06 एवं 08	परिशिष्ट 2.11	156

54.	मार्च 2018 को समाप्त प्रमुख शीर्ष-वार बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिल	परिशिष्ट 3.1	158
55.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित वार्षिक लेखों का विवरण दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 3.2	162
56.	विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों और सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 3.3	165
57.	शब्दावली	परिशिष्ट 4	168

प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन जम्मू तथा कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 82 (1) के अंतर्गत आनुक्रमिक जम्मू तथा कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल को प्रेषित की जानी है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जम्मू तथा कश्मीर सरकार के वित्तीय लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से क्रमशः उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा आलोचनाएँ समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन का अध्याय III में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबन्धित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रदान करता है।

इस प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा विभिन्न विभागों में समव्यवहारों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, बोर्डों, सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा पर तथा राजस्व क्षेत्र पर समाविष्ट आपत्तियाँ पृथक रूप में समाविष्ट की गई हैं।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जम्मू और कश्मीर राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को समय पर वित्तीय डेटा के इनपुट आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित किए गए बजट अनुमानों और लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित की गई है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों के प्रमुख रुझानों तथा संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करती है।

प्रतिवेदन

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार और जनगणना द्वारा किए आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अतिरिक्त डेटा के आधार पर, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

अध्याय-I वित्त लेखा पर आधारित है तथा दिनांक 31 मार्च 2018 को सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह, ऑफ बजट के माध्यम से राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखा के अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय संग्रहों की प्रवृत्तियों तथा रूपरेखा, प्रतिबद्ध व्यय, तथा उधार पद्धति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय-II विनियोजन लेखा पर आधारित है तथा विनियोजनों के अनुदान-वार विवरण तथा उस पद्धति का वर्णन करता है जिनके माध्यम से सेवा देने वाले विभागों को आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। कोषागार के निरीक्षण से सृजित टिप्पणियां भी इस अध्याय में की गई हैं।

अध्याय-III विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों और लेखों के अप्रस्तुतिकरण से संबंधित सरकार की एक अनुपालना सूची है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में रुझान: राज्य सरकार, राजस्व प्राप्तियों, राज्य के अपने कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा कुल व्यय के संदर्भ में बजट अनुमान प्राप्त नहीं कर सकी।

राज्य के पास वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,116 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹7,595 करोड़ हो गया।

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा (एफडी) ₹6,177 करोड़ से घटकर ₹2,778 करोड़ हो गया। राज्य के पास वर्ष 2016-17 के दौरान ₹1,610 करोड़ का प्राथमिक घाटा और वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष था।

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 17.31 से घटकर 15.56 प्रतिशत हो गई, जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक थी।

राज्य के अपने कर राजस्व में सतत वृद्धि देखी गई, विशेषकर जीएसटी और वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर कर में वृद्धि थी, जो वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 में ₹4,579 करोड़ से बढ़कर ₹7,104 करोड़ हो गई।

संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 66.30 प्रतिशत बनता है जो वर्ष 2017-18 के दौरान 71.35 प्रतिशत तक बढ़ गया।

राज्य का कुल व्यय ₹48,174 करोड़ से ₹51,294 करोड़ तक बढ़ गया। ऋणों एवं अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹8,362 करोड़ से ₹10,378 करोड़ तक और ₹39,812 करोड़ से ₹40,916 करोड़ तक बढ़ गया।

नकद शेष अनिवेशित आरक्षित निधि से ₹2,164 करोड़ तक कम था, जिसका तात्पर्य है कि आरक्षित निधियों का निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त भी प्रयोग किया गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 79.77 प्रतिशत था, जो वर्ष 2016-17 की तुलना में कम था जो 82.64 प्रतिशत पर था। राजस्व व्यय (₹40,916 करोड़) राज्य द्वारा निर्धारित किए गए अनुमान के अंदर था, और 14वें वित्त आयोग के अनुसार (₹36,092 करोड़) से अधिक था। इसका मुख्य कारण वेतनों एवं पेंशन के भुगतान में वृद्धि था।

कुल व्यय में से, विकासात्मक पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 में 12.18 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 18.62 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि इन्हीं वर्षों में कुल व्यय में से विकासात्मक राजस्व व्यय का हिस्सा 49.41 प्रतिशत से 46.84 प्रतिशत तक घट गया।

वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता के कारण किया गया प्रतिबद्ध व्यय, पिछले वर्ष 63 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 67 प्रतिशत तक था।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹96.08 करोड़ की राशि का ऐसी कंपनियों में निवेश किया गया, जिनकी नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार संचित हानियां हैं।

राजकोषीय घाटा 1.97 प्रतिशत था, जो एफआरबीएम अधिनियम के तहत, जीएसडीपी हेतु निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर था।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण: वर्ष 2017-18 के दौरान, नौ मामलों में ₹19,852.10 करोड़ के अनुमोदित प्रावधानों के प्रति ₹26,249.16 करोड़ का व्यय हुआ, जिससे प्रावधान में ₹6,379.06 करोड़ तक वृद्धि हुई। इसे राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना आवश्यक है।

बजट कार्यों में लगातार त्रुटियां, बचतें और अधिक व्यय।

दिनांक 31 मार्च 2018 तक ₹1,14,061.35 करोड़ के अधिक व्यय को राज्य विधानमंडल से नियमित करने की आवश्यकता थी।

सहायता अनुदान, वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹2,395.97 करोड़ के सहायक अनुदान की राशि में, सहायिकी के ₹152.00 करोड़ पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की खरीद/बिक्री की परिचालन लागत के तहत ₹0.43 करोड़ का वजीफा तथा छात्रवृत्ति, ₹2.94 करोड़ के वेतन तथा ₹301.99 करोड़ की राशि को राजस्व शीर्षों में उनके लेखांकन की आवश्यकता के प्रति व्यय के पूंजीगत मुख्य शीर्षों के तहत वितरित किया गया था।

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग: विभिन्न अनुदान ग्राही संस्थानों से, ऋणों तथा अनुदानों के प्रति उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करने में देरी हुई थी। कुछ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने में असामान्य विलंब देखा गया।

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मुख्य राजकोषीय समुच्चयों तथा इसकी आधारित संरचना की रूपरेखा के पिछले रूझानों के प्रति, बेंचमार्किंग द्वारा वित्त को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। **परिशिष्ट 1.1** में जम्मू-कश्मीर सरकार की रूपरेखा तथा मुक्त संरचना से संबंधित विकास संकेतक दिए गए हैं तथा **परिशिष्ट 1.2** में राज्य सरकार के वित्त लेखों की संरचना तथा रूपरेखा दी गई है जिस पर यह रिपोर्ट आधारित है, **परिशिष्ट 1.3** में राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति की रूपरेखा संक्षिप्त में दी गई है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) राज्य पाकिस्तान तथा चीन से अपनी सीमाओं से जुड़े होने के साथ-साथ भौगोलिक रूप से 2.22 लाख वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें चीन तथा पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ 1.21 लाख वर्ग किमी. का क्षेत्र शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर देश के भौगोलिक क्षेत्र का 6.76 प्रतिशत क्षेत्र होने के साथ भारत का छठा बड़ा राज्य है। राज्य के तीन क्षेत्र अर्थात् कश्मीर, जम्मू तथा लद्दाख, 22 जिलों में व्यवस्थित हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 1.25 करोड़ थी। वर्ष 2001-11 के दौरान जनसंख्या में दशकीय विकास पर, वर्ष 1991-2001 की तुलना में 29.43 प्रतिशत से घटकर 23.71 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2001 के मुकाबले वर्ष 2011 में, राज्य की प्रतिवर्ग किमी. आबादी 100 प्रतिवर्ग किमी. से बढ़कर 124 प्रतिवर्ग किमी, हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में भी 2001 में 892 से 889 तक गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष 2001 से 2011 के दशक के दौरान राज्य की साक्षरता दर, राष्ट्रीय स्तर के 64.84 प्रतिशत से 74.04 प्रतिशत के प्रति 55.52 प्रतिशत से 67.16 प्रतिशत तक बढ़ गई।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

दी गई समय सीमा के भीतर आधारिक तौर पर स्वीकृत राज्य के उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं की एक बाजार लागत जीएसडीपी होती है। जीएसडीपी की विकास दर, राज्य की आबादी के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। चालू कीमतों तथा स्थिर कीमतों पर, भारत की जीडीपी तथा जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी की वार्षिक विकास दर की प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.1: जीडीपी के साथ-साथ जीएसडीपी का तुलनात्मक विवरण


वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
चालू कीमते					
भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
जीडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य की जीएसडीपी (₹करोड़ में)	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887*
जीएसडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
पंजाब	11.56	6.91	9.85	9.81	10.03
हिमाचल प्रदेश	14.42	9.51	9.23	9.6	9.4
लगातार मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	98,01,370	1,05,27,674	1,13,86,145	1,21,96,006	1,30,10,843
जीडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य की जीएसडीपी (₹करोड़ में)	87,570	87,921	91,850	98,826	1,09,137
जीएसडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	13.85	0.4	4.46	7.59	10.43

स्रोत: आर्थिक निदेशालय तथा सांख्यिकी विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की वेबसाइट
भारत सरकार @ एफआरबीएम वित्त विभाग, जे एंड के

1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सार

चार्ट 1.1: सरकार के लेखों की संरचना

सरकारी वित्त में निम्नलिखित सम्मिलित है:



स्रोत:- बजट नियमपुस्तिका पर आधारित

चालू वर्ष (2017-18) के साथ-साथ पिछले वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार (परिशिष्ट 1.4 और 1.5) में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: चालू वर्ष में राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016-17	2017-18		2016-17	2017-18
भाग (क) राजस्व			भाग (क) राजस्व		
राज्य के अपने कर राजस्व	7,819	9,536	सामान्य सेवाएँ	15,110	16,888
राज्य का अपना गैर-कर राजस्व	4,072	4,362	सामाजिक सेवाएं	11,564	13,117

संघीय करो/शुल्कों का हिस्सा	9,489	11,912	आर्थिक सेवाएं	13,138	10,911
भारत सरकार से अनुदान	20,598	22,702	-	-	-
राजस्व प्राप्तियां	41,978	48,512	राजस्व व्यय	39,812	40,916
भाग (ख) पूंजी			भाग (ख) पूंजी		
-	-	-	पूंजीगत परिव्यय	8,286	10,353
ऋण और अग्रिमों की वसूली	19	4	ऋण और अग्रिम वितरित	76	25
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां###	20,749	25,557	सार्वजनिक ऋण का पूर्णभुगतान###	17,023	22,490
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां@	21,811	15,122	लोक लेखा संवितरण#	19,458	15,286
अथ नकद शेष	527	429	अन्त नकद शेष	429	554
कुल	85,084	89,624		85,084	89,624


स्रोत: वित्त लेखे

@#ये निवेश के नकद लेन-देन को तथा विभागीय शेष योक्त को शामिल नहीं करता है। (@₹15,576 करोड़ की प्राप्तियां, #₹15,576 संवितरण), लेन-देन के शुद्ध प्रभावों को आरंभिक व समाप्त शेष में समीकरण अगली पंक्ति के नीचे दिया गया है।

##अर्थोपाय अग्रिम शामिल है।

परिशिष्ट 1.5 चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की रचना तथा निधियों का प्रयोग नीचे दिया गया है:-



1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

जम्मू एवं कश्मीर में राजकोषीय सुधारों का मार्ग

जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 14 अगस्त 2006 को लागू हुआ। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी के राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत कम करना था। एफआरबीएम अधिनियम के तहत सरकार के आवश्यक खरीद निर्धारित किया गया तथा उसमें संशोधन किया गया तथा इसके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 1.6** तथा **परिशिष्ट 1.7** में क्रमशः दी गई है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 14वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि पर 11.78 प्रतिशत निर्धारित की थी। विकास, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में, सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, बजट में प्रमुख राजकोषीय परिवर्तों दिए गए हैं तथा राज्य द्वारा बजट में यथा अनुमानित नीचे दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय परिवर्तियों की अनुमान किए गए लक्ष्य से परिवर्तन (जीएसडीपी का प्रतिशत)


वित्तीय परिवर्ती	2017-18				
	14वें वि.आ के अनुसार अनुमान	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक	अनुमानों से वास्तविक का परिवर्तन	
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-) 8.85	6.78	5.39	14.24	(-)1.39
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	3	6.15	1.97	(-)1.03	(-)4.18
जीएसडीपी को कुल बकाया ऋण (वित्तीय देयताएं) का अनुपात	47.30	-	48.41	1.11	-

राजकोषीय घाटा 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान तथा बजट में निर्धारित उद्देश्य के अनुसार था। 48.41 प्रतिशत पर जीएसडीपी के प्रति बकाया देयताओं (राजकोषीय देयताओं) का अनुपात 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट के दस्तावेज, एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व तथा व्यय का अनुमान उपलब्ध कराते हैं। जहां तक संभव हो, राजस्व तथा व्यय के अनुमान सही दिए जाए, ताकि कारणों का पता लगाने के लिए भिन्नताओं का विश्लेषण किया जा सके।

चार्ट 1.4: चयनित राजकोषीय मानक: 2017-18 के लिए वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान



स्रोत:- बजट तथा वित्त लेखा

₹58,068 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित के रूप में राजस्व प्राप्तियों के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹48,512 करोड़ (83.54 प्रतिशत) थी, जिसका मुख्य कारण सहायता अनुदान में कम राशि प्राप्त होना था।

₹5,308 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्तियों के प्रति गैर-कर प्राप्तियां ₹4,362 करोड़ (82.18 प्रतिशत) थी, जिसका मुख्य कारण विद्युत के तहत कम प्राप्तियां होना था।

₹48,819 करोड़ के बजट प्रावधान से राजस्व व्यय ₹7,903 करोड़ कम था, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के तहत आर्थिक सेवाओं में व्यय कम हुआ।

कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्र के तहत आर्थिक सेवाओं में कम व्यय होने के कारण, ₹27,508 करोड़ के बजट अनुमान के प्रति ऋण तथा अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय ₹10,378 करोड़ पर, ₹17,130 करोड़ तक कम था।

1.1.4 उत्थान अनुपात

उत्थान अनुपात परिवर्ती आधार में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रियाशीलता के लचीलेपन अथवा डिग्री को व्यक्त करता है। राजस्व प्राप्तियां, राज्य के अपने कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देनदारियों का उत्थान अनुपात नीचे दिया गया है:-

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियों राज्य के अपने कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देनदारियों का जीएसडीपी की तुलना में उत्थान अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जीएसडीपी (₹करोड़ में)	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)					
वर्ष के दौरान आरआर (₹करोड़ में)	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.47	6.68	23.64	17.31	15.56
जीएसडीपी के साथ आरआर का उत्थान	0.36	2.32	1.24	2.1	1.41
राज्य का अपना कर राजस्व (एसओटीआर)					
वर्ष के दौरान एसओटीआर (₹करोड़ में)	6,273	6,334	7,326	7,819	9,536
एसओटीआर की विकास दर (प्रतिशत में)	7.54	0.97	15.66	6.73	21.96
जीएसडीपी के साथ एसओटीआर का उत्थान	0.77	0.34	0.82	0.82	1.98
कुल व्यय (टीई)					
वर्ष के दौरान टीई (₹करोड़ में)	31,686	34,550	43,845	48,174	51,294
टीई की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.11	9.04	26.9	9.87	6.48
जीएसडीपी के साथ टीई का उत्थान	0.42	3.14	1.41	1.2	0.59
राजकोषीय देयताएं (एफएल)					
साल के अंत में एफएल (₹करोड़ में)	44,673	48,314	55,358	62,219	68,217
एफएल की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.94	8.15	14.57	12.39	9.64
एफएल के उछाल की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.12	2.83	0.76	1.5	0.87


स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखा जीएसडीपी के साथ एफएल का उत्थान

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के जीएसडीपी के संबंध में एसओटीआर में उत्थान अधिक था। 2014-15 से 2017-18 के दौरान आरआर की वृद्धि दर, जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक थी। 2017-18 के दौरान टीई की वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर से कम थी।

1.2 वित्त लेखों 2017-18 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं, जो राज्य सरकार के संसाधनों को सृजित करती हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्वों गैर-कर राजस्वों संघीय करों तथा शुल्कों के राज्य के भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से मिलकर बनी होती हैं। पूंजी प्राप्तियां विविध पूंजी प्राप्तियों जो विनिवेश, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेना) तथा भारत सरकार से प्राप्त के साथ-साथ लोक लेखा से प्रोद्भूत ऋणों एवं अग्रिमों से मिलकर बनी होती हैं। तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान जैसा कि इसके वार्षिक वित्तीय लेखों में दर्ज है, राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है (परिशिष्ट 1.4) जबकि चार्ट 1.6 वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य प्रप्तियों के विभिन्न घटकों में रूझानों को प्रदर्शित करता है; चार्ट 1.5 में चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की रचना नीचे दी गई है:

चार्ट 1.5: संसाधनों के घटक तथा उप घटक




* (लोक लेखे प्राप्तियां निवल ((-₹164 करोड़) - लोक लेखे प्राप्तियां (₹30,698 करोड़), लोक लेखा संवितरण (₹30,862 करोड़)।

** जीएसटी लगने के कारण, प्राप्त हुए ₹1,137 करोड़ के मुआवजे को शामिल नहीं किया गया है। (सहायता अनुदान में शामिल है)

अर्थोपाय अग्रिम सहति।

चाट 1.6: राज्य के संसाधनों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 में, राजस्व प्राप्तियां तथा कुल प्राप्तियां, बढोत्तरी की प्रवृत्ति को दिखाती है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में ₹6,534 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 से 2015-16 में लोक लेखा निवल प्राप्तियों की भी बढी हुई प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। हालांकि, यह वर्ष 2015-16 में ₹4,312 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹2,396 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2017-18 के दौरान प्रेषण के तहत कम प्राप्ति के कारण ₹164 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में भुगतानों का अधिशेष था।

पूंजीगत प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 में ₹20,768 करोड़ से वर्ष 2017-18 में ₹25,561 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 में 75.51 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 65.64 प्रतिशत तक कुल प्राप्तियों के प्रति राजस्व प्राप्तियों का अनुपात, गिरावट के रूझान को दिखाता था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में 23.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अधिकतया लोक ऋण में बढत के कारण था।

चार्ट 1.7: वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)




पिछले वर्ष के संबंध में, वर्ष 2017-18 में राजस्व प्राप्तियों में ₹6,534 करोड़ की वृद्धि ₹41,978 करोड़ से ₹48,512 करोड़ तक (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष 2017-18 के दौरान, पूंजीगत प्राप्तियों में ₹4,793 करोड़ की वृद्धि के कारण ₹20,768 करोड़ से ₹25,561 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा लोक लेखा निवल प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान ₹2,560 करोड़ की कमी हुई। कुल राज्य संसाधनों (₹73,909 करोड़) में राजस्व प्राप्तियां 65.64 प्रतिशत है।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा रचना (परिशिष्ट 1.4 तथा 1.5) को परिशिष्ट 1.4 में भी नीचे दिखाया गया है:

चार्ट 1.8: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की रचना


(प्रतिशत में)



स्रोत 1.9 संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.9: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की रचना

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 78.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संघ सरकार से हस्तांतरित संघीय करों तथा शुल्कों और सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा, वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 66 प्रतिशत बनता था तथा 2017-18 में यह बढ़कर, 71 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान, अपने कर राजस्व का हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का 23 प्रतिशत बनता था, जो 2017-18 में कम होकर 20 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2013-14 में गैर कर राजस्व का हिस्सा 11 प्रतिशत बनता था, जो 2017-18 में घटकर नौ प्रतिशत रह गया।

राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹6,534 करोड़ (15.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतया ₹2,423 करोड़ (25.53 प्रतिशत) की संघीय करों तथा शुल्कों राज्य के भाग में वृद्धि, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹2,104 करोड़ (10.21 प्रतिशत) तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹1,717 करोड़ (21.96 प्रतिशत) के कारण थी। जीएसडीपी से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में रुझानों को नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.5: जीएसडीपी से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में रुझान

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.47	6.68	23.64	17.31	15.56
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) (₹ करोड़ में)	6,273	6,334	7,326	7,819	9,536
राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (एसओटीआर) (प्रतिशत)	7.54	0.97	15.66	6.73	21.96

चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर 15.56 प्रतिशत थी, जो विशेष श्रेणी वाले राज्य की श्रेणी (एससीएस) में 10.40 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी (परिशिष्ट 1.1)। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि संघीय करो/शुल्कों तथा सहायता अनुदान में राज्य के भाग में वृद्धि तथा एसओटीआर में वृद्धि के कारण थी।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय करो तथा सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता है, संसाधनों को प्रदान के संदर्भ में राज्य के निष्पादन का, जिसमें उसके स्वयं के कर तथा गैर कर स्रोत शामिल है, के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर तथा स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों के, 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ नीचे दिया गया है:

तालिका 1.6: 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ वास्तविक कर तथा गैर-कर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक का प्रतिशतता अन्तर	
				14वें के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	बजट अनुमानों पर
स्वयं के कर राजस्व	11,765	9,931	9,536	(-19)	(-04)
स्वयं के गैर कर राजस्व	961	5,308	4,362	354	(-18)
कुल	12,726	15,239	13,898		

राज्य के अपने कर राजस्व के तहत वास्तविक संग्रहण 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 19 प्रतिशत और बजट अनुमान के चार प्रतिशत तक कम रहे।

अपने गैर-कर राजस्व के तहत वास्तविक प्राप्तियां 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 354 प्रतिशत अधिक थी, परंतु बजट अनुमान से 18 प्रतिशत कम थी। इस प्रकार राज्य सरकार बजट अनुमान में स्वयं द्वारा निर्धारित अनुमानों को प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹13,898 करोड़ के राज्य के स्वयं के संसाधन (स्वयं का कर राजस्व तथा स्वयं का गैर कर राजस्व) इसके ₹27,500 करोड़ के प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा आर्थिक सहायता) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। (पैरा 1.6.3)

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिए गए हैं जो वर्ष 2013-18 के दौरान, राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में रुझान को दर्शाते हैं।

तालिका 1.7: राज्य के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री कर	4,579	4,602	5,277	6,012	4,493
जीएसटी	0	0	0	0	2611
राज्य आबकारी	440	466	533	569	833
स्टैम्प तथा पंजीकरण शुल्क	261	248	264	228	307
वाहनों पर कर	134	132	145	150	228
विद्युत पर कर तथा शुल्क	277	313	429	90	179
भू-राजस्व	16	15	12	17	29
अन्य	566	558	666	753	856
कुल	6,273	6,334	7,326	7,819	9,536

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे)

वाहनों पर एकत्रित कर में, वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹134 करोड़ से ₹228 करोड़ तक 70.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वाहनों पर एकत्रित करों में मोटर वाहन विभाग द्वारा एकत्रित विभिन्न फीस में, दरों में संशोधन के कारण (दिसंबर 2016), वर्ष 2016-17 में ₹150 करोड़ से ₹228 करोड़ तक वृद्धि हुई।

राज्य उत्पाद-शुल्क के संग्रहण में उपरोक्त अवधि में ₹440 करोड़ से ₹833 करोड़ तक 89.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिनांक 01-09-2017 से शराब की बिक्री पर 31.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त निर्धारण फीस लगाने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में उत्पाद शुल्क में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्टैम्प की बिक्री में वृद्धि के कारण ₹261 करोड़ से ₹307 करोड़ तक स्टैम्प तथा पंजीकरण फीस के संग्रहण में वृद्धि हुई और विद्युत पर करों और शुल्कों के सम्बन्ध में अवधि के दौरान ₹277 करोड़ से ₹179 करोड़ तक ₹98 करोड़ की कमी हुई है जो 2015-16 में विद्युत शुल्क की दरों में 22 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कमी आने के कारण है। इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के दौरान, बिक्री कर तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ₹2,525 करोड़ बढ़कर, ₹4,579 करोड़ से ₹7,104 करोड़ हो गया। (बिक्री कर तथा अन्य करों के स्थान पर, राज्य में जीएसटी दिनांक 08 जुलाई 2017 से लागू हुआ है)।


वर्ष 2013-18 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹3,263 करोड़ (52 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। दिनांक 8 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने के बाद, 2017-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अतिरिक्त, सभी मुख्य करों तथा शुल्कों में बढ़ता रूझान दर्ज किया गया।

राज्य का स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2016-17 के दौरान ₹7,819 करोड़ से ₹1,717 करोड़ तक वृद्धि के परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 में ₹9,536 करोड़ हो गया।

2013-14 से 2017-18 तक पड़ोसी राज्यों के साथ जीएसटीपी के लिए स्वयं के कर राजस्व की तुलना नीचे दी गई है:

चार्ट 1.10: जी.एस.डी.पी. के स्वयं के कर राजस्व की पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

(प्रतिशत में)



जीएसडीपी के प्रति स्वयं का कर राजस्व अनुपात में, वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान पंजाब से कम था, लेकिन वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश से उच्च था। वर्ष 2017-18 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर का जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत) के प्रति स्वयं के कर राजस्व की स्थिति पड़ोसी राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से उच्च थी।

माल एवं सेवा कर

राज्य सरकार द्वारा, लागू माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम दिनांक 08 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जी.एस.टी. (राज्य को मुआवजा) अधिनियम-2017 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्यों को जी.एस.टी. लागू होने के कारण राजस्व के होने वाले नुकसान हेतु पांच वर्षों के अवधि के लिए मुआवजा देगी। राज्य को देय, मुआवजे हेतु, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा अंतिम राजस्व के आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आंकड़ों की गणना की

जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के तहत, आधार वर्ष (2015-16) राजस्व आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान ₹4,766.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। किसी भी वर्ष में, किसी राज्य के लिए अनुमानित राजस्व की वृद्धि दर की गणना (14 प्रतिशत वार्षिक) उस राज्य के आधार वर्ष के अनुसार की जाएगी।

आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए, अनुमानित राजस्व ₹6,194.28 करोड़ था। तथा जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए, जी.एस.टी. के तहत अनुमानित राजस्व का आंकड़ा ₹4,645.71 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के लिए, अनुमानित ₹4,645.71 करोड़¹ के राजस्व के प्रति वर्ष 2017-18 अर्थात् जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान, जी.एस.टी. के तहत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जी.एस.टी. में जमा किए गए एकत्रित करों सहित, जैसा कि तालिका 1.8 में दिया गया है, ₹5,250.60 करोड़ थी। जी.एस.टी. के लागू होने के कारण ₹532.11 करोड़ के वास्तविक घाटे के प्रति राज्य सरकार ने ₹1,137 करोड़ का मुआवजा प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप ₹604.89 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त मुआवजा दिया गया। जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 1.8: जी.एस.टी. से पूर्व और एस.जी.एस.टी. द्वारा एकत्रित, आई.जी.एस.टी. का प्रोविजनल एपोरशनमेंट तथा संरक्षित राजस्व के प्रति भारत सरकार से प्राप्त मुआवजा

(₹ करोड़ में)

माह	अनुमानित किया जाने वाला मासिक राजस्व	जी.एस.टी. से पूर्व एकत्रित	एकत्रित एस.जी.एस.टी. *	आई.जी.एस.टी. का प्रोविजनल एपोरशनमेंट	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त मुआवजा	कुल	आधिशेष / घाटा
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(5+6)	8=1-(5+6)
जुलाई-17	516.19	941.06	0	0	941.06	0	941.06	-424.87
अगस्त-17	516.19	165.27	102.60	0	267.87	0	267.87	248.32
सितंबर-17	516.19	58.63	136.74	225.98	421.35	0	421.35	94.84
अक्टूबर-17	516.19	71.96	113.43	195.82	381.21	367	748.21	-232.02
नवंबर-17	516.19	21.87	120.24	209.26	351.37	314	665.37	-149.18
दिसंबर-17	516.19	14.74	141.21	186.71	342.66	0	342.66	173.53

¹ ₹4,766.30 x (1+14/100)²=₹6,194.28 करोड़ 2017-18 के लिए तथा नौ माह के लिए = ₹6,194.28 करोड़ x 3/4=₹4,645.71 करोड़।

जनवरी-18	516.19	21.73	146.89	224.53	393.15	127	520.15	-3.96
फरवरी-18	516.19	6.83	125.18	389.39	521.40	0	521.4	-5.21
मार्च-18	516.19	200.25	114.46	178.82	493.53	329	822.53	-306.34
कुल	4,645.71	1,502.34	1,000.75	1,610.51	4,113.60	1,137	5,250.60	-604.89

* बिक्री कर विभाग, जे एंड के

आई.जी.एस.टी से अग्रिम एपोरशनमेंट


जुलाई 2017 से मार्च 2018 के अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने ₹2,611.26 करोड़ की राशि जी.एस.टी. के रूप में एकत्रित की, जिसमें एकीकृत माल एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) के अग्रिम एपोरशनमेंट के कारण ₹209 करोड़ की प्राप्त राशि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ₹1,137 करोड़ की राशि, भी भारत सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई है।

1.3.1.2 गैर-कर राजस्व

पाँच वर्षों के दौरान 2013-14 से 2017-18 गैर कर राजस्व की वृद्धि चार्ट 1.11 में दी गई है तथा तालिका 1.9 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में रुझानों को प्रदर्शित करती है।

चार्ट 1.11: गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)



स्रोत :- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.9: वर्ष 2013-18 के दौरान गैर-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्तियां	13(-19)	14(8)	96(585)	19(-80)	19(0)
लाभांश एवं लाभ	129(48)	129(0)	54(-58)	45(-17)	0(-100)
अन्य गैर कर प्राप्तियां	2,728(33)	1,835(-33)	3,763(105)	4,008(7)	4,343(8)
वानिकी और वन्य जीव	68	71	68	14	18
विद्युत	1,533	1,428	1,477	2,770	3,151
विविध	203	166	204	221	266
अन्य	924	170	2,014	1,003	908
कुल	2,870	1,978	3,913	4,072	4,362

*लोक निर्माण, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति तथा सवच्छता, पुलिस, गैर- लोह खनन तथा धातु उद्योग, फसल पैदावार, पशु पालन, विविध विभाग हैं।

**'अन्य' पेंशन तथा विविध, सामान्य सेवाएँ, श्रमिक तथा रोजगार, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग, लघु सिंचाई, ओ.एस.ए.पी. मत्स्य पालन, शिक्षा आदि गांव तथा लघु उद्योग, आवासीय, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा अन्य "अन्य" में शामिल हैं।

(पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि को कोष्ठक में दिया गया है।)

स्रोत :- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2013-18 के दौरान, गैर-कर राजस्व के तहत वास्तविक प्राप्तियों में ₹1,492 करोड़ (51.98 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। "अन्य" श्रेणी के तहत प्राप्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ₹2,014 करोड़ से ₹908 करोड़ तक अबियाना (सिंचाई कर) का उन्मूलन होने के कारण, कम हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान, गैर-कर राजस्व (₹4,362 करोड़) का राजस्व प्राप्तियों में, (₹48,512 करोड़) की 8.99 प्रतिशत बनता था जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹290 करोड़ (7.12 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करता है। मुख्यतया विद्युत के तहत प्राप्तियों में वृद्धि होने के कारण है।

विद्युत बिक्री से प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का एक मुख्य घटक होने के कारण, वर्ष 2013-14 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व का 53.41 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 72.24 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष 2017-18 के दौरान 13.75 प्रतिशत बढ़ गया।

"अन्य" श्रेणी के तहत प्राप्तियों में 'जल उपयोग प्रभार' शामिल किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियमन एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2010, यथा संशोधित 25 अक्टूबर 2012 और 27 अक्टूबर 2014, के प्रावधान के तहत हाइड्रोपावर जनरेटिंग कम्पनियों पर जल के प्रति क्यूसेक पर 25 पैसे की दर से जल उपयोग प्रभार लगाया जा रहा है। अधिनियम के तहत, उद्ग्रहण से प्राप्त आय को, सचिव, वित्त विभाग द्वारा रखरखाव किए जाने वाले एक अलग से बचत बैंक खाते में क्रेडिट किया जाना होता है और हाइड्रोइलेक्ट्रिक तथा बहु-उद्देश्यीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को स्थापित करने तथा राज्य में पहले से स्थापित हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं की पुनः खरीद के लिए तथा विद्युत क्रय हेतु उसको प्रयोग में लाया जाए। वर्ष 2017-18

के दौरान, राज्य सरकार ने जल उपयोग प्रभार पर ₹755.90 करोड़ की राशि एकत्रित की जिसको विद्युत के क्रय के लिए समायोजित किया गया तथा मार्च 2018 के अंत में बैंक खाते में शेष ₹4.34 करोड़ की राशि थी जिसे राज्य की समेकित निधि से बाहर रखा गया।

उपभोक्ताओं से विद्युत की न वसूल की गई लागत का भार तथा विद्युत की खरीद पर कम भुगतान के कारण देनदारियों का सृजन।

राज्य में, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है क्योंकि डी-बंडलिंग तथा विद्युत सुधारों को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है (मार्च 2018)। इसलिए, विद्युत की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति पर प्राप्ति एवं व्यय राज्य सरकार के लेखों का भाग बनते हैं। विद्युत विकास विभाग के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच लगातार बढ़ते अंतर के कारण सरकार के बजट में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक असंतुलन और संसाधनों की निकासी होती है। जिसे अन्यथा विकासात्मक परिव्यय के लिए परिनियोजित किया जा सकता था। विद्युत की खरीद के प्रति प्रदत्त राशि तथा विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्ति के बीच रुझानों को नीचे दिया गया है:

तालिका 1.10: विद्युत विकास विभाग के कार्य निष्पादन में कमी

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विद्युत खरीदी की लागत #	लक्षित राजस्व	वास्तविक प्राप्त राजस्व	विद्युत खरीदी पर भुगतान की गई राशि
2013-14	4,448	2,841	1,533	3,738
2014-15	5,207	2,630	1,428	4,404
2015-16	5,294	2,980	1,477	6,127
2016-17	5,619	4,741	2,770	6,132
2017-18	5,709	4,841	3,151	3,036

स्त्रोत: संबंधित वर्ष के बजट तथा वित्त लेखे # विभागीय आंकड़े।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान टैरिफ एकत्रित करने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान, विद्युत की बिक्री के कारण ₹4,841 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के प्रति ₹3,151 करोड़ की प्राप्ति हुई। विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व, सभी वर्षों में खरीद की लागत से कम था। राज्य द्वारा, इसके राजस्व एकत्रित करने के लक्ष्यों को खरीद की लागत से कम रखा गया। संबंधित वर्ष के दौरान विद्युत की खरीद की लागत के प्रति राजस्व की कम उगाही राज्य सरकार पर भार के रूप में थी। विद्युत की खरीद तथा विद्युत की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राजस्व उगाही के बीच अंतर का कारण परिचालन अक्षमताएँ तथा विद्युत सुधारों को धीमी गति से लागू करना था। राज्य की एटी एंड सी संबंधी हानियां (50 प्रतिशत) बहुत अधिक हैं जो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में जहाँ एटी एंड सी संबंधी हानियां मात्र आठ प्रतिशत हैं, उसकी तुलना में बहुत अधिक थी।

विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹5,709 करोड़ मूल्य की विद्युत खरीदी जिसके प्रति विद्युत उत्पादन कर्ता को इसमें केवल ₹3,036 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार विद्युत खरीदारी पर देनदारियां सृजित हुईं। मार्च 2018 को विद्युत खरीद के बिलों का भुगतान न करने के कारण, विभाग पर ₹7,018 करोड़ की देनदारी सृजित हुई।

राज्य सरकार ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष दिखा रही है लेकिन बकाया विद्युत बिलों ₹7,018 करोड़ के कारण आस्थगित देनदारियों को ध्यान में रखने के बाद राजस्व अधिशेष उस सीमा तक कम हो जाएगा।

उदय के निहितार्थ

विद्युत वितरण कम्पनियों (डीआईएससीओएम), ने वित्तीय बदलाव के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य डीआईएससीओएम की वित्तीय क्षमताओं तथा परिचालन को बेहतर बनाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की (नवंबर 2015)। राज्यों को डीआईएससीओएम, ऋण का 75 प्रतिशत सितंबर 2015 को दो वर्षों में मिलना था अर्थात् डीआईएससीओएम, ऋण का 50 प्रतिशत 2015-16 में और 25 प्रतिशत 2016-17 में दिया जाएगा।

मार्च 2016 में, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बीच योजना उदय “उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना” के तहत एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, तथा आरबीआई द्वारा गैर वैधानिक मौद्रिक अनुपात (एसएलआर) बांड 7.07 प्रतिशत से 8.72 प्रतिशत की रेंज की दरों पर, मार्च 2022 से अक्टूबर 2031 की पूर्णता तिथि के साथ जारी बांड से ₹3,537.55 करोड़ (₹2,140 करोड़ 2015-16 में तथा ₹1,397.55 करोड़ 2016-17 में) की सीमा तक निधियां उधार लीं। राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए इस धन राशि का राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की देनदारियों का निपटान करने के लिए उपयोग किया गया था। राज्य सरकार को बांड पर ब्याज का भुगतान करना होता है तथा ₹353.75 करोड़ की राशि वाले बांड की भी वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक प्रत्येक वर्ष में पूर्णता तिथि होगी। वर्ष 2017-18 के दौरान उदय योजना के तहत जारी किए गए बाँड्स पर ब्याज के प्रति राज्य सरकार ने ₹284.12 करोड़ का भुगतान किया।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए भारत सरकार ने मुख्य शीर्ष 1601 सहायता अनुदान के तहत, एक उप मुख्य शीर्ष खोला तथा योजनागत और गैर योजनागत के वर्गीकरण को बंद कर दिया।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजना अनुदान	4,009	3,343	11,135	12,776	--
केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य योजना स्कीमों/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	9,008	12,720	4,365	7,766	9,096
केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	826	87	1,228	56	--
वित्त आयोग अनुदान	--	--	--	--	11,849
राज्यों को अन्य स्थानांतरण/ अनुदान	--	--	--	--	620
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए मुआवजा	--	--	--	--	1,137
कुल	13,843	16,150	16,728	20,598	22,702
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	51	56	47	49	47

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूर्ण रूप से संघीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹13,843 करोड़ से ₹22,702 करोड़ की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायक अनुदान वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान 51 प्रतिशत से 56 प्रतिशत बढ़ गया तथा 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में 49 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक कम हो गया। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के सहायता अनुदान में ₹2,104 करोड़ की वृद्धि के कारण, ₹20,598 करोड़ से ₹22,702 करोड़ तक हो गए। रूझान इंगित करते हैं कि राज्य सरकार वर्ष 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की 47 प्रतिशत की सीमा तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान पर निर्भर है।

1.3.3 राज्य के बजट के बाहर, राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत सरकार से अनुदानों के रूप में ₹22,702 करोड़ की राशि का राज्य बजट के माध्यम भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹1,105 करोड़ की कुल राशि वाली 55 से अधिक योजनाएं थीं। जिन्हें वर्ष 2017-18 के दौरान, संघीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निधियन मोड़ के तहत जम्मू एवं कश्मीर की क्रियान्वयन एजेंसियों (संस्थाओं, निगमों, समितियों आदि) के लिए जारी रखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में, संघ सरकार से क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण के कारण ₹477 करोड़ अर्थात् 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट 1.8)। यह निधियां, राज्य सरकार को बजटीय तथा लेखांकन प्रणाली से बाहर हैं। वर्ष के दौरान जहां वित्त पोषण एक सौ करोड़ से अधिक है, की स्कीमों को नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित मुख्य निधियां (अलेखापरीक्षित)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/स्कीम का नाम	राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	निम्न के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्गत कुल निधियां
		2017-18
चेनाब घाटी विद्युत के लिए जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के अंतर्गत पाकुल दुल एचईपी (हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना) के लिए केन्द्रीय सहायता	चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	200.00
विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम/जम्मू और कश्मीर राज्य केबल कार निगम।	115.50
कुल		315.50

स्रोत संबंधित वर्ष के वित्त लेखा

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के राज्य के हिस्से के घटक तालिका 1.13 में दिया गया है तालिका 1.13 संघीय करों तथा शुल्कों से राज्य के हिस्सों के घटक।

तालिका 1.13: केंद्रीय करों और कर्तव्यों में राज्य हिस्सेदारी के घटक

(₹ करोड़ में)

संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी का घटक	13 ^{वें} एफसी एवं 14 ^{वें} एफसी का अवार्ड पीरियड				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निगम कर	1,664.16	1,833.83	2,976.52	3,623.44	3,824.16
सीमा शुल्क	807.36	849.30	1,507.13	1,558.67	1,260.30
आय कर	1,095.80	1,309.53	2,075.73	2,518.30	3,229.22
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	0	5.78	0.03	0.00
धन कर	4.57	4.95	0.60	8.29	-0.11
आय और व्यय पर अन्य कर	0	0.04	0.06	0	0
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	570.21	479.58	1,247.66	1,779.87	2,020.60
सीजीएसटी	एनए	एनए	एनए	एनए	316.80
आईजीएसटी	एनए	एनए	एनए	एनए	1,260.68
कुल योग	4,142.1	4,477.23	7,813.48	9,488.6	11,911.65
राज्य की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में अंतरण	15.27	15.47	21.84	22.60	24.55
एनए: 8 जुलाई 2017 से जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन होने के कारण लागू नहीं					

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

14^{वें} वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय करों के राज्य का हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाया जाए। तदनुसार केन्द्रीय कर (सेवा कर शामिल नहीं) की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 1.854 प्रतिशत निर्धारित था। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹11,912 करोड़ के संघीय करों का हिस्सा, वर्ष 2016-17 की तुलना में ₹2,423 करोड़ अधिक था। 13^{वें} वित्त आयोग तथा 14^{वें} वित्त आयोग के दौरान केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में अंतरण 15.27 प्रतिशत से बढ़कर 24.55 प्रतिशत हो गया।

1.3.5 उपकर लगाकर सृजित निधियां

उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 में निर्माण कार्यों की लागत पर उपकर के आवश्यक उद्ग्रहण तथा संग्रहण का प्रावधान है। तथा यह प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा निर्माण की लागत के एक प्रतिशत पर उपकर लगाया जाएगा, जिसमें कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत, कामगार या उसके परिजन को प्रदत्त अथवा देय किसी क्षतिपूर्ति अथवा भूमि की लागत को शामिल नहीं किया जाएगा। मार्च 2017 को ₹374.24 करोड़ का शेष था तथा वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड ने श्रमिक उप कर, मासिक अंशदान, ब्याज आदि के रूप में ₹129.34 करोड़ प्राप्त किए। इसमें से, दिनांक 31 मार्च 2018 को बोर्ड ने ₹434.02 करोड़ का अंतशेष छोड़ते हुए, श्रमिक कल्याण

योजनाओं (₹67.36 करोड़) और प्रशासनिक व्यय (₹2.20 करोड़) पर ₹69.56 करोड़ व्यय किए। श्रम उपकर के मद में कटौती की गई राशि को सचिव, जम्मू एवं कश्मीर बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के नाम से आधिकारिक बैंक खाते में रखी जा रही है तथा सरकारी लेखा से बाहर रखी गई है।

1.3.6 केन्द्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्यों को सहायता अनुदान

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा स्टेट डिजास्टर रिसर्पोस फंड (एसडीआरएफ) के लिए ₹6,178.37 करोड़ का अनुमान लगाया गया (2015-20)। इसके प्रति, ₹753.26 करोड़, ₹1,078.44 करोड़ तथा ₹1,214.56 करोड़ वर्ष 2015-18 के दौरान निर्मुक्त किए/आवंटित किए जाने थे।

तालिका 1.14: रिलीज की तुलना में वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुमान

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	कुल अनुमान	2015-16	2016-17	2017-18	कुल रिलीज़	शेष
शहरी स्थानीय निकाय	125.30	224.71	258.41	608.42	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	608.42
ग्रामीण स्थानीय निकाय	373.96	585.73	675.15	1634.84	367.72	शून्य	शून्य	367.72	1,267.12
एसडीआरएफ (राज्य शेयर सहित)	254.00	268.00	281.00	803.00	254.00	254.70	13.50	522.20	280.80
कुल	753.26	1,078.44	1,214.56	3,046.26	621.72	254.70	13.50	889.92	2,156.34

स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

हालांकि, वर्ष 2015-18 के दौरान, वित्त आयोग, भारत सरकार से ₹889.92 करोड़ की राशि (राज्य के हिस्से सहित) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई तथा 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि नहीं दी गई। उक्त अवधि के दौरान, एसडीआरएफ के लिए निर्धारित ₹80 करोड़ के प्रति ₹52 करोड़ की राशि राज्य के हिस्से के रूप में जारी की गई। वर्ष 2016-17 के लिए राज्य के हिस्से के रूप में ₹13.50 करोड़ की दूसरी किश्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान, जारी की गयी (परिशिष्ट 1.9)। ₹2,128.34 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया, जिसमें से ₹1,875.54 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आएलबी) से संबंधित है।

यूएलबी तथा आरएलबी को दिए जाने वाले अनुदानों को भारत सरकार द्वारा उन निकायों के चुनाव न किए जाने के कारण रोक लिया गया।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, ऋण से प्राप्त अर्थात्- आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं। पांच वर्षों (2013-18) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.15: प्राप्तियों की रचना तथा वृद्धि में रुझानों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत प्राप्तियां (सीआर)	6,006	10,262	14,649	20,768	25,561
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
ऋण और अग्रिमों की वसूली	4	3	4	19	4
लोक ऋण प्राप्तियां	6,002	10,259	14,645	20,749	25,557
बाजार ऋण	2,080	1,400	2,250	2,790	6,200
बांड	202	202	2,342	1,440	41
वित्तीय संस्थानों से ऋण	855	1,197	1,045	646	668
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम	2,850	7,448	8,991	15,848	18,617
भारत सरकार से ऋण	15	12	17	25	31
लोक ऋण प्राप्ति के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता	35	14	15	13	24
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि विकास दर (प्रतिशत)					
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से	(-15)	71	43	42	23
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से	300	(-25)	33	375	-79
चालू कीमतों पर जीएसडीपी से	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
पूंजीगत प्राप्तियों से	(-15)	71	43	42	23

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में ₹6,006 करोड़ से ₹25,561 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बाजार ऋणों में (₹2,080 करोड़ से ₹6,200 करोड़, वर्ष 2013-14 से 2017-18 में) तथा ओवर ड्राफ्ट सहित (वर्ष 2013-14 से 2017-18 के ₹2,850 करोड़ से ₹18,617 करोड़ की वृद्धि) अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि होना था। 2017-18 में पूंजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹4,793 करोड़ से बढ़ी।

लोक ऋण प्राप्तियों में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹6,002 करोड़ से वृद्धि होकर ₹25,557 करोड़ हो गयी तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष 2017-18 में ₹4,808 करोड़ बढ़ गई।

लोक ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 में बाजार ऋणों का हिस्सों में 13 प्रतिशत से 2017-18 में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान संवितरण तथा वसूल किए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.16: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, संवितरित तथा वसूली किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित ऋणों की मात्रा तथा वसूली	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आदि शेष	1,292.55	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	121.41	86.80	93.79	76.24	24.75
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	4.13	2.69	4.09	19.36	4.41
अंत शेष	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86
कुल जमा	117.28	84.11	89.70	56.88	20.34

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, कुल बकाया ऋणों में ₹1,409.83 करोड़ से ₹1,660.86 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, सात सत्त्वों के प्रति ₹1,660.86 करोड़ की राशि में से ₹843.44 करोड़ बकाया थी (मार्च 2018)। ₹843.44 करोड़² की जमा राशि के प्रति, वर्ष 2017-18 में केवल ₹2.50 करोड़ ही, वसूल किए गए। ऋणों की वसूली की स्थिति खराब होने के कारण वर्ष 2013-14 में ₹1,409.83 करोड़ से 2017-18 में ₹1,660.86 करोड़ तक बकाया शेष में लगातार वृद्धि हुई।

जम्मू एवं कश्मीर इंडस्ट्रीज को दिए हुए ऋणों एवं अग्रिमों की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि मार्च 2017 तक जे एंड के इंडस्ट्रीज लि. के प्रति ₹373.19 करोड़ के ऋण बकाया थे। वसूली की खराब प्रक्रिया के बावजूद, राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹13.29 करोड़ के नए ऋण जारी किए तथा केवल ₹2.50 करोड़ की वसूली की। मार्च 2018 तक, ₹383.98 करोड़ राशि के ऋण जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लि. के प्रति बकाया थे, जिसकी वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर ₹529.39 करोड़ की कुल

² (1) नगरपालिकाएं ₹5.17 करोड़ (शून्य वसूली), (2) विकास प्राधिकरण, श्रीनगर- ₹1.91 करोड़ (शून्य वसूली), (3) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम (जम्मू-कश्मीर, एचपीएमसी लि.- ₹12.66 करोड़ (शून्य वसूली), (4) विद्युत बोर्ड, जेकेपीडीसी - ₹85.04 करोड़ (शून्य वसूली), (5) कृषि उद्योग - ₹7.94 करोड़ (शून्य वसूली), (6) जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड - ₹383.98 करोड़ (₹2.50 करोड़), (7) जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड - ₹3,46.72 करोड़ (शून्य वसूली)

संचित हानि थी। इस प्रकार, ऋणों की वसूली को सुनिश्चित किए बिना ही राज्य सरकार द्वारा ऋणों की स्वीकृति दी गई थी।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

आंतरिक ऋण के रूप में ₹25,526 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी, जिसमें वर्ष 2017-18 के दौरान ₹6,200 करोड़ का बाजार ऋण तथा वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से प्राप्त ₹668 करोड़ राशि शामिल थी जो पिछले वर्ष के ₹20,724 करोड़ की आंतरिक ऋण प्राप्तियों से ₹4,802 करोड़ (23 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार उधारी की प्रवृत्तियां पैरा 1.10 में विस्तृत रूप से दी गई।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण और अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम में 2016-17 में ₹24.70 करोड़ की राशि से वर्ष 2017-18 में ₹31.60 करोड़ तक ₹6.90 करोड़ की वृद्धि हुई तथा और उस वर्ष के दौरान ₹116 करोड़ की राशि का पुनः भुगतान किया गया।

1.5 लोक लेखों की प्राप्तियाँ

राज्य के लोक लेखों में जमा की गई राशियों के संबंध में सरकार एक संरक्षक या बैंकर के रूप में कार्य करती है और प्रत्येकी देयताओं को वहन करती है। लोक लेखों के प्रमुख घटक राज्य भविष्य निधि, बीमा/पेंशन बीमा निधि, आरक्षित निधि, जमा और अग्रिम हैं। इसके अलावा, सरकारी खातों के सार्वजनिक लेखा अनुभाग का उपयोग ट्रांज़िटररी को रिकॉर्ड करने और उन्हें उपयुक्त प्राप्ति अथवा लेखे के भुगतान शीर्ष में नकद शेष सव्यंवाहार के रूप में उनके अंतिम लेखांकन से पूर्व उचन्त और विविध और प्रेषण शीर्षों के तहत सव्यंवाहारों के माध्यम से पारित किया जाता है। निम्न तालिका 1.17 लोक लेखों के विभिन्न भागों के तहत प्राप्तियों और संवितरणों में प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं।

तालिका 1.17: लोक लेखे की रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

लोक लेखे के घटक	लोक लेखे की प्राप्तियाँ		लोक लेखे से संवितरण		संवितरण से ऊपर प्राप्तियों की अधिकता	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
लघु बचते (राज्य भविष्य निधि पेंशन/ बीमा निधि)	4,626	5,032	2,780	3,476	1,846	1,556
आरक्षित निधियां	452	419	111	129	341	290
जमा	3,794	4,894	2,845	3,810	949	1,084
अग्रिम	29	0	29	0	0	0
प्रेषण	9,320	934	10,010	3,889	(-)690*	(-)2,955*
शेष निवेश लेखे में प्राप्तियां	14,165	15,576	14,122	15,576	43	0

विभागीय नकद शेष लेखे में प्राप्तियाँ	07	0	06	0	01	0
अन्य उचन्त और विविध	3,590	3,842	3,683	3,981	(-93)	(-139)
कुल	35,983	30,697	33,586	30,861	2,397	(-164)

स्रोत संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखे

*छूट के तहत, पिछले वर्ष के लेखे में समायोजन/ गैर-समायोजन के कारण प्राप्तियों की अधिकता से ज्यादा संवितरण किया गया था।

लोक लेखों की प्राप्तियाँ 2016-17 में ₹35,983 करोड़ से घटकर ₹30,697 करोड़ हो गई, पिछले वर्ष की तुलना में प्रेषणों के तहत कम प्राप्तियों/ संवितरण की कमी के कारण वर्ष 2016-17 में ₹33,586 करोड़ से वर्ष 2017-18 में ₹30,861 करोड़ राशि के संवितरणों में भी कमी हुई। 2016-17 में संवितरण पर प्राप्तियों की अधिकता ₹2,397 करोड़ थी और यह 2017-18 के दौरान मुख्य रूप से प्राप्तियों पर प्रेषण की संवितरण के कारण 2017-18 में ₹164 करोड़ ऋणात्मक तक कम हुआ।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग


राज्य अपने शासकीय कार्यों का निष्पादन करने, और आर्थिक सेवाओं के वितरण के स्तर को अनुरक्षित रखने, पूंजी व्यय, और निवेश द्वारा इन सेवाओं के प्रसार में विस्तार करने और ऋण सेवा दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संसाधनों को जुटाता है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से तो प्रभावित नहीं करती है। अवसरचना के अनुरक्षण, नई अवसरचना का सृजन तथा विकास और सामाजिक न्याय की अन्य जरूरतों के लिए निर्देशित सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता के प्रतिकूल रूप से प्रभावित तो नहीं है।

1.6.1 व्यय की संयोजन और बढ़ोतरी

चार्ट 1.12 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.12: कुल व्यय प्रवृत्तियां और संयोजन


(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखे


उक्त चार्ट 1.12 से, यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय में 2013-14 में ₹31,686 करोड़ से 2017-18 में ₹51,294 करोड़ तक ₹19,608 करोड़ (62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उसी समय में पूंजी व्यय (ऋणों और अग्रिमों सहित) में ₹4,628 करोड़ से ₹10,378 करोड़ तक ₹5,750 करोड़ (124 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 2013-14 में ₹27,058 करोड़ 2017-18 में ₹40,916 करोड़ तक ₹13,858 करोड़ (51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कुल व्यय में राजस्व का प्रमुख भाग था क्योंकि 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व व्यय पर 85 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक व्यय किया गया था।

चार्ट 1.13: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



हालांकि, 2017-18 के दौरान, राजस्व व्यय का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 में पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर) में ₹5,846 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका कुल व्यय में हिस्सा 2013-14 में 14.22 प्रतिशत से 2017-18 में 20.18 प्रतिशत तक बढ़ा। हालांकि, 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में ₹2,853.33 करोड़ के राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण पूंजीगत व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई थी। संवितरित ऋण और अग्रिमों की हिस्सेदारी 2016-17 में 0.16 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 0.05 प्रतिशत हो गई थी।

चार्ट 1.14: कुल व्यय: गतिविधियों द्वारा प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)



सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का एक संयुक्त हिस्सा जो विकास व्यय को दर्शाता है, वह 2013-14 में 62 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 65 प्रतिशत हो गया। व्यय के विभिन्न घटकों के सापेक्ष हिस्सेदारी की गतिविधि ने संकेत दिया कि 2017-18 में सामान्य सेवाओं का हिस्सा 35 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष में यह 33 प्रतिशत था, हालांकि सामाजिक सेवाएं पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गईं। आर्थिक सेवाएं भी 2017-18 में 38 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत हो गईं। आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में विकास राजस्व व्यय में कमी के होने कारण 67 प्रतिशत से घटकर 65 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.18 पाँच वर्षों (2013-18) से अधिक राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	27,058	29,329	36,420	39,812	40,916
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.73	8.39	24.18	9.31	2.77
जीएसडीपी से प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	28	30	31	31	29

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय में ₹13,858 करोड़ (51 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई लेकिन, उसी अवधि के दौरान जीएसडीपी से इसका प्रतिशत 28 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹39,812 करोड़ से ₹40,916 करोड़ तक ₹1,104 करोड़ (2.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सामान्य सेवाओं के तहत ₹15,110 करोड़ से ₹16,888 करोड़ तक ₹1,778 करोड़ की वृद्धि हुई, सामाजिक सेवाओं में ₹1,553 करोड़ की वृद्धि हुई थी जो ₹11,564 करोड़ से बढ़कर ₹13,117 करोड़ तक हो गई थी, मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति स्वच्छता, पेंशन और विविध सेवाओं के तहत थी और आर्थिक सेवाओं में ₹2,227 करोड़ का व्यय कम हुआ था जो कि मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र के तहत था।

2017-18 में ₹40,916 करोड़ का राजस्व व्यय 14वें वित्त आयोग के द्वारा किए गए प्रक्षेपण (₹36,092 करोड़) से भी अधिक था जो मुख्य रूप से वेतन और पेंशन भुगतान के कारण हुआ था।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों, वेतनों, पेंशन पर व्यय और आर्थिक सहायता निहित है। तालिका 1.19 और चार्ट 1.15 2013-18 के दौरान इन घटकों पर व्यय में हुई प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन	11,605	11,733	15,038	15,130	20,229	16,123
ब्याज भुगतान	3,001	3,533	3,719	4,567	5,157	4,663
पेंशन पर व्यय	3,592	3,686	3,781	4,216	5,000	5,408
आर्थिक सहायता	86	55	68	1,337	0	1,306
कुल	18,284	19,007	22,606	25,250	30,386	27,500
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	67	66	63	60		57
राजस्व व्यय का प्रतिशत	68	65	62	63		67

स्रोत संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखे

चार्ट 1.15: कुल राजस्व व्यय में संयुक्त प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)



पेंशन भुगतान ने 2013-14 में ₹3,592 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹5,408 करोड़ तक वृद्धि की और पिछले वर्ष की तुलना में 28.27 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई तथा ब्याज भुगतान 2013-14 में ₹3,001 करोड़ से 2017-18 में ₹4,663 करोड़ तक ₹1,662 करोड़ (55.38 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। वेतनों पर व्यय में 2016-17 में ₹15,130 करोड़ से 2017-18 में ₹16,123 करोड़ तक 2017-18 के दौरान 6.56 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और अन्य आर्थिक सहायताओं के लेखों में पिछले वर्ष 63 प्रतिशत के प्रति 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत निहित था।

वेतनों पर व्यय

2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान वेतनों पर व्यय ने ₹4,518 करोड़ (38.93) प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान, वेतनों और मजदूरियों पर व्यय का सीएजीआर 6.60 प्रतिशत था, जो एससीएस से (20.60 प्रतिशत) कम था (परिशिष्ट 1.1)।

ब्याज भुगतान

राजस्व प्राप्तियों में ब्याज के भुगतान का प्रतिशत 2013-14 में 11.06 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 9.61 प्रतिशत तक हो गया। ब्याज भुगतानों में पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) की अवधि में ₹3,001 करोड़ से ₹4,663 करोड़ तक ₹1,662 करोड़ (55.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई इसमें पिछले वर्ष से ₹96 करोड़ (2.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹4,663 करोड़ के ब्याज भुगतान 14वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से अधिक थे (₹4,019 करोड़)।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान (₹5,408 करोड़) में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 50.55 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय की 13.21 प्रतिशत थी। 2017-18 में पेंशन भुगतानों पर व्यय 14वें वित्त आयोग (₹5,297 करोड़) द्वारा किए गए आंकलनों से अधिक था। पेंशन देयताओं की वृद्धि को पूरा करने के लिए, राज्य द्वारा एक नई परिभाषित पेंशन अंशदान योजना (नई पेंशन योजना) की शुरुआत की गई जो 01 जनवरी 2010 से लागू हुई।

आर्थिक सहायताएं

आर्थिक सहायता पर व्यय में 2013-14 में ₹86 करोड़ से 2017-18 में ₹1,306 करोड़ तक ₹1,220 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान आर्थिक सहायता पर व्यय राजस्व व्यय का तीन प्रतिशत था। वे प्रमुख शीर्ष जिन पर उस वर्ष के दौरान आर्थिक सहायताएं प्रदान की गई थी, विद्युत विकास विभाग (₹1,150 करोड़) और कृषि उत्पादन विभाग (₹119.90 करोड़) थे।

नई पेंशन योजना

जम्मू और कश्मीर राज्य में नई पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत 01 जनवरी 2010 से की गई थी। एन.पी.एस जो उन सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने 2010 में सरकारी सेवाओं के पद का कार्यभार ग्रहण किया था, एक “परिभाषित

अंशदान पेंशन योजना” है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक माह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹687.72 करोड़ (वर्ष 2017-18 के दौरान एन.पी.एस का कुल अंशदान ₹622.16 करोड़ था जिसमें कर्मचारियों का अंशदान और राज्य सरकार का बराबर अंशदान ₹311.08 करोड़ और ₹65.56 करोड़ की पिछली देयताओं भी शामिल है) में से ₹628.31 करोड़ को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधन को जमा लेखों के इस शीर्ष से हस्तांतरित किया गया था। 31 मार्च 2018 तक एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक में हस्तांतरित किए जाने हेतु अपेक्षित सरकारी कर्मचारियों के ₹59.41 करोड़ की राशि प्रमुख शीर्ष 8342 - “अन्य जमा” - 117 “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” के तहत थी। एनपीएस अंशदानों की अपलोडिंग में 1 से 14 दिनों के बीच विलंब हुआ था और यह नेटवर्किंग की समस्याओं, अपलोडिंग की देय विधि पर अवकाश होने/ पडने, और पीआरएएन इत्यादि के निष्क्रिय होने के कारण हुआ था।

मार्च 2018 की समाप्ति पर राजकोष में ₹3.64 करोड़ की राशि थी जो उनके संबंधित स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के प्रति ग्राहक अंशदान के खाते में समायोजित नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 की शुरुआत से नई पेंशन योजना से संबंधित ₹65.56 करोड़ का शेष था जिस पर ₹5.11 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित था (वर्ष 2017-18 के लिए 7.80 प्रतिशत ब्याज दर जीपीएफ लेकर)। राज्य सरकार ने एनपीएस पर किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया था, प्रोद्भूत ब्याज सहित संग्रहित, बेमेल तथा हस्तांतरित राशि योजना के तहत राज्य सरकार की उन बकाया देयताओं को प्रस्तुत करती है जिसकी संगणना नहीं की गई।

सरकार को ब्याज सहित उस बकाया राशि को बिना विलंब के जमा करना चाहिए। जो जीपीएफ पर दी गई ब्याज भुगतान की दर से कम नहीं होनी चाहिए।

1.6.4 स्थानीय और स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय और स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान सहायक के रूप में दी जाने वाली सहायता को निम्नलिखित रूप से सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों/ स्वायत्त निकायों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	538.22	303.68	506.89	519.02	1,489.30
आवासीय और शहरी विकास	192.45	447.55	512.50	518.33	627.45
कृषि	13.80	158.93	186.79	265.59	243.66

सामान्य प्रशासन	19.46	12.55	13.11	17.35	38.37
उद्योग और वाणिज्य	23.52	20.32	21.47	20.29	39.98
पर्यटन	8.86	20.50	33.23	18.71	31.85
न्याय प्रशासन	0.05	4.77	6.01	5.97	6.94
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	14.06	134.82	51.81	337.06	245.41
अन्य	671.38	432.23	190.87	26.83	31.15
कुल	1,481.80	1,535.35	1,522.68	1,729.15	2,754.11
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता सहयोग	5.47	5.23	4.18	4.34	6.73

स्रोत संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे

वित्तीय सहायता में वर्ष 2013-14 में ₹1,481.80 करोड़ से वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹2,754.11 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल सहायता का 76.86 प्रतिशत (₹2,754.11 करोड़) शिक्षा व खेल, कला और संस्कृति तथा आवासीय और शहरी विकास को दिया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹557.89 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास (जिसमें से लेह को ₹278.31 करोड़ और कारगिल को ₹279.58 करोड़ दिए गए थे) को प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य में 4,483 पंचायती राज संस्थान हैं (पीआरआई)। चयनित पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के अभाव के कारण वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों को जारी नहीं किया गया था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और प्रत्यक्ष आधारभूत संरचना की उपलब्धता प्रायः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलतः तीन पहलू शामिल हैं: व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय की दक्षता (उपयोग) और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम संबंधों का निर्धारण)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानव विकास को बढ़ाने के लिए, राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय निर्धारित करने की आवश्यकता है। तालिका 1.21 वर्ष 2017-18 के दौरान विकास हेतु व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और पूंजीगत व्यय से संबंधी सरकार की राजकोषीय क्षमता का विशेष श्रेणी के राज्यों के औसत के संबंध में विश्लेषण करता है।

तालिका 1.21: 2013-14 और 2017-18 में विशेष श्रेणी के राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ईई/जीए सडीपी	एसएस ई/ईई	ईएससी /ईई	डीई/ईई	सीई/ईई	शिक्षा/ईई	स्वास्थ्य/ईई
विशेष श्रेणी वाले राज्य (अनुपात) 2013-14	23.50	37.60	29.30	64.00	13.80	18.30	5.40
जम्मू और कश्मीर (अनुपात) 2013-14	33.14	23.82	32.04	56.25	14.22	13.52	5.63
विशेष श्रेणी वाले राज्य (अनुपात) 2017-18	25.80	34.90	28.90	58.90	15.50	18.20	6.20
जम्मू और कश्मीर (अनुपात) 2017-18	36.41	31.01	34.46	65.51	20.18	15.32	6.00


ईई:-समुच्चय व्यय, डीई-विकास हेतु व्यय, एसएसई सामाजिक क्षेत्र हेतु व्यय

सीई:-पूँजीगत व्यय ईएससी- आर्थिक क्षेत्र

जीएसडीपी के लिए स्रोत आर्थिक निदेशालय और सांख्यिकीय विभाग जम्मू और कश्मीर

चार्ट 1.16: वर्ष 2017-18 के लिए सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता

(प्रतिशत में)



राजकोषीय प्राथमिकता:

- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य का सकल व्यय 2013-14 और 2017-18 के दौरान अधिक था।
- वर्ष 2013-14 और 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर में शिक्षा को दी गई प्राथमिकता कम थी।

- वर्ष 2013-14 और 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर में एई से सीई का अनुपात अधिक था।
- 2013-14 और 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर में एई से एसएसई का अनुपात कम था, हालांकि उसी अवधि के दौरान आर्थिक क्षेत्र में यह अधिक था।

1.7.2 उपयोग किए गए व्यय की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उचित व्यय युक्तिकरण उपायों को अपनाए और मुख्य सार्वजनिक और लाभदायक सेवाओं के प्रावधान पर जोर दे। विकास हेतु व्यय की आवंटन में सुधार के अलावा, विशेष रूप से मौजूदा वर्षों में ऋण सेवा में गिरावट के कारण राजकोषीय क्षेत्र को ध्यान में रखकर कुल व्यय (और/ या जीएसडीपी) और मौजूदा सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के परिचालन और रखरखाव पर व्यय किए गए राजस्व का अनुपात के द्वारा से पूंजीगत व्यय के अनुपात के द्वारा व्यय के उपयोग की दक्षता को दर्शाया जाता है। कुल व्यय (और/ या जीएसडीपी) इन घटकों के अनुपात से अधिक होगा, इससे व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। तालिका 1.22 पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के समुच्चय व्यय से संबंधी विकास व्यय में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

2013-14 से 2017-18 के दौरान विकास हेतु व्यय में ₹13,968 करोड़ (71.14 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाया और उसी अवधि के दौरान कुल व्यय की तुलना में यह 61.97 प्रतिशत से 65.51 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई।

तालिका 1.22 में चयनित सार्वजनिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गए पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के घटकों का ब्यौरे दिए गए हैं।

तालिका 1.22: विकास हेतु व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल व्यय	31,686	34,550	43,845	48,174	51,294
कुल विकास व्यय	19,635	21,903	29,058	32,295	33,603
विकास राजस्व व्यय (₹करोड़ में)	15,655	17,290	22,745	24,702	24,028
कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	49.41	50.04	51.87	51.28	46.84
विकास पूंजीगत व्यय (₹करोड़ में)	3,859	4,526	6,219	7,517	9,550
कुल व्यय में विकास पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	12.18	13.10	14.18	15.60	18.62

विकास के लिए ऋण और अग्रिम (₹करोड़ में)	121	87	94	76	25
कुल व्यय से कुल विकास व्यय (प्रतिशत में)	61.97	63.40	66.27	67.03	65.51

स्रोत संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे

कुल व्यय में विकास हेतु पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी की वर्ष 2013-14 में 12.18 प्रतिशत से 2017-18 में 18.62 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि 2013-14 से 2015-16 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 49.41 से 51.87 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि हुई, तत्पश्चात् यह वृद्धि दो वर्ष के लिए घट गई और उन वर्षों के दौरान यह 46.84 प्रतिशत तक कम हो गई। विकास हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार विकास निर्माण कार्यों और परिसंपत्तियों के सृजन के लिए खर्च कर रही है। हालांकि, पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के ₹2,853 करोड़ के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में उस हद तक बढ़ोतरी हुई।

तालिका 1.23: चयनित आर्थिक और सामाजिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक संरचना	2015-16			2016-17			2017-18		
	सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा		सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा		सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा	
		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम
सामाजिक क्षेत्र (एसएस)									
सामान्य शिक्षा	8.39	66.03	1.70	8.93	69.46	0.02	11.26	63.00	0.03
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	9.22	74.01	66.33	15.47	70.30	0.82	16.59	72.65	0.88
जल आपूर्ति, स्वच्छता व आवास तथा शहरी विकास	28.76	46.27	51.43	31.23	49.19	4.43	32.79	42.39	4.93
अन्य	49.95	20.68	25.55	22.54	14.33	0.03	19.91	15.54	0.01
कुल (एसएस)	19.09	59.88	25.51	16.62	59.07	0.91	17.52	56.26	0.98
आर्थिक क्षेत्र (ईएस)									
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	27.59	80.37	19.48	27.26	80.02	0.24	31.09	80.29	0.25
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	42.82	78.22	50.95	47.94	61.62	9.32	41.71	62.54	8.73
बिजली और ऊर्जा	4.19	9.16	70.90	7.98	7.60	0.74	11.54	12.74	1.58
यातायात	48.50	0.07	2.18	51.68	0.03	12.09	54.08	0.01	7.10
अन्य	48.85	8.55	11.59	57.42	41.56	0.75	62.30	44.79	0.92
कुल (ईएस)	23.70	3.88	3.88	28.40	24.76	1.67	38.26	31.91	2.23
कुल (एसएस)+(ईएस)	21.47	62.45	29.09	23.33	40.82	1.31	28.44	45.20	3.41

टीई: संबंधित सेवाओं पर कुल व्यय; सीई पूंजीगत व्यय; आरई राजस्व व्यय; एस एवं डब्ल्यू वेतन और मजदूरी; ओ एवं एम: परिचालन और रखरखाव

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र में कुल व्यय के लिए पूंजीगत व्यय का अनुपात 2015-16 में 21.47 प्रतिशत, से 2016-17 में 23.33 प्रतिशत और 2017-18 में 28.44 प्रतिशत की लगातार वृद्धि हुई है यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में 23.70 प्रतिशत से 38.26 प्रतिशत व्यय में हुई वृद्धि के कारण हुई थी। **आर्थिक क्षेत्र में हुई वृद्धि के कारण विद्युत और ऊर्जा, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ तथा यातायात में भी वृद्धि हुई।**

1.8 सरकार के पूंजीगत व्यय और निवेश का वित्तीय मूल्यांकन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के भाग के रूप में, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अपने वित्तीय घाटे को निम्न स्तर पर रखे बल्कि अपने पूंजीगत/ निवेश (ऋण और अग्रिम सहित) की आवश्यकताओं को राजस्व से पूरा करें। इसके अलावा, बाजार आधारित संसाधनों पर निर्भरता को पूरा करने के लिए संव्यवहार में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए उपाये करने और अंतर्निहित सब्सिडी के रूप में अपने बजट पर उसका वहन करने की बजाय उधार ली गई निधियों की लागत की वसूली करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह भाग पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा वर्ष के दौरान सरकार किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर 31 मार्च 2018 तक ₹एक करोड़ या उससे अधिक की लागत की अपूर्ण परियोजनाओं के ब्यौरे वित्तीय लेखों के परिशिष्ट IX में दिये गये हैं। 428 अपूर्ण परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.24: 31 मार्च 2018 तक अपूर्ण परियोजनाओं के विभागानुसार प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत परियोजना लागत	संशोधित लागत	वास्तविक व्यय सहित	लागत से अधिक
सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजिनियरींग (पीएचई), श्रीनगर*	02	17.25	17.25	16.99	-
सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजिनियरींग (पीएचई), जम्मू	23	36.07	46.41	39.82	10.34 (10)

लोक निर्माण विभाग (आरएवंबी), कश्मीर	33	58.61	80.89	43.24	22.28 (18)
लोक निर्माण विभाग (आरएवंबी), जम्मू*	364	1250.18	1250.18	375.28	-
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण श्रीनगर	01	70.20	71.29	69.39	1.09 (01)
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जम्मू*	05	31.01	31.01	24.90	-
कुल	428	1,463.32	1,497.03	569.62	33.71(29)

स्रोत वित्तीय लेखे

*371 अपूर्ण परियोजनाओं में संशोधित लागत वित्तीय लेखा-खण्ड-II के परिशिष्ट IX में नहीं दर्शायी गई है। (कोष्ठक में आंकड़े निर्माण कार्यों को प्रस्तुत करते हैं)।

मार्च 2018 तक, एक करोड़ या उससे अधिक लागत की 428 अपूर्ण परियोजनाएं, 2012-13 से 2017-18 के दौरान लक्ष्य तिथि में पूरी की जानी थी। इन अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संस्वीकृत लागत ₹1,463.32 करोड़ थी जो ₹1,497.03 करोड़ तक संशोधित की गई थी। इन विभागों से संशोधित लागत के कारण (सितम्बर 2018) अपेक्षित थे। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹569.62 करोड़ की राशि मार्च 2018 तक खर्च की जा चुकी थी। 428 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 10 परियोजनाएं एक वर्ष से भी अधिक की अवधि के लिए विलंबित की गई थी, 12 परियोजनाएं पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिए विलंबित की गईं और शेष 406 परियोजनाएं जो 2017-18 में पूरी की जानी थी वे अपूर्ण ही रह गई थी। इस प्रकार, अपूर्ण परियोजनाएं/ निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और राज्य को लंबे अवधि हेतु मिलने वाले इच्छित लाभों से वंचित करती है।

सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने में हुई विलंब के कारणों का विश्लेषण कर सकती है और इसकी पूर्णता के लिए कदम उठा सकती है ताकि अपेक्षित लाभार्थों को प्राप्त किया जा सके।

1.8.2 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

₹461.84 करोड़ राशि के पूंजीगत व्यय सहित सात प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं³ के वित्तीय परिणाम मार्च 2018 के अन्त तक यह दर्शाते हैं कि 2017-18 के दौरान इन योजनाओं से सिर्फ ₹0.05 करोड़ (₹461.84 करोड़ के पूंजीगत व्यय का 0.01 प्रतिशत) का राजस्व संपादित किया गया। पिछले वर्षों की तुलना में सात प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से, ₹0.30 करोड़ के और ₹0.05 करोड़ के राजस्व प्राप्ति में गिरावट क्रमशः रनबीर कैनाल और प्रताप कैनाल के संबंध में थी। **योजनाओं की राजस्व**

³ 1. कठुआ फीडर कैनाल, 2. प्रताप कैनाल, 3. रनबीर कैनाल, 4. मार्टनड कैनाल, 5. जैनगीर कैनाल, 6. अहीजी कैनाल, 7. दादी कैनाल

प्राप्तियाँ प्रत्यक्ष निर्माण व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। निर्माण कार्य व्यय और ब्याज प्रभारों का पूरा होने के पश्चात् इन निर्माण कार्यों को कुल ₹3.66 करोड़ (पूँजीगत परिव्यय का 0.79 प्रतिशत) का नुकसान/ घाटा हुआ था। 2017-18 के दौरान प्रमुख हानि वहन करने वाली परियोजनाएं रनबीर कैनाल, प्रताप कैनाल और कठुआ फीडर थी।

1.8.3 निवेश और रिटर्न

वित्तीय लेखों की विवरणी के अनुसार 31 मार्च 2018 तक, राज्य का 24 कम्पनियों में (₹279.76 करोड़) ₹653.52 करोड़, तीन सांविधिक निगम में (₹322.74 करोड़), आठ सहकारी संस्थान/ स्थानीय निकाय में (₹37.83 करोड़) दो ग्रामीण बैंकों में (₹12.85 करोड़) और दो संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में (₹0.34 करोड़) का संचयी निवेश था। तालिका 1.25 सरकारी उधार की औसत लागत की तुलना में निवेश पर रिटर्न की समग्र वर्णन प्रदान करती हैं।

तालिका 1.25: निवेश पर रिटर्न

उधारी के निवेश/ रिटर्न/ लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के दौरान निवेश (₹करोड़ में)	35.02	3.90	10.67	255.90	96.08
वर्ष के अन्त में निवेश (₹करोड़ में)	533.27	537.17	547.83	803.74	653.52
रिटर्न (₹करोड़ में)	128.88	128.88	54.13	45.11	शून्य
रिटर्न (प्रतिशत में)	24.17	23.99	9.88	5.61	शून्य
सभी सरकारी देयताओं पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.07	7.6	7.17	7.77	7.15
रिटर्न और ब्याज दर में अन्तर (प्रतिशत)	17.10	16.39	2.71	(-) 2.16	(-) 7.15

स्रोत संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखें

वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति ₹128.88 करोड़ थी। हालांकि, यह घटकर 2015-16 में ₹54.13 करोड़, 2016-17 में ₹45.11 करोड़ हो गई और 2017-18 के दौरान कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। केवल जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड से ही निवेश पर रिटर्न आया जिसमें सरकार की 59.23 प्रतिशत इक्विटी है। वर्ष 2013-14 के दौरान लाभांश/ ब्याज की दर 24.17 प्रतिशत थी और यह आगामी वर्षों के दौरान निरन्तर घट गई तथा 2017-18 में कोई भी रिटर्न नहीं था, जबकि कथित अवधि के दौरान निवेश ₹533.27 करोड़ से बढ़कर ₹653.52 करोड़ हो गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने ₹401.57 करोड़ तक का निवेश किया

(कम्पनी - चार, वैधानिक निगम - दो और ग्रामीण/सहकारी बैंक - दो) इनमें से सिर्फ दो⁴ ने ही लाभ किया और शेष छह⁵ को निरन्तर हानि हुई तथा उनके लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के समय ₹3,153.29 करोड़ राशि की संयुक्त संचित हानियां हुई थी।

2017-18 के दौरान, राज्य द्वारा मुख्यतः हानि करने वाले वैधानिक उपक्रमों/ सरकारी कम्पनियों नामतः जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम (₹87.88 करोड़), जम्मू और कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम (₹3.75 करोड़), जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (₹3.55 करोड़) और जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹0.90 करोड़) में निवेश किया गया था। हालांकि, अन्तिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार इन वैधानिक निगमों/ सरकारी कम्पनियों के पास - जम्मू और कश्मीर वित्तीय निगम (₹135.50 करोड़ 2016-17 तक), जम्मू और कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम (₹1,148.11 करोड़ 2013-14 तक), जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (₹1,632.29 करोड़ 2016-17 तक), जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹5 करोड़ 2001-02 तक) संचित हानियाँ थी। 31 मार्च 2018 तक राज्य का उपरोक्त चार पीएसयू/ सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश ₹364.20 करोड़ है जिनकी संचित हानियाँ उनके लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक ₹2,920.90 करोड़ की थी।

राज्य सरकार द्वारा उन राज्य पीएसयू के कार्य की समीक्षा की जाए जिन्हें हानि हुई है और उनके समापन/ पुनः प्रवर्तन के लिए एक सामरिक योजना तैयार की जाए।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिमें

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में, निवेश के अतिरिक्त सरकार ऐसे बहुत से संस्थानों और संगठनों को ऋण और अग्रिम प्रदान कर रही है। तालिका 1.26 पिछले पांच वर्षों में ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों की 31 मार्च 2018 तक बकाया ऋण और की अग्रिम स्थिति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.26: राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिमों पर औसतन ब्याज प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

उधार/ लागत ऋण/ ब्याज प्राप्तियाँ/ की मात्रा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आदिशेष	1,292.55*	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	121.41	86.80	93.79	76.24	24.75
वर्ष के दौरान वसूल की गई रकम	4.13	2.69	4.09	19.36	4.41

⁴ जम्मू और कश्मीर सीमेंट निगम और जम्मू और कश्मीर नारी विकास निगम लिमिटेड

⁵ जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम, जम्मू और कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम, जे एण्ड के बैंक लिमिटेड, जे एण्ड के एससी/एसटी/बैंकव्याज क्लासेज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ईलाकि देहाती बैंक तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी कृषि संबंधी और ग्रामीण विकास बैंक

अंतशेष	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86
उनका बकाया शेष जिनके लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गईं					
कुल जोड़	117.28	84.1	89.70	56.89	20.34
ब्याज प्राप्तियाँ	1.64	1.88	0.97	1.88	2.17
बकाया ऋण और अग्रिमों के प्रतिशत अनुसार ब्याज प्राप्तियाँ	0.12	0.13	0.06	0.11	0.13
बकाया राजकोषीय देयताओं और ब्याज प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	6.72	7.31	6.72	7.34	6.84
ब्याज भुगतानों और ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत में)	6.60	7.18	6.66	7.23	6.71

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखें

*राज्य सरकार द्वारा विविधिकरण गत वर्गीकरण के सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹167.00 करोड़ की एक राशि में दर्शनार्थ वृद्धि हुई

हानि वहन कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ऋण और अग्रिमों की वसूली की संभावना नहीं है। विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए एफआरबीएम विवरणियों में इन ऋणों की संभावित वसूली के बारे कोई भी आंकलन नहीं किया गया है।

1.8.5 नकदी शेष और उनका निवेश

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए नकदी शेष और नकदी शेष के निवेश तुलनात्मक आकड़े निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.27: नकदी शेष और नकदी शेषों के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2017	अन्त शेष 31 मार्च 2018
(क) सामान्य नकद शेष		
राज्य कोष में शेष	6.77	6.77
रिजर्व बैंक के पास जमा	0.96	126.72
जम्मू और कश्मीर बैंक और अन्य बैंकों के साथ जमा	21.02	21.02
स्थानीय प्रेषण	-	-
कुल	28.75	154.51
नकदी शेष निवेश खाता में धारित निवेश	383.92	383.92
कुल (क)	412.67	538.43
(ख) अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों यानि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों के पास शेष	4.97	4.97
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय स्थायी अग्रिम	0.12	0.12
निर्धारित निधियों में से निवेश	10.86	10.86
कुल (ख)	15.95	15.95
कुल योग (क)+(ख)	428.62	554.38

स्रोत संबंधित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखें

01 अप्रैल 2011 से राज्य सरकार अपने नकदी/ अधिविकर्ष प्रबन्धन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है। 2017-18 के दौरान नकदी-शेष 31 मार्च 2017 तक ₹429 करोड़ से ₹125 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2018 तक ₹554 करोड़ हो गया।

वर्ष 2017-18 के लिए नकदी शेष निर्धारित आरक्षित निधियों ₹2,164 की राशि के समान/ बराबर नहीं था जिसका अर्थ है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अपेक्षित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य के लिए किया गया। 31 मार्च 2018 तक, ₹383.92 करोड़ की राशि नकद शेष निवेश खाता में रखी गयी और निर्धारित निधियों से ₹10.86 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। राज्य सरकार ने इस पर ₹6.52 करोड़ का ब्याज कमाया/ अर्जित किया।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान स्पेशल वेज और मींस एडवांस या वेज और मींस एडवांस (डब्ल्यूएमए) को लिए बिना 166 दिनों तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹1.14 करोड़ अनिवार्य न्यूनतम दैनिक नकदी शेष को बनाए रखा, और 199 दिनों तक न्यूनतम शेष का अनुरक्षण नॉर्मल वेज और मींस एडवांस को 94 बार किया अपनाकर गया था। राजस्व अधिशेष के बावजूद राज्य ने 27 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट लिया। 01 अप्रैल 2017 तक नॉर्मल मींस और मींस एडवांस के तहत ₹880.00 करोड़ का शेष था और आवरड्राफ्ट के तहत ₹10.01 करोड़ का शेष था। वर्ष 2017-18 के अन्त तक नॉर्मल वेज और मींस एडवांसेज के तहत ₹300.71 करोड़ शेष था और ओवरड्राफ्ट के तहत यह शून्य था तथा वर्ष 2017-18 के दौरान नॉर्मल वेज और मींस एडवांस और ओवरड्राफ्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक को क्रमशः ₹18.38 करोड़ और ₹3.99 करोड़ की राशि का ब्याज भुगतान किया गया था। राज्य को वेज और मींस एडवांसेज पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रबन्धन को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता है।

1.9 परिसंपत्तियां और देयताएं

1.9.1 परिसंपत्तियों और देयताओं की वृद्धि और सरंचना

वर्तमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व की भूमि और भवनों जैसी अचल परिसंपत्तियों का व्यापक लेखांकन नहीं किया गया। हालांकि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं को ऐतिहासिक लागत अर्थात् न्यूनतम रूप में बिना समायोजित करते हुए मूल्य वृद्धि/ मूल्यहास नकद अंतर्वाह और बहिर्वाह के रूप में किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को लिखा जाता है। वर्ष 2017-18 के वित्तीय लेखों के विवरण 12, निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का अवलोकन प्रदान करता है। 2017-18 के वित्त लेखों के विवरण 6 और विवरण 17 सरकार की वित्त प्रणाली की वित्त देयताओं जैसे खुला बाजार वित्त संस्थानों से उधारी, केन्द्र सरकार से ऋण और

अग्रिमों, और जहाँ पर सरकार एक ट्रस्टी और बैंकर के रूप में कार्य करती है उनके संबंध में लोक लेखों के तहत हुई कुल प्राप्तियों की सार स्थिति प्रदान करती है।

राज्य सरकार के वित्त लेखों में राज्य सरकार से संबंधित सभी परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि परिसंपत्तियों के सहायक अभिलेख और उनके मूल्यांकन का रखरखाव महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू और कश्मीर द्वारा नहीं किया जाता है। वित्त लेखों में केवल, संचयी पूंजीगत व्यय, परिसंपत्तियों के साक्षेप/ मूल्यहास के समायोजन के बिना नामांकित प्रवृत्तियों में प्रत्येक वर्ष में जमा किए जा रहे पूंजीगत व्यय को दर्शाया जाता है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

देयताओं के दो सेट हैं अर्थात्, सार्वजनिक ऋण और “लोक लेखों के तहत अन्य देयताएं”। सार्वजनिक ऋण में बाजार ऋण, आरबीआई द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों शामिल होते हैं। अन्य देयताएं, जो लोक लेखों के भाग हैं, इसमें लघु बचत योजना के तहत जमा, भविष्य निधि और अन्य जमा शामिल हैं। पाँच वर्षों के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना तालिका 1.28 में प्रस्तुत की गई है (2013-14 से सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियाँ) (परिशिष्ट 1.4 और 1.5)।

तालिका 1.28: 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियाँ
(₹ करोड़ में)


राजकोषीय देयताओं के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खुला बाजार व वित्त संस्थानों से आंतरिक ऋण-उधारियाँ	24,715 (55)	26,525 (55)	30,452 (55)	34,267 (55)	37,419 (55)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिमों	1,775 (4)	1,675 (3)	1,579 (3)	1,489 (2)	1,405 (2)
लोक लेखा देयताएं	18,183 (41)	20,114 (42)	23,327 (42)	26,463 (43)	29,393 (43)
जीएसडीपी	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
कुल राजकोषीय देयताएं	44,673	48,314	55,358	62,219	68,217
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.94	8.15	14.57	12.39	9.64
राजस्व प्राप्तियाँ	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय देयताएं	164.67	166.95	154.71	148.22	140.62
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.47	6.68	23.64	17.31	15.56

अधिक्य अनुपात					
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताएं	3.15	1.22	0.61	0.71	0.62
जीएसडीपी की तुलना में राजकोषीय देयताएं	1.12	2.83	0.76	1.50	0.87

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राजकोषीय देयताओं को प्रतिशत में हैं। राजस्व प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं को अनुपात और जीएसडीपी से राजकोषीय देयताएं का अनुपात एक से कम है जो उत्साहजनक है।

चार्ट 1.17: बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें

सरकार की कुल राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2013-14 में ₹44,673 करोड़ से वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹68,217 करोड़ हो गई। इसमें 31 मार्च 2017 के अन्त में ₹62,219 करोड़ से 31 मार्च 2018 की समाप्ति तक ₹68,217 करोड़ तक ₹5,998 करोड़ की वृद्धि हुई। जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में, संचित राजकोषीय देयताओं में 2016-17 के अन्त तक 49.05 प्रतिशत से 2017-18 के अन्त तक 48.41 प्रतिशत तक कमी आई। 31 मार्च 2018 को संचित देयताएँ सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹48,512 करोड़) से 1.41 गुणा अधिक और सरकार के अपने कर और गैर-कर राजस्वों से 4.91 गुणा अधिक थी। 2017-18 के दौरान जीएसडीपी के संबंध में इन देयताओं का आधिक्य अनुपात 0.87 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि जीएसडीपी में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु वित्तीय देयताएँ 0.87 गुणा बढ़ जाती हैं। इस बात पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2017-18 के लिए 14वें वित्त आयोग में अनुमानित ₹66,639 करोड़⁶ की सीमा से ₹68,217 करोड़ की राजकोषीय देयताएँ ₹1,578 करोड़ अधिक थी।

⁶ 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (जीएसडीपी का 47.30 प्रतिशत) के आधार पर संगणित

1.9.3 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां वे निधियां होती हैं जो राज्य के लोक लेखों का हिस्सा होती हैं इसकी सरचना समेकित निधि से विनियोजित राशियों से एक अलग उद्देश्य के लिए रखी हुई निधि होती है। तालिका 1.29 में 31 मार्च 2018 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में अंत शेषों की गतिविधि दर्शाई गई है। 31 मार्च 2018 के अन्त में इन निधियों में संचित समुच्च्य शेष ₹2,175 करोड़ था जिसमें से ₹11 करोड़ सरकारी लेखों से बाहर निवेश किए गए हैं। निधियों में लेन-देनों की प्राप्ति/ संवितरण की समीक्षा से यह भी देखा गया है कि, अधिकतर निधियां निष्क्रिय थी जिनमें शून्य/ नगण्य संव्यवहार हुए थे।

तालिका 1.29: आरक्षित निधि के तहत वर्ष के अन्त में अन्त शेष की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियां	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियां					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	882	202	336	600	740
ब्याज वहन करने वाली कुल-आरक्षित निधि	882	202	336	600	740
आरक्षित निधियां जो ब्याज वहन नहीं करती					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	28	28	--	--	--
ऋण शोधन निधि	61	97	135	169	220
अकाल राहत निधि	9	9	8	9	9
सरकार के वाणिज्य विभाग/ उपक्रम की मूल्यहास और नवीकरण आरक्षित निधि	574	574	573	573	573
सरकार के गैर वाणिज्य विभाग की मूल्यहास और नवीकरण और आरक्षित निधियां	73	73	73	73	73
कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि	41	41	41	41	41
निर्वाचन क्षेत्र विकास निधियां	95	72	104	116	160
अन्य विकास और कल्याण निधियां	104	85	115	136	183
सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	68	66	65	63	67
गारंटी विमोचन निधि	6	7	8	12	15
अन्य निधियां	67	77	86	93	94

कुल-आरक्षित निधियां ब्याज वहन नहीं करने वाली	1,126	1,129	1,208	1285	1,435
कुल आरक्षित निधियां	2,008	1,331	1,544	1,885	2,175
जिसका शेष निवेश किया गया					
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निवेश	11	11	11	11	11

स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें

1.9.3.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

(क) 01 अप्रैल 2017 तक, ₹600.56 करोड़ निधि से निवेश किए गए (जिसमें ₹10.86 करोड़ शामिल है) निधि में पड़े थे। 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि जारी नहीं की गई। हालांकि पिछले वर्ष की ₹162.03 करोड़ की राशि (₹120.60 करोड़ केन्द्र सरकार का हिस्सा, ₹13.50 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा, और ₹27.93 करोड़ ब्याज) निधि में हस्तांतरित की गई। वर्ष के दौरान, ₹22.20 करोड़ की निधि प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च की गई, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 तक निधि ₹740.39 करोड़ की शेष निधि बची। निधि का प्रबंधन करने वाली राज्य की कार्यकारी समिति (एसईसी) की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और या नीलाम राजकोषीय बिलों और/ या सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वहन करने वाली जमा और जमा प्रमाणपत्र में निवेश हेतु अपेक्षित ₹729.53 करोड़ के निवल शेष (₹740.39 करोड़ में से ₹10.86 करोड़, की निवेश राशि घटाकर) को निवेश नहीं किया गया था (मार्च 2018)।

(ख) वर्ष 2017-18 के आरंभ ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियों (एसडीआरएफ) के तहत ₹600.56 करोड़ का बकाया शेष था और ₹36.54 करोड़ (वेज और मींस एडवांस पर औसतन ब्याज दर 01 अप्रैल 2017 से 01 अगस्त 2017 तक 6.25 प्रतिशत और 02 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 तक छह प्रतिशत) लेकर ब्याज वहन करने वाली निधि (एसडीआरएफ) के तहत पड़े हुए ₹600.56 करोड़ के शेष पर ब्याज के रूप में भुगतान किए जाने अपेक्षित थे। राज्य सरकार को वर्ष 2016-17 के लिए एसडीआरएफ अनुदानों की दूसरी किश्त के संबंध में विलंब के कारण प्रोदभूत ब्याज के कारण ₹1.26 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। **हालांकि, ₹37.80 करोड़⁷ के ब्याज के भुगतान के प्रति, राज्य सरकार ने ब्याज वहन करने वाले आरक्षित निधियों (एस.डी.आर.एफ) पर ₹27.93 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹9.87 करोड़ तक ब्याज का कम भुगतान हुआ।**

⁷ ₹37.80 करोड़ का कुल देय ब्याज (वर्ष 2016-17 के लिए राज्य द्वारा भुगतान किए जाने वाला ₹36.54 करोड़ का ब्याज तथा एसडीआरएफ के अनुदानों की दूसरी किश्त के संबंध में विलम्ब हेतु प्रोदभूत ब्याज के कारण ₹1.26 करोड़)

1.9.3.2 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार से कुल बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत अनुरक्षित करना अपेक्षित है, क्योंकि वार्षिक देयताओं का 0.5 प्रतिशत निधि में किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक, इस निधि में शेष राशि इस निधि में वास्तव में हस्तांतरित ₹219.55 करोड़ के प्रति ₹294.13 करोड़ होने चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ₹74.58 करोड़ की धनराशि का अंशदान में कम हुआ। इससे वर्ष 2017-18 के दौरान ₹29.99 करोड़ अर्थात ₹5,997.95 करोड़ की कुल वार्षिक देयताओं का 0.5 प्रतिशत के अपेक्षित अंशदान के प्रति ₹50.79 करोड़ का अंशदान किया गया था। मार्च 2018 तक निधि के तहत शेष धनराशि का निवेश नहीं किया गया था।


1.9.3.3 गारंटी शोधन निधि

राज्य सरकार ने विभिन्न राज्य सरकार संस्थानों को दी गई गारंटियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं को पूरा करने के लिए 2005-06 में गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) की स्थापना की। दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य सरकार से पिछले वर्ष के अन्त तक बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत की दर पर निधि में न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने ₹13.17 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता अर्थात {31 मार्च 2017 को ₹2,633.95 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति (₹1.97 करोड़ का ब्याज छोड़कर) का 0.5 प्रतिशत के प्रति 2017-18 में निधि में ₹1.00 करोड़ का अंशदान किया} जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए अभिदान में ₹12.17 करोड़ की कमी हुई। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ दो करोड़ की धनराशि गारंटी कमीशन/ शुल्क के रूप में प्राप्त की और इसे निधि में जमा किया गया। 31 मार्च 2018 तक निधि का अन्त शेष ₹15.42 करोड़ था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित निधि में अभिदान वार्षिकी किए जाएं जैसा कि निर्धारित है।

1.9.4 गारंटी की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

गारंटी उस उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि से दी जाने वाली आकस्मिक देयताएं हैं जिसके लिए गारंटी दी गई है वित्त लेखों के विवरण 9 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के लिए अधिकतम राशि, जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटी दी जा सकती थी और ब्याज सहित, बकाया गारंटियों को नीचे तालिक बद्ध किया गया है:




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

एफआरबीएम अधिनियम, 2006 में वार्षिक वार्धिक जोखिम वाली गारंटियों की राशि को पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत या पिछले वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बकाया गारंटी ₹2,414.10 करोड़ (ब्याज रहित) (राज्य सरकार के साथ समायोजन के अंतर्गत) थी जो ₹1.97 करोड़ के ब्याज सहित 2016-17 के ₹41,978 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के 5.75 प्रतिशत और 2016-17 के ₹1,26,847 करोड़ (वर्तमान मूल्य) का जीएसडीपी के 1.90 प्रतिशत है जैसाकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है (28 अगस्त 2018)। राज्य सरकार ने अभी (सितम्बर 2018 तक) विभिन्न गारंटियों के जोखिमों का मूल्यांकन नहीं किया है।

राज्य सरकार के विभागों/ राज्य के अपने निगमों और पीएसयू तथा अन्य स्वायत्त और सांविधिक निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) की स्थापना (2005-06) की है। कथित आदेश में गारंटी कमीशन/ शुल्क के उदग्रहण के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो गारंटी का दो प्रतिशत होता है, जैसा कि राज्य वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया था। 2017-18 के दौरान ₹दो करोड़ की राशि गारंटी शुल्क/कमीशन के रूप में प्राप्त की गई थी।

चार्ट 1.20: 31 मार्च 2018 के अन्त में गारंटियों का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: राज्य वित्त लेखे

राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किया गया चौरानवे प्रतिशत ऋण जम्मू और कश्मीर विद्युत बोर्ड और जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास निगम से संबंधित था।

31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई कुल बकाया गारंटियां ₹2,414.10 करोड़ पर संचित थी (ब्याज रहित) (राज्य सरकार के मिलान सहित) जो 2016-17 के ₹41,978 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.75 प्रतिशत है और जो एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा में हैं।

1.10 ऋण प्रबंधन

तालिका 1.30 पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार के आंतरिक ऋण रूपरेखा का समय श्रृंखला मूल्यांकन प्रदान करती है।

तालिका 1.30: राज्य सरकार की आंतरिक ऋण रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान कर्ज अदायगी	अन्त शेष	वृद्धि/ गिरावट	पिछले वर्ष पर वृद्धि प्रतिशत
2013-14	22,796.18	5,986.82	4,068.12	24,714.88	1,918.70	08
2014-15	24,714.88	10,246.80	8,436.28	26,525.40	1,810.52	07
2015-16	26,525.40	14,627.78	10,701.55	30,451.63	3,926.23	15
2016-17	30,451.63	20,723.83	16,908.71	34,266.75	3,815.12	13
2017-18	34,266.75	25,525.97	22,374.19	37,418.53	3,151.78	09

स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें

आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, एलआईसी, जीआईसी और अन्य संस्थानों से ऋण, शामिल है, जैसा कि वित्त लेखें के विवरण 17 में विवरण दिया है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा बाजार ऋण के रूप में है, जिसमें ब्याज दर 6.97 प्रतिशत से लेकर 14.00 प्रतिशत तक है। 2017-18 में, राज्य सरकार ने बॉन्ड के प्रति उधार लिया, वित्तीय संस्थानों से ₹19,326 करोड़ (₹25,526 करोड़ की

कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से) ऋण लिया। बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, विशेष प्रतिभूतियों का भुगतान ₹20,148 करोड़ था। 31 मार्च 2018 तक बकाया बाजार ऋण ₹26,019 तक था जो कि ₹37,419 करोड़ के कुल बकाया आंतरिक ऋण का 69.53 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान बाजार उधारी में वृद्धि 2016-17 में ₹20,724 करोड़ से 2017-18 में ₹25,526 करोड़ तक ₹4,802 करोड़ (23.17 प्रतिशत) थी।



चार्ट 1.21 दर्शाता है कि राज्य का आंतरिक ऋण 2013-14 में ₹5,987 करोड़ से 2017-18 में ₹25,526 करोड़ तक ₹19,539 (326 प्रतिशत) वृद्धि हो गई।

चार्ट 1.22 दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की अदायगी में ₹4,068 करोड़ से ₹22,374 करोड़ तक ₹18,306 करोड़ (450 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹2,950 करोड़ का ब्याज दिया गया था।

ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता का तात्पर्य भविष्य में अपने ऋण की सेवा के लिए राज्य की क्षमता से हैं। राज्य सरकार के ऋण के परिणाम के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। बकाया ऋण की वृद्धि दर के संबंध में राज्य सरकार के ऋण की स्थिरता के निर्धारण का विश्लेषण करता है; ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों, ऋण भुगतान और ऋण प्राप्ति का अनुपात; राज्य को उपलब्ध निवल ऋण है। तालिका 1.31 में 2013-14 से शुरू होने

वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.31: ऋण स्थिरता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के संकेतक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सार्वजनिक ऋण बकाया	26,490	28,201	32,031	35,756	38,823
सार्वजनिक ऋण बकाया की वृद्धि दर	7.53	6.46	13.58	11.63	8.58
जीएसडीपी	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
जीएसडीपी की वृद्धि दर	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
राजस्व प्राप्ति	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
ऋणों पर ब्याज भुगतान	2,060	2,388	2,463	2,836	*3,038
बकाया ऋण के औसत ब्याज दर (ब्याज देय/ सार्वजनिक ऋण की ओबी सार्वजनिक ऋण की सीबी/2)	8	9	8	8	8
राजस्व प्राप्ति की ब्याज की प्रतिशतता	7.59	8.25	6.88	6.76	6.26
ऋण प्राप्ति	6,002	10,259	14,645	20,749	25,557
ऋण भुगतान	4,147	8,549	10,815	17,023	22,490
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	69.09	83.33	73.84	82.04	88
राज्य के निवल ऋण उपलब्धता	(-) 205	(-) 678	1,367	890	29

स्रोत: राज्य वित्त लेखें

*2015-16 और 2016-17 के दौरान जारी किए गए यूडीएवाई (उदय) बांड पर ₹284.12 करोड़ के ब्याज भुगतान सहित।

राज्य सरकार का सार्वजनिक ऋण 2013-14 में ₹26,490 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹38,823 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर 7.53 प्रतिशत से 13.58 प्रतिशत के बीच रही। **सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर 2017-18 में घटकर 8.58 प्रतिशत रह गई, जबकि पिछले वर्ष में यह 11.63 प्रतिशत थी।**

राजस्व प्राप्ति का ब्याज प्रतिशत 2013-14 में 7.59 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 8.25 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2017-18 में घटकर 6.26 प्रतिशत हो गया। ऋण प्राप्ति के लिए ऋण भुगतान का प्रतिशत 2013-14 से 2017-18 की अवधि में 69.09 प्रतिशत के बीच था। 2017-18 के दौरान, उधार ली गई निधियों का 88 प्रतिशत मौजूदा देयताओं के निर्वहन के लिए उपयोग किया गया था। **पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान जीएसडीपी की वृद्धि दर 8.24 प्रतिशत से बढ़कर 11.07 प्रतिशत हो गई।** जीएसडीपी वृद्धि दर वर्ष 2015-16 और 2017-18 के दौरान

सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की औसत दर से अधिक रही है। 2017-18 में निवल ऋण उपलब्धता 2016-17 में ₹890 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹29 करोड़ रह गई है।

उधारीकृत निधियों का उपयोग

उधार धन का उपयोग स्व-सतत विकास गतिविधियों और सृजन या पूंजीगत संपत्तियों की वृद्धि पर किया जाना है और इसका उपयोग चालू व्यय के वित्तपोषण में नहीं किया जाता है। उधार और पुनः भुगतान, निवल पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए इसके उपयोग की वर्ष-वार स्थिति निम्नलिखित रूप से दी गई है:

तालिका 1.32: पुनर्भुगतान, निवल पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए निधि के उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार राशि	पहले की उधार* ली गई धन राशि का पुनर्भुगतान (मूल) (प्रतिशत)	निवल पूंजीगत व्यय	निवल ऋण और अग्रिम संवितरित	उपलब्ध उधार धनराशि में से राजस्व व्यय का हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)**	(5)	(6)=2-(3-4-5)
2013-14	6,002	2,087(34.77)	4,507(75.09)	117(1.95)	एनए@
2014-15	10,259	6,161(60.05)	5,134(50.04)	84(0.82)	एनए
2015-16	14,645	8,352(57.03)	7,331(50.06)	90(0.61)	एनए
2016-17	20,749	14,187(68.37)	8,286(39.93)	57(0.27)	एनए
2017-18	25,557	19,452(76.11)	10,353(40.51)	21(0.08)	एनए

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधार ली गई धनराशि का प्रतिशत हैं

*सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान - वर्ष के दौरान देय ब्याज

**कुल उधार ली गई धनराशि से कुछ निवल पूंजीगत व्यय को जाता है।

@एनए - लागू नहीं

वर्ष 2013-14 से 2017-18 में, राज्य सरकार ने कुल उधार ली गई धनराशि का 35 से 76 प्रतिशत पहले उधार ली गई मूल धन राशि की पुनर्भुगतान के लिए किया और बची हुई धनराशि का उपयोग आंशिक रूप से निवल पूंजीगत व्यय के लिए किया था।

<p>चार्ट 1.23: ऋण स्थिरता (अर्थात, ऋण-जीएसडीपी के बीच अनुपात)</p>	<p>चार्ट 1.24: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान</p>																								
<table border="1"> <caption>चार्ट 1.23: ऋण स्थिरता (अर्थात, ऋण-जीएसडीपी के बीच अनुपात)</caption> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>अनुपात</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-14</td> <td>27.70</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>28.67</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>27.33</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>28.19</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>27.56</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	अनुपात	2013-14	27.70	2014-15	28.67	2015-16	27.33	2016-17	28.19	2017-18	27.56	<table border="1"> <caption>चार्ट 1.24: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान</caption> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-14</td> <td>11.06</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>12.21</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>10.39</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>10.88</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>9.61</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्रतिशत	2013-14	11.06	2014-15	12.21	2015-16	10.39	2016-17	10.88	2017-18	9.61
वर्ष	अनुपात																								
2013-14	27.70																								
2014-15	28.67																								
2015-16	27.33																								
2016-17	28.19																								
2017-18	27.56																								
वर्ष	प्रतिशत																								
2013-14	11.06																								
2014-15	12.21																								
2015-16	10.39																								
2016-17	10.88																								
2017-18	9.61																								
<p>यह संकेत करता है कि जीएसडीपी के संबंध में सरकार के ऋण लगभग सतत रहा है।</p>	<p>यह संकेत करता है कि ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 9.61 प्रतिशत से 12.21 प्रतिशत का उपभोग कर रहा है।</p>																								

चार्ट 1.23 दिखाता है कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान जीएसडीपी को ऋण का अनुपात लगभग स्थिर रहा था जो 27.33 प्रतिशत से 28.67 प्रतिशत के बीच रहा था। चार्ट 1.24 दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति के रूप में ब्याज भुगतान उसी अवधि के दौरान घट गया था, सिर्फ 2014-15 को छोड़कर।

<p>चार्ट 1.25: स्वयं के राजस्व कर की तुलना में ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)</p>	<p>चार्ट 1.26: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)</p>																								
<table border="1"> <caption>चार्ट 1.25: स्वयं के राजस्व कर की तुलना में ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)</caption> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-14</td> <td>20.68</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>20.93</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>21.81</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>26.41</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>34.44</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्रतिशत	2013-14	20.68	2014-15	20.93	2015-16	21.81	2016-17	26.41	2017-18	34.44	<table border="1"> <caption>चार्ट 1.26: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)</caption> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-14</td> <td>69.09</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>83.33</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>73.85</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>82.08</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>88.00</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्रतिशत	2013-14	69.09	2014-15	83.33	2015-16	73.85	2016-17	82.08	2017-18	88.00
वर्ष	प्रतिशत																								
2013-14	20.68																								
2014-15	20.93																								
2015-16	21.81																								
2016-17	26.41																								
2017-18	34.44																								
वर्ष	प्रतिशत																								
2013-14	69.09																								
2014-15	83.33																								
2015-16	73.85																								
2016-17	82.08																								
2017-18	88.00																								
<p>यह दर्शाता है कि स्वयं के राजस्व कर का 20.68 प्रतिशत से 34.44 प्रतिशत ऋण पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था</p>	<p>यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का 69.09 प्रतिशत से 88 प्रतिशत हिस्सा पुराने बकाया ऋणों के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था।</p>																								


चार्ट 1.25 दर्शाता है कि स्वयं के राजस्व कर का प्रतिशत ऋण के पुनः भुगतान के लिए उपयोग किया गया था (वेज और मींस तथा ऑवर ड्राफ्ट को छोड़कर) जो 2013-14 से 2017-18 के दौरान 20.68 प्रतिशत से 34.44 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

चार्ट 1.26 दर्शाता है कि ऋण प्राप्त के प्रतिशत के रूप में ऋण की धन वापसी ने भी 2013-14 से 2017-18 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया था क्योंकि यह 69.09 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक बढ़ गया था, पूर्व ऋण की धन वापसी के लिए किया गया था।

ऋण परिपक्वता रूप रेखा


ऋण परिपक्वता रूप रेखा दर्शाता है कि ऋण का पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो निम्नलिखित रूप से दिया गया:

चार्ट 1.27: ऋण परिपक्वता रूपरेखा



मार्च 2018 तक सार्वजनिक ऋण के परिपक्वता ने दर्शाया कि ₹38,379 करोड़⁸ के कुल बकाया ऋण का ₹21,378 करोड़ (56 प्रतिशत) सात वर्षों तक और शेष ₹17,001 करोड़ (44 प्रतिशत) की शेष धनराशि सातवें वर्ष के बाद तक मैच्योरिटी बकट में थी।

चार्ट 1.28: बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान सारणी (उदय बॉंड सहित)



स्रोत: वित्त लेखें

⁸ राज्य सरकार से प्रतीक्षित गैर योजना ऋण (₹96.28 करोड़), केन्द्रीय प्लान योजनाओं के लिए ऋण (₹9.24 करोड़), 1984-85 से पूर्व ऋण (₹37.78 करोड़) के संदर्भ में मैच्योरिटी प्रोफाइल पर सूचना

राज्य को अगले पांच वर्षों के दौरान 2022-23 तक ₹9,483 करोड़ के ब्याज सहित ₹11,867 करोड़ के बाजार ऋण और उदय बांड (31 मार्च 2018 तक ₹29,557 करोड़ के बकाया ब्याज ऋणों का 40 प्रतिशत हिस्सा) का पुनर्भुगतान करना होगा। ₹4,360 करोड़ के ब्याज सहित ₹17,690 करोड़ की राशि के शेष बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान आगामी वर्षों में 2031-32 तक किया जाना होगा। अर्थात्, राज्य को अगले पाँच वर्षों के दौरान ₹4,270 करोड़ की धनराशि का (वार्षिकी) पुनर्भुगतान करना होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹4,463 करोड़ बाजार ऋणों (उदय बांड पर ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान किया गया था।

राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय पिछले दस वर्षों में क्रमशः 14.10 प्रतिशत और 14.16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ गया है। इन विकास दरों को लागू करके, 2021-22 के दौरान राजस्व अधिशेष की ₹6,405 करोड़ गणना की गई। राज्य वर्ष 2021-22 से उदय बांड की मूल राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस वर्ष के दौरान उधार राशियाँ पिछले दस वर्षों की वार्षिक विकास दर से प्रक्षेपित की गई (23.82 प्रतिशत) जो ₹60,072 करोड़ हो गई। ₹74,804 करोड़ की देयताओं को पूरा करने के पश्चात् (₹214 करोड़ का मूल उदय बांड राशि के पुनर्भुगतान सहित) 2021-22 में पुनर्भुगतान के लिए देय राशि (में कमी हो जाएगी) घट जाएगी ₹6,405 करोड़ राशि की उधार निधियाँ और राजस्व ₹8,327 करोड़ तक कम हो जाएगी। राज्य सरकार को इस प्रकार अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता लेनी पड़ेगी।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन राजकोषीय मापदंड - राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय साधनों में कुल राजस्व असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। घाटे का स्वरूप सरकार की राजस्व प्रबन्धन की संभावना का एक संकेतक है।


1.11.1 घाटे में प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.29 2013-14 से 2017-18 के दौरान तीन घाटों पर समय श्रृंखला डेटा प्रदान करता है।

चार्ट 1.29: घाटों में प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.30: घाटे के संकेतक (प्रतिशत में)



राजस्व अधिशेष: राज्य ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 को छोड़कर राजस्व अधिशेष (आरएस) अनुरक्षण 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान किया है। 2017-18 में राजस्व अधिशेष ₹7,595 करोड़ था जो गलत वर्गीकरण और आरक्षित निधियों/ ब्याज के कम हस्तांतरण के कारण ₹2,881 करोड़ तक बढ़ गया था। 2014-15 और 2015-16 के दौरान वहां क्रमशः ₹390 करोड़ और ₹640 करोड़ का राजस्व घाटा था।

राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा (एफडी) वर्ष 2013-14 में ₹4,554 करोड़ से घटकर वर्ष 2017-18 में ₹2,778 करोड़ हो गया था। जीएसडीपी से एफडी का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 4.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 1.97 प्रतिशत हो गया था। राजकोषीय घाटा वर्ष 2016-17 में ₹6,177 करोड़ से घटकर वर्ष 2017-18 में ₹2,778 करोड़ हो गया था।

प्राथमिक घाटा/अधिशेष: प्राथमिक घाटा (पीडी) वर्ष 2013-14 में ₹1,553 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹1,610 करोड़ हो गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष था। चार्ट 1.30 2013-14 से 2017-18 की अवधि में जीएसडीपी से संबंधित मुख्य घाटे की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

प्राथमिक राजस्व शेष: राज्य गैर-ऋण प्राप्तियों और उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को बताता है। उस सीमा को दर्शाता जिससे सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियाँ पूंजी लेखों पर हुए व्यय को पूरा करने में सक्षम थी। 2017-18 में राज्य ने ₹12,263 करोड़ की राशि का प्राथमिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। (तालिका 1.36)।

राजस्व अधिशेष/ राजकोषीय घाटे का असर

राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा अधिक और ज्यादा नीचे दिया गया है।

तालिका 1.33: प्रभावी राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (बढ़ाकर)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम कर के)	निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			आरएस/ जीएसडीपी	एफडी/ जीएसडीपी	आरएस/ जीएसडीपी	एफडी/ जीएसडीपी
सहायक अनुदान का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय के रूप में किया गया।	2,395.97	--	5.39	1.97	3.35	1.99
परिचालन लागत और पीडीएस के यातायात/ हैंडलींग प्रभारों को पूंजीगत व्यय (रूप में) वर्गीकृत किया गया।	301.99	--				
वजीफा और छात्रवृत्ति पूंजीगत व्यय के तहत बुक किए गए।	0.43	--				
अनुवृत्ति (आर्थिक सहायता) पूंजीगत व्यय के तहत बुक किए गए।	152.00	--				
वेतन पूंजीगत व्यय के तहत बुक किए गए।	2.94	--				
गारंटी शोधन निधि में कम अंशदान किया गया।	12.17	12.17				
ब्याज वहन निधि और जमा पर ब्याज का नहीं/ कम भुगतान।	14.98	14.98				
2017-18 के दौरान अलेखबद्ध आकस्मिक निधि।	0.17	0.17				
कुल निवल प्रभाव	2,880.65	27.32				

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने के कारण ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष ₹2,880.65 करोड़ तक बढ़ गया जबकि आरक्षित निधियों को निधि/ व्याज के कम हस्तांतरण के कारण राजकोषीय घाटा ₹27.32 करोड़ तक कम हो गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसके वित्तीय पैटर्न के घटक

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पैटर्न में हुए संरचनात्मक बदलाव निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं:

तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय पैटर्न

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटे के घटक						
1.	पूँजीगत व्यय	4,507	5,134	7,331	8,286	10,353
2.	निवल ऋण और अग्रिम	117	84	90	57	21
वित्त के माध्यम से						
1.	राजस्व अधिशेष	70	(-)390	(-)640	2,166	7,595
2.	राजकोषीय घाटा	4,554	5,608	8,060	6,177	2,778
राजकोषीय घाटे का वित्त पैटर्न@						
1.	बाजार उधार	1,919	1,811	3,926	3,815	3,152
2.	जीओआई से ऋण	(-)64	(-)100	(-) 96	(-)90	(-)84
3.	लघु बचते, पीएफ इत्यादि	1,990	2,232	2,886	1,846	1,556
4.	जमा और अग्रिम	158	376	112.39	949	1,084
5.	उचंत और विविध	(-) 48	(-)237	(-) 131	(-)93	(-140)
6.	प्रेषण	1,169	2,545	(-) 208	(-)690	(-)2,955
7.	आरक्षित निधियां	403	(-)677	214	334	290
8.	नकद शेष की गिरावट(+)/शेष नकद शेष से अभिवृद्धि(-)	(-)972	(-)338	(+)874	(+)98	(-)125

@ ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निर्धारित के संवितरण/ बहिर्गमन से नहीं हैं।

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा		प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	25,526	2,2374	3,152
2	जीओआई से ऋण	32	116	(-)84
3	लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	5,032	3,476	1,556
4	जमा और अग्रिम	4,893	3,809	1,084
5	आरक्षित निधियां	419	129	290
6	उचंत और विविध	3,842	3,982	(-)140
7	प्रेषण	933	3,888	(-)2,955
8	कुल मिलाकर अधिशेष (-) deficit (+)	40,677	37,774	2,903
9	वृद्धि (-) कमी (+) नकद शेष में	29	154	(-)125
10	सकल राजकोषीय घाटा	40,706	37,928	2,778

स्रोत: राज्य वित्त लेखे

घाटे अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे (एफडी) से राजस्व घाटे (आरडी) का अनुपात और प्राथमिक घाटे और पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिमों सहित) में प्राथमिक घाटे का द्विभाजन राज्य के वित्तीय साधनों में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि किस हद तक उधार ली गई निधि का उपयोग वर्तमान खपत के लिए किया गया था। इसके अलावा, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारी (राजकोषीय घाटे) के पास कोई भी पूर्तिकर परिसंपत्ति नहीं थी।

तालिका 1.36: प्रारंभिक घाटा/ अधिशेष - घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिमों	प्राथमिक व्यय	पूंजीगत व्यय/ प्राथमिक व्यय का प्रतिशत	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	आरएस, आरडी/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	आरएस, आरडी/ आरई (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (4/6)	8 (2-3)	9 (2-6)	10	11
2013-14	27,132	24,057	4,507	121	28,685	16	3,075	(-)1,553	0.07	0.26
2014-15	28,942	25,796	5,134	87	31,017	17	3,146	(-) 2,075	-0.40	-1.33
2015-16	35,785	32,701	7,331	94	40,126	18	3,084	(-) 4,341	-0.55	-1.76
2016-17	41,997	35,245	8,286	76	43,607	19	6,752	(-) 1,610	1.71	5.44
2017-18	48,516	36,253	10,353	25	46,631	22	12,263	(+)1,885	5.39	18.56

- राजस्व की गैर-ऋण प्राप्तिर्यों में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तिर्याँ और ऋण और अग्रिमों की वूसली शामिल थी जो प्राथमिक राजस्व व्यय से अधिक थी।
- 2013-14 में कुल प्राथमिक व्यय ₹28,685 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹46,631 करोड़ हो गया था। यह प्राथमिक राजस्व व्यय में ₹12,196 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ था, जबकि पूंजीगत व्यय में ₹5,846 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
- 2013-14 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष जो ₹3,075 करोड़ था, 2017-18 में यह बढ़कर ₹12,263 करोड़ हो गया था।
- 2013-14 में प्राथमिक घाटा जो ₹1,553 करोड़ था, 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया।

तालिका 1.37: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	(+)70	(-)390	(-)640	(+)2,166	(+)7,595
निवल पूंजीगत व्यय	(-)4,507	(-)5,134	(-)7,331	(-)8,286	(-)10,353
निवल ऋण और अग्रिम	(-)117	(-)84	(-)90	(-)57	(-)21
राजकोषीय घाटा	(-)4,554	(-)5,608	(-)8,060	(-)6,177	(-)2,778

2013-14 की तुलना में वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। राजकोषीय घाटा 2015-16 में ₹8,060 करोड़ से 2017-18 में ₹2,778 करोड़ तक कम हुआ। राजकोषीय घाटे को लोक लेखा (जिसमें से छोटी बचत, भविष्य निधि, प्रेषण एवं आरक्षित निधि आदि का प्रमुख भाग बनता था) से ऋणों तथा बाजार ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

1.12 निष्कर्ष

एक विशेष दर्जे का राज्य होने के नाते राज्य का केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों तथा अनुदानों में अधिक भाग था। केन्द्रीय संसाधनों पर राज्य की निर्भरता 2013-14 में 66 प्रतिशत से 2017-18 में 71 प्रतिशत तक बढ़ी। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल पूंजीगत व्यय में 2013-14 में ₹4,507 करोड़ से 2017-18 में ₹10,353 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। राज्य का स्वयं का कर राजस्व (एसओटीआर) 2013-14 में ₹6,273 करोड़ से 2017-18 में ₹9,536 करोड़ तक बढ़ा।

2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष से 15.56 प्रतिशत तक अधिक वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से 23.08 प्रतिशत तक अधिक वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में अधिक वृद्धि केन्द्रीय करों/शुल्कों तथा अनुदान सहायता के राज्य के भाग में वृद्धि की वजह से हुई थी।

अनुदान सहायता में 2016-17 में ₹20,598 करोड़ से 2017-18 में ₹22,702 करोड़ तक ₹2,104 करोड़ की वृद्धि हुई थी। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार भारत सरकार से अनुदान सहायता पर राजस्व प्राप्तियों के 47 प्रतिशत की सीमा तक निर्भर है।

2017-18 के दौरान राज्य के स्वयं के ₹13,898 करोड़ के संसाधन ₹27,500 करोड़ की इसकी प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा आर्थिक सहायता) को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता के कारण प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत बनाता है।

2017-18 की समाप्ति पर ₹554 करोड़ का नकद शेष ₹2,164 करोड़ की चिन्हित आरक्षित निधि से कम था जिसका तात्पर्य यह है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अभीष्ट प्रयोजन के अलावा अन्य हेतु किया गया था।

विकास पूंजीगत व्यय में वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार विकास कार्यों तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति व्यय कर रही है।

सरकार की सम्पूर्ण वित्तीय देयताएं 31 मार्च 2017 की समाप्ति पर ₹62,219 करोड़ से 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर ₹68,217 करोड़ तक बढ़ी। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ₹68,217 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2017-18 हेतु 14^{वें} वित्त आयोग में प्रक्षेपित ₹66,639 करोड़⁹ की सीमा से ₹1,578 करोड़ अधिक थी।

राज्य का आन्तरिक ऋण 2016-17 में ₹34,266.75 करोड़ से 2017-18 में ₹37,418.53 करोड़ तक 9.20 प्रतिशत बढ़ा।

31 मार्च 2018 तक बकाया बाजार ऋण ₹26,019 करोड़ था जोकि ₹37,419 करोड़ के कुल आन्तरिक ऋण का 69.53 प्रतिशत था। बाजार उधारियों में 2016-17 में ₹20,724 करोड़ से 2017-18 में ₹25,526 करोड़ तक ₹4,802 करोड़ (23.17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। निवल ऋण उपलब्धता 2016-17 में ₹890 करोड़ से 2017-18 में ₹29 करोड़ तक कम हुई।

राज्य की 2016-17 में ₹1,610 करोड़ के प्राथमिक घाटे को 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में रूपान्तरित किया गया। राज्य का राजस्व अधिशेष था। जो 2016-17 में ₹2,166 करोड़ से 2017-18 के दौरान ₹7,595 करोड़ तक बढ़ा। राज्य सरकार ने 14^{वें} वित्त आयोग के लक्ष्यों के अनुसार राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया है।

राजकोषीय घाटा (एफडी) 2016-17 में ₹6,177 करोड़ से 2017-18 में ₹2,778 करोड़ तक कम हुआ। जीएसडीपी के 1.97 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा 14^{वें} वित्त आयोग (तीन प्रतिशत) की सिफारिशों के तहत था।

9 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (जीएसडीपी का 47.30 प्रतिशत) के आधार पर संगणित

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय – II


वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे वास्तविक बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यार्पणों तथा प्रत्येक पुनः विनियोगों को सूचीबद्ध करते हैं तथा यह विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की तुलना में बजट की प्रभारित तथा दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्तों के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसीलिए ये वित्त लेखों के संपूरक हैं।

विनियोग लेखे बजट निर्माण तथा क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के साथ डाटा प्राप्त करते हैं (चार्ट 2.1)।

चार्ट 2.1: बजट क्रियान्वयन का फ्लो चार्ट



स्रोत: बजट नियमावली तथा विनियोग लेखों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर

2.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अन्दर है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों के तहत प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय प्रभारित है। ये यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा निर्देश के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में पाई गई बजट तथा व्यय के प्रबंधन में कमियों तथा बजट नियमावली के उल्लंघन पर चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.2 विनियोग लेखों का सार

2017-18 में व्यय हेतु कुल प्रावधान ₹94,252.03 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹73,815.12 करोड़ (78 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप 2017-18 में ₹20,436.91 करोड़ की बचत हुई थी। 29 अनुदानों/विनियोगों के प्रति 2017-18 के दौरान वास्तविक व्यय की सारांशिकृत स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.1: वास्तविक व्यय की तुलना में वास्तविक/अनुपूरक प्रावधानों की सारांशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)


	व्यय की प्रकृति	वास्तविक अनुदान /विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय ¹	बचत (-)/ अधिक (+)	वापिस की गई राशि
दत्तमत्त	I-राजस्व	43,607.69	41.80	43,649.49	36,205.58	(-)7,443.91	शून्य
	II-पूंजी	26,461.38	0.25	26,461.63	10,383.74	(-)16,077.89	शून्य
	III-ऋण और अग्रिम	1,091.00	0.00	1,091.00	24.75	(-)1,066.25	शून्य
कुल दत्तमत्त		71,160.07	42.05	71,202.12	46,614.07	(-)24,588.05	शून्य
प्रभारित	IV-राजस्व	5,211.39	0.57	5,211.96	4,710.91	(-)501.05	शून्य
	V-पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य
	VI-सार्वजनिक ऋण पुनः भुगतान	16,595.13	1,242.82	17,837.95	22,490.14	(+)4,652.19	शून्य
कुल प्रभारित		21,806.52	1,243.39	23,049.91	27,201.05	(+)4,151.14	शून्य
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य
कुल योग		92,966.59	1,285.44	94,252.03	73,815.12	(-)20,436.91	शून्य

स्रोत: विनियोग लेखे

¹ ये पूंजीगत (₹30.86 करोड़) के तहत व्यय की कटौती के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों को संगणित किए बिना सकल आंकड़े हैं।

2.2.1 2017-18 के विनियोग लेखे का विश्लेषण

चार्ट 2.2: बजट को लागू कैसे किया गया



₹20,436.91 करोड़ की कुल बचत राजस्व (दत्तमत्त) के तहत 24 अनुदानों तथा राजस्व भाग के तहत 4 विनियोग तथा पूंजीगत भाग के तहत 24 अनुदानों में ₹26,833.97 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई थी जिसमें राजस्व भाग के तहत चार अनुदानों तथा पूंजीगत भाग के तहत चार अनुदानों तथा एक विनियोग में ₹6,397.06 करोड़ की अधिकता को समायोजित किया गया है। ₹6,397.06 करोड़ की अधिकता का नियमन करने की आवश्यकता है।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के तहत कुल आधिक्य अथवा बचतें

विवरण	अनुदानों/विनियोग की संख्या					राशि (₹ करोड़ में)
	राजस्व (दत्तमत्त)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत्त)	पूंजीगत (प्रभारित)	सार्वजनिक ऋण पुनः भुगतान	
निम्न में हुई बचत	24	04	24	-	-	26,833.97
निम्न में अधिक व्यय	04	-	04	-	01	6,397.06

स्रोत: विनियोग लेखे

2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधानों से आधिक्य का नियमन करने की आवश्यकता है

जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 82 के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोग से अधिक को नियमित करवाना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। यद्यपि व्यय को नियमित करने के लिए धारा के तहत कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथापि, लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा विनियोग लेखों की चर्चा पूरी करने के पश्चात् अधिक व्यय का नियमन किया जाना है। चूँकि 1980-81 के बाद से विनियोग लेखों की चर्चा पीएसी में नहीं की गई थी अतः वर्ष 1980-2017 के लिए कुल ₹1,07,664.29 करोड़ के अधिक व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी नियमित किया जाना है जैसाकि **परिशिष्ट 2.1** में विवरण दिया गया है। पिछली उप-

धारा में स्पष्ट अनुसार 2017-18 के दौरान ₹6,397.06 करोड़ **परिशिष्ट 2.2** के अन्य अधिक व्यय को सम्मिलित करने के पश्चात्, विधान मंडल द्वारा 31 मार्च 2018 तक ₹1,14,061.35 करोड़ के कुल अधिक व्यय का नियमन होना अपेक्षित है। यह संविधान के धारा 81 का उल्लंघन है, विधानमंडल के प्रयोजन के विपरीत है तथा लोक निधि के उपयोग पर कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है। ऐसी विस्तारित अवधि के लिए शेष अनियमित अधिक व्यय की गहन समीक्षा की जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह राजकोष पर विधान मंडल के नियंत्रण को कम करता है तथा इसलिए अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामलों का शीघ्रतम नियमन किए जाने की आवश्यकता है। भीषण तथा अत्यधिक आपातकाल के मामले को छोड़कर, ऐसे गैर-दत्तमत्त व्यय को रोका जाएं जिसकी लागत को आकस्मिक निधि से पूरा नहीं किया जा सकता। ये राशि काफी समय तक अनियमित रही हैं। यदि इन राशियों को नियमित नहीं किया जाता तो भविष्य में वित्त तथा विनियोग लेखों के प्रमाणन पर निहितार्थ हो सकते हैं।

आठ अनुदानों जहां व्यय प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था अथवा एक करोड़ से अधिक था, की सूची नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 2.3: 2017-18 के दौरान प्रावधानों से ज्यादा आधिक्य जिनको नियमित करने की आवश्यकता है

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	अतिरिक्त (प्रतिशतता)
I-राजस्व (दत्तमत्त)					
1	3	योजना और विकास विभाग	75.61	444.34	368.73 (488)
2	16	लोक निर्माण विभाग	757.54	1,855.31	1,097.77 (145)
3	28	ग्रामीण विकास विभाग	452.54	508.24	55.70 (12)
4	29	परिवहन विभाग	54.35	71.25	16.90 (31)
कुल (I-राजस्व दत्तमत्त)			1,340.04	2,879.14	1,539.10
II-पूंजी (दत्तमत्त)					
5	05	लद्दाख मामला विभाग	201.54	226.33	24.79 (12)
6	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	439.49	593.11	153.62 (35)
7	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	30.95	58.12	27.17 (88)

कुल (II-पूँजी दत्तमत्त)			671.98	877.56	205.58
III-पूँजी प्रभारित					
8	08	वित्त विभाग	17,837.95	22,490.14	4,652.19 (26)
कुल (III-पूँजी प्रभारित)			17,837.95	22,490.14	4,652.19
कुल योग (I+II+III)			19,849.97	26,246.84	6,396.87

स्रोत: विनियोग लेखा

अनुदान संख्या-08 में, 2013-14 से 2017-18 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: अनुदान की सूची जहां 2013-14 से 2017-18 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय किया गया था.

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. और नाम	वर्ष				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व/पूँजी					
08-वित्त विभाग	2,916.09 (237%)	186.32* (2%)	2,225.82 (26%)	225.89 (627%)	4,652.19 (26%)

(कोष्टक में आंकड़ें प्रावधानों से अधिक व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं) *2014-15 को छोड़कर

वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वयं वित्त विभाग सहित किसी विभागीय नियंत्रण अधिकारी ने राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नियमित आवंटनों पर अधिक व्यय न किया हो।

2.3.2 बचतें

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम यह दर्शाते हैं कि 52 मामलों में, बचतें प्रत्येक मामले में एक करोड़ अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.3)। ₹26,833.97 करोड़ की कुल बचतों के प्रति, 21 अनुदानों से संबंधित 33 मामलों में ₹26,386.00 करोड़² की बचत हुई थी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

² प्रत्येक मामले में ₹50 करोड़ से अधिक

तालिका 2.5: ₹50 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत/ प्रतिशतता
I- राजस्व दत्तमत्त						
1	02-गृह विभाग	5,413.40	0.00	5,413.40	4,649.37	764.03 (14)
2	06-बिजली विभाग	10,269.84	0.00	10,269.84	5,061.91	5,207.93 (51)
3	07-शिक्षा विभाग	6,585.57	0.00	6,585.57	6,139.89	445.68 (07)
4	08-वित्त विभाग	6,316.39	0.00	6,316.39	5,707.45	608.94 (10)
5	10-कानून विभाग	371.23	0.00	371.23	216.90	154.33 (42)
6	11-उद्योग और वाणिज्य विभाग	309.65	0.00	309.65	241.49	68.16 (22)
7	12-कृषि विभाग	1,108.83	0.00	1,108.83	942.29	166.54 (15)
8	13-पशुपालन विभाग	467.35	0.00	467.35	398.70	68.65 (15)
9	14-राजस्व विभाग	1,267.25	0.00	1,267.25	796.98	470.27 (37)
10	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,715.73	0.00	2,715.73	2,567.12	148.61 (05)
11	18-समाज कल्याण विभाग	1,521.81	0.00	1,521.81	1,197.76	324.05 (21)
12	21-वन विभाग	716.89	0.00	716.89	600.23	116.66 (16)
13	22-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	600.10	0.00	600.10	495.01	105.09 (17)
14	27-उच्च शिक्षा विभाग	932.26	0.00	932.26	797.80	134.46 (14)
कुल-राजस्व (दत्तमत्त)		38,596.30	0.00	38,596.30	29,812.90	8,783.40
राजस्व (प्रभारित)						
15	08-वित्त विभाग	5,156.78	0.00	5,156.78	4,662.87	493.91 (10)
कुल राजस्व (प्रभारित)		5,156.78	0.00	5,156.78	4,662.87	493.91 (10)
कुल-I		43,753.08	0.00	43,753.08	34,475.77	9,277.31 (21)
II-पूँजी (दत्तमत्त)						
16	01-सामान्य प्रशासन विभाग	576.92	0.00	576.92	27.80	549.12 (95)
17	02-गृह विभाग	929.45	0.00	929.45	418.59	510.86 (55)
18	03-योजना और विकास विभाग	2,370.58	0.00	2,370.58	498.20	1,872.38 (79)

19	06-विद्युत विकास विभाग	6,251.49	0.00	6,251.49	660.22	5,591.27 (89)
20	07-शिक्षा विभाग	1,258.44	0.00	1,258.44	619.04	639.40 (51)
21	08-वित्त विभाग	3,348.50	0.00	3,348.50	323.36	3,025.14 (90)
22	12-कृषि विभाग	907.28	0.00	907.28	573.36	333.92 (36)
23	14-राजस्व विभाग	1,117.26	0.00	1,117.26	258.34	858.92 (77)
24	16-लोक निर्माण विभाग	2,006.00	0.00	2,006.00	1,811.10	194.90 (10)
25	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	793.01	0.00	793.01	510.58	282.43 (36)
26	18-समाज कल्याण विभाग	460.78	0.00	460.78	127.34	333.44 (72)
27	19-आवास और शहरी विकास विभाग	974.07	0.00	974.07	454.53	519.54 (53)
28	20-पर्यटन विभाग	639.64	0.00	639.64	119.32	520.32 (81)
29	21-वन विभाग	121.49	0.00	121.49	47.85	73.64 (61)
30	22-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	1,348.94	0.00	1,348.94	361.02	987.92 (73)
31	25-स्टेशनरी और प्रिंटिंग विभाग	120.14	0.00	120.14	19.40	100.74 (84)
32	27-उच्च शिक्षा विभाग	425.92	0.00	425.92	252.53	173.39 (41)
33	28-ग्रामीण विकास विभाग	2,391.21	0.00	2,391.21	1,849.85	541.36 (23)
कुल-II-पूँजी (दत्तमत्त)		26,041.12	0.00	26,041.12	8,932.43	17,108.69
कुल योग - (I+II)		69,794.20	0.00	69,794.20	43,408.20	26,386.00

स्रोत: विनियोग लेखा

पूँजीगत भाग के तहत विभागों द्वारा अधिक बचतें यह दर्शाती हैं कि सरकार विभागीय कार्यकलापों/परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु चिन्हित निधियों का उपयोग नहीं कर सकी। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अनुदान के प्रति अधिक बचत (उपयोग में कमी) हेतु कारण प्रस्तुत नहीं किए गए (सितम्बर 2018)।

2.3.3 निरन्तर बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व भाग के तहत तीन अनुदानों तथा एक विनियोग और पूँजीगत (दत्तमत्त) भाग में छः अनुदानों के दस मामलों में, प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के दस प्रतिशत तक अथवा इससे अधिक की निरन्तर बचतें पाई गई थी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: 2013-14 से 2017-18 के दौरान निरन्तर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व (दत्तमत्त)						
1	10-कानून विभाग	65.28 (32)	97.04 (34)	102.19 (37)	154.81 (48)	154.33 (42)
2	11-उद्योग और वाणिज्य विभाग	42.17 (18)	89.05 (33)	53.91 (19)	86.65 (28)	68.16 (22)
3	21-वन विभाग	58.36 (11)	133.20 (21)	95.01 (14)	127.62 (18)	116.66 (16)
राजस्व (प्रभारित)						
4	10-कानून विभाग	3.81 (14)	6.47 (22)	3.98 (13)	7.32 (21)	4.06 (11)
पूँजी (दत्तमत्त)						
5	06-विद्युत विकास विभाग	485.02 (56)	250.25 (64)	707.60 (70)	2,177.61 (76)	5,591.27 (89)
6	12-कृषि विभाग	159.06 (40)	222.70 (55)	179.63 (33)	634.82 (67)	333.92 (37)
7	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	32.80 (12)	235.89 (53)	496.95 (67)	168.56 (28)	282.43 (36)
8	19-आवास और शहरी विकास विभाग	672.87 (76)	568.44 (77)	220.61 (42)	394.59 (51)	519.54 (53)
9	25-श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	102.52 (98)	76.70 (98)	31.79 (29)	14.54 (13)	100.74 (84)
10	28-ग्रामीण विकास विभाग	185.13 (48)	1,104.58 (60)	496.69 (38)	798.19 (42)	541.36 (23)

स्रोत: विनियोग लेखा

कोष्ठक में आंकड़ें कुल अनुदानों का प्रतिशत हैं

वर्षों में अधिक अनुदानों में निरन्तर बचत पिछले वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखे बिना तथा व्यय की आवश्यकता और प्रवाह की पर्याप्त रूप से संवीक्षा किए बिना सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता की तुलना में अनुदानों के अधिक निर्धारण की सूचक थी। उक्त विभागों द्वारा निरन्तर बचतें यह भी दर्शाती हैं कि या तो विभागों के तहत योजनाओं को सरकार की प्राथमिकता नहीं मिली या संबंधित विभाग/क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन में अक्षमता थी। इसे पूर्व राज्य वित्त प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है परन्तु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन शीर्षों के तहत निरन्तर बचत हेतु कारण नहीं बताए गए (सितम्बर 2018)।

उक्त वर्णित अनुदानों के तहत सात योजनाओं में 2017-18 के दौरान ₹100 करोड़ से अधिक बचतें थी जैसाकि नीचे दिया गया है।

तालिका 2.7: उन मामलों का विवरण जिनमें बचत ₹100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत की प्रतिशतता
1.	अनुदान संख्या 17- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा				
(i)	2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी सेवाएं, 800-अन्य सेवाएं, 2256-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	300.00	0.57	299.43	99.81
(ii)	4210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय, 01-स्वास्थ्य सेवाएं, 2256	275.00	127.76	147.24	53.54
(iii)	4210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजी व्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, 0515-निर्माण	300.00	1.73	298.27	99.42
2.	19-आवासीय तथा शहरी विकास				
(i)	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय, 03-लघु तथा मीडियम शहरों का समेकित विकास, 1297-शहरी विकास	578.07	273.02	305.05	52.77
3.	25-स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग विभाग				
(i)	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, 201-श्रम, 1904-रोजगार	114.88	9.77	105.11	91.50
4.	28-ग्रामीण विकास विभाग				
(i)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय, 101-पंचायती राज, 2468-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	148.87	40.25	108.62	72.96
(ii)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय, 101-पंचायत राज, 0230-ग्रामीण स्वच्छता	120.00	8.93	111.07	92.56

स्रोत: विनियोग लेखा


उक्त से यह देखा जा सकता है कि निरन्तर बचत 52.77 प्रतिशत से 99.81 प्रतिशत के बीच थी।

2.3.4 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

चार अनुदानों वाले छः मामलों में (परिशिष्ट-2.4), व्यय के पूर्वानुमान में मूल प्रावधान से अधिक ₹4.99 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था। तथापि, ₹182.52 करोड़ का अंतिम व्यय ₹193.06 करोड़ के मूल अनुदान से भी कम था। इस प्रकार, निधि प्रक्षेपण की अपर्याप्त प्रणाली को दर्शाते हुए तथा अतिरिक्त निधियों के अनावश्यक आवंटन के कारण सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान में ₹10.54 करोड़ की बचतें बढ़ गईं।

एक अनुदान (वित्त विभाग) (**परिशिष्ट 2.5**) में, ₹1,242.82 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त साबित हुए जिससे कुल 4,652.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जो कुल 6,397.06 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का 72.72 प्रतिशत है।

चार्ट 2.3: अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



2.3.5 वापिस न की गई पूर्वानुमानित बचतें

राज्य बजट नियम पुस्तक के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग को जब भी बचत का पूर्वानुमान हो, तब वित्त विभाग को अनुदान/विनियोग अथवा उसका एक भाग वापिस करना अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर, राजस्व भाग के तहत 24 अनुदान तथा चार विनियोग और पूंजीगत भाग के तहत 24 अनुदान थे जिनमें बचत हुई थी। तथापि, वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों द्वारा पूर्वानुमानित बचत को वापिस नहीं किया गया था। इन मामलों में बचत ₹26,833.97 करोड़ थी जिसमें ऐसे 52 मामलों (29 अनुदानों तथा चार विनियोग सहित) में ₹26,833.46 करोड़ सम्मिलित है जहां बचत एक करोड़ तथा इससे अधिक की थी। संबंधित विवरणों को **परिशिष्ट-2.6** में दर्शाया गया है। अनुदानों में बचत अनुदानों के अधिक निर्धारण की सूचक है जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई थी तथा निधियों (बचतों) को वापिस न करना राज्य बजट नियम-पुस्तक के निर्देशों का उल्लंघन है।

2.3.6 व्यय की तीव्रता

जम्मू एवं कश्मीर बजट नियम-पुस्तक के अनुसार, नियंत्रण अधिकारियों को वर्ष के दौरान जहां तक संभव हो सके, एक शीर्ष के तहत आनुपातिक रूप से व्यय का उपयोग करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में तथा विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में तीव्र गति व्यय करने से बचना होगा। इसके विपरीत, **तालिका 2.8** में सूचीबद्ध 19 अनुदानों के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2017-18 की अन्तिम

तिमाही के दौरान वर्ष हेतु ₹10 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था।

तालिका 2.8: वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर व्यय की तीव्रता के मामले

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	2017-18 के दौरान कुल व्यय	जनवरी से मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 में किया गया व्यय	निम्न के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2018	मार्च 2018
1	1	सामान्य प्रशासन विभाग	323.21	114.44	41.29	35	13
2	3	योजना और विकास विभाग	942.53	526.88	367.82	56	39
3	4	सूचना विभाग	48.29	22.01	13.68	46	28
4	5	लदाख मामला विभाग	822.02	797.76	6.61	97	1
5	10	कानून विभाग	256.23	105.94	56.39	41	22
6	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	461.64	228.52	82.70	50	18
7	12	कृषि विभाग	1515.65	758.78	545.10	50	36
8	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	476.95	180.21	124.98	38	27
9	16	लोक निर्माण विभाग	3,666.41	1,845.83	1,008.99	50	28
10	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	3,077.71	1,174.67	730.94	38	24
11	18	समाज कल्याण विभाग	1,325.11	548.22	390.52	41	29
12	19	आवास और शहरी विकास विभाग	1,157.47	651.79	395.76	56	34
13	20	पर्यटन विभाग	283.90	144.11	92.91	51	33
14	22	सिंचाई विभाग	856.03	405.27	256.44	47	30

15	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,745.13	798.83	586.86	46	34
16	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	276.52	151.78	77.01	55	28
17	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	85.43	39.66	27.49	46	32
18	28	ग्रामीण विकास विभाग	2,358.09	997.74	307.88	42	13
19	29	परिवहन विभाग	88.15	36.75	11.27	42	13
		कुल	19,766.47	9,529.19	5,124.64		

अन्तिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता कुल व्यय के 35 तथा 97 प्रतिशत के बीच थी। 19 अनुदानों में अन्तिम तिमाही में ₹19,766.47 करोड़ के कुल व्यय में से प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ से अधिक ₹9,529.19 करोड़ की राशि व्यय की गई थी जिसमें कुल व्यय का 48.21 प्रतिशत शामिल है और अन्तिम माह अर्थात् मार्च 2018 के दौरान ₹5,124.64 करोड़ की राशि व्यय की गई थी जिसमें उसी अनुदान के ₹19,766.47 करोड़ के कुल व्यय का 26 प्रतिशत शामिल है। दो नमूना जांच किए गए विभागों अर्थात् स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग और कानून में, यह पाया गया कि निधियों को समय पर जारी करने के बावजूद तीव्र गति से व्यय हुआ था। अन्तिम तिमाही के दौरान विशेष रूप से मार्च माह के दौरान तीव्र गति व्यय ने वित्तीय नियमों का अननुपालन दर्शाया। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में तीव्र गति व्यय से बचने के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाने पर विचार करें। सरकार को समय पर निधियां प्राप्त होने के बावजूद अन्तिम तिमाही में अधिक राशि खर्च करने वाले अन्य विभागों की जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि ऐसे मामलों में अन्तिम तिमाही/माह में तीव्र गति से व्यय न हो।

2.3.7 अनावश्यक बजट आवंटन- ₹ एक करोड़ से अधिक

40 मुख्य शीर्षों सहित 24 अनुदानों जिसमें ₹12,021.01 करोड़ (परिशिष्ट-2.7) की राशि को विभिन्न शीर्षों/योजना के तहत व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान के रूप में रखा गया था, में वर्ष के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयुक्त रहा। प्रावधान को ऐसी अन्य योजनाओं के लिए पुनः विनियोजित किया जाना चाहिए था जहां व्यय प्रावधान से अधिक था।

2.4 विभागीय आंकड़ों का समेकन न होना

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सक्षम बनाने, इसे बजट अनुदानों के अन्दर रखने तथा उनके खातों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य वित्तीय नियमावली यह अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी बहियों में दिए गए व्यय का प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर की बहियों में दिए व्यय से मिलान किया जाना है। यद्यपि, विभागीय आंकड़ों के मिलान न होने को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से बताया जा रहा है तथापि, इस संबंध में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक निरन्तर जारी थी। 2017-18 के दौरान, 353 नियंत्रण अधिकारियों में से 197 ने ₹26,587.51 करोड़ (₹51,269.37 करोड़ के कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) का 51.86 प्रतिशत) के व्यय तथा ₹40,162.73 करोड़ (₹48,511.88 करोड़ (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) की कुल प्राप्तियों का 82.79 प्रतिशत) की प्राप्तियों का समेकन किया है।

लेखों का मिलान न होना लेखों में दर्शाए गए प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों की पूर्णता तथा सत्यता के आश्वासन पर प्रभाव डालता है। विभाग द्वारा व्यय आंकड़ों का मिलान करने की विफलता के परिणामस्वरूप पता न लगी धोखाधड़ी, गबन तथा अधिक आहरण आदि हुआ।

सरकार को धोखाधड़ी की सम्भाव्यता तथा निधियों के दुरुपयोग से बचने के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखों का मिलान सुनिश्चित करना चाहिए।

2.5 बजटीय विश्लेषण की समीक्षा के परिणाम

2.5.1 अयथार्थवादी बजट अनुमान

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु तैयार ₹92,921.77 करोड़ के मूल बजट को ₹84,976.86 करोड़ तक संशोधित किया गया। इसके प्रति, 2017-18 के दौरान ₹73,784.27 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था। 2013-14 से 2017-18 तक की समयावधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.9: 2013-18 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मूल बजट	38,068.16	43,542.83	53,590.46	72,669.54	92,921.77
संशोधित अनुमान	36,289.39	50,206.45	58,786.75	74,929.52	84,976.86
वास्तविक प्राप्तियां	35,833.00	43,099.00	54,660.00	65,197.00	73,784.27
बचत/आधिक्य	456.39	7,107.45	4,126.75	9,732.52	11,192.59

स्रोत: बजट दस्तावेज़ और विनियोग लेखे

इसी प्रकार ₹87,360.04 करोड़ की अनुमानित प्राप्ति को ₹84,166.35 करोड़ तक संशोधित किया गया जिसके प्रति नीचे दिए गए विवरण अनुसार वास्तव में केवल ₹74,073 करोड़ की उगाही की गई थी:

तालिका 2.10: प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मूल बजट	36,742.85	42,063.79	47,776.69	66,943.85	87,360.04
संशोधित अनुमान	34,922.12	44,454.7	53,661.58	69,247.90	84,166.35
वास्तविक प्राप्तियां	33,134.00	39,200.00	50,430.00	62,746.00	74,073.00
बचत/आधिक्य	1,788.12	5,254.70	3,231.58	6,501.90	10,093.35

स्रोत: बजट दस्तावेज़ और विनियोग लेखे

2.5.2 बजटीय प्रक्रिया में चूकें

वर्ष 2017-18 हेतु अनुदानों हेतु मांग की संवीक्षा ने निर्माण में निम्नलिखित अन्तर्निहित प्रवाह दर्शाए:

- ₹29,134.13 करोड़ का एक मुश्त बजटीय प्रावधान जो ₹94,252.03 करोड़ के कुल प्रावधान का 30.91 प्रतिशत बनता है, को राज्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में विस्तृत शीर्ष-वार/योजना वार प्रावधानों के बजाय अनुदानों हेतु विभिन्न मांगों में नियंत्रण अधिकारियों के पास दर्शाया गया था। मामले को अन्तिम वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी दर्शाया गया था परन्तु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- पूंजीगत लेखा शीर्षों को अनुदान हेतु मांग में उप-शीर्ष स्तर पर बन्द किया जा रहा है। अनुदानों हेतु अनुमोदित मांग में आब्जेक्ट शीर्ष स्तर तक विस्तृत वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है।

ये कमियां बजटीय प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बनाती हैं इस प्रकार से महालेखाकार (लेखा एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर द्वारा एकत्रित आंकड़ों से विभागीय आंकड़ों का समेकन करना कठिन है। राज्य सरकार को समय-समय पर उक्त मामलों की सूचना दी गई थी।

2.5.3 बजटीय अनुदानों के व्यपगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-I [नियम 2.16(5) तथा नियम 2.33] के प्रावधानों के अनुसार, राजकोष से तब तक कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह तत्काल वितरण हेतु आवश्यक न हो। इसके अलावा, बजटीय अनुदान के व्यपगमन से बचने के लिए बैंकों अथवा सिविल डिपॉजिट में रखने के

लिए राजकोष से धन आहरित करना स्वीकार्य नहीं है। 13^{वें} वित्त आयोग ने यह सिफारिश भी की कि लोक लेखों को समेकित निधि के विकल्प के रूप में व्यवहारित नहीं किया जाना चाहिए तथा सरकारी व्यय के समेकित निधि से लोक लेखों में अंतरण से बचने के लिए सीधे समेकित निधि से व्यय किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष 8443-सिविल डिपॉजिट के अधीनस्थ लघु शीर्ष 800-अन्य डिपॉजिट में यह पाया गया कि वर्ष की समाप्ति अर्थात् मार्च 2018 तक ₹530.71 करोड़ के संचित शेष को उस समेकित निधि के तहत लेखों के संबंधित मुख्य शीर्ष में वापस लिखा जाना चाहिए जिससे इन्हें वास्तव में स्थानांतरित किया गया था क्योंकि आगामी वर्षों में लेखों के लघु शीर्ष से आहरण के लिए विधान मंडल का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा तथा इस प्रकार, यह विनियोग लेखा तंत्र के माध्यम से विधान मंडल संवीक्षा से बच जाएगा।

इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर के तीन डिवीजनों में से जम्मू डिवीजन के नमूना जांच किए गए बिलों में यह पाया गया कि उक्त नियमों के उल्लंघन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ₹761 करोड़ के कुल आवंटन से ₹11.99 करोड़ (1.57 प्रतिशत) की राशि को विभिन्न अधिकारियों³ द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के लिए राजकोष से आहरित किया गया था तथा लोक लेखा (मुख्य शीर्ष 8443-पीडब्ल्यू जमा) में जमा किया गया था।

2.5.4 संसाधनों का अयथार्थवादी पूर्वानुमान

जम्मू एवं कश्मीर राज्य बजट नियम पुस्तक यह अनुबंधित करती है कि राज्य का बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विभागीय अनुमानों पर आधारित है। विभागीय तथा जिला अनुमान दोनों को उन अधिकारियों की व्यक्तिगत सावधानी मिलनी चाहिए जो उसे प्रस्तुत करते हैं तथा जितना हो सके उतना यथार्थ होना चाहिए। यह पाया गया कि स्वयं के कर राजस्व प्रक्षेपण हेतु 2017-18 के लिए संशोधित अनुमान ₹10,136 करोड़ था जबकि वास्तविक उगाही ₹9,536 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप मूल पूर्वानुमान से छः प्रतिशत कम ₹600 करोड़ का गिरावट अन्तर हुआ। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के लिए गैर-कर राजस्व का प्रक्षेपण ₹5,389 करोड़ था जबकि वास्तविक उगाही ₹4,362 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप मूल प्रक्षेपण के प्रति 19 प्रतिशत तक कमी के तदनु रूप ₹1,027 करोड़ की कम उगाही हुई। वर्षों के दौरान वास्तविक संग्रहण की तुलना में अन्तिम पांच वर्षों के लिए कर तथा गैर-कर राजस्व का प्रक्षेपण निम्नानुसार है:

³ कार्यकारी इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) डिवीजन I एवं II, जम्मू कठुआ, राजौरी, कार्यकारी इंजीनियर, पीएचई मैकेनिकल डिवीजन, उधमपुर, कार्यकारी इंजीनियर ईएमएंडआरई, डिवीजन II एवं III, जम्मू कार्यकारी इंजीनियर एसटीडी, डिवीजन-II, जम्मू कार्यकारी इंजीनियर, सब ट्रांसमिशन डिवीजन IV, कलाकोट, कार्यकारी इंजीनियर, ईएमएंडआरई डिवीजन, राजौरी तथा उच्च न्यायालय, जम्मू

तालिका 2.11: वास्तविक की तुलना में राज्य के कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व का प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	राजस्व का संशोधित अनुमान	वास्तविक उगाही	भिन्नता	प्रतिशतता के रूप में भिन्नता
2013-14	कर राजस्व	6,820	6,273	547	8.02
	गैर-कर राजस्व	3,400	2,870	530	15.59
2014-15	कर राजस्व	6,438	6,334	104	1.62
	गैर-कर राजस्व	3,154	1,978	1,176	37.29
2015-16	कर राजस्व	7,988	7,326	662	8.29
	गैर-कर राजस्व	3,455	3,913	(-)458	(-)13.26
2016-17	कर राजस्व	8,442	7,819	623	7.38
	गैर-कर राजस्व	5,224	4,072	1,152	22.05
2017-18	कर राजस्व	10,136	9,536	600	5.92
	गैर-कर राजस्व	5,389	4,362	1,027	19.06

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य के कर राजस्व की वास्तविक उगाही संग्रहण के अनुमानों से कम थी तथा वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 5.92 प्रतिशत से 8.29 प्रतिशत के बीच भिन्न थी जबकि वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के मामले में भिन्नता 15.59 प्रतिशत से 37.29 प्रतिशत के बीच थी। 2015-16 में राज्य के गैर-कर राजस्व की वास्तविक उगाही अनुमान से 13.26 प्रतिशत अधिक थी तथा वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान राज्य का गैर-कर राजस्व 22.05 प्रतिशत तथा 19.06 प्रतिशत अनुमान से कम था। राज्य प्रमुख रूप से विद्युत प्राप्तियों के तहत कम उगाही की वजह से गैर-कर राजस्व हेतु अपने संशोधित अनुमानों से कम था।

2.5.5 अनुदान सहायता तथा आर्थिक सहायता आदि का गलत वर्गीकरण:

किसी संस्थान/निकाय को अनुदान सहायता सरकार के राजस्व व्यय का भाग होनी चाहिए। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹2,395.97 करोड़ की अनुदान सहायता, ₹152.00 करोड़ की आर्थिक सहायता, ₹0.43 करोड़ का वजीफ़ा एवं छात्रवृत्ति, ₹2.94 करोड़ का वेतन तथा खरीद की ₹301.99 करोड़ की परिचालन लागत को भारत सरकार के लेखांकन मानक (आईजीएएस-2) के पैरा 9 के उल्लंघन में व्यय के आगामी पूंजीगत मुख्य शीर्ष के तहत वितरित किया गया है जैसाकि तालिका 2.12 में तालिकाबद्ध किया गया है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को अधिक तथा राजस्व व्यय को कम बताया गया। इस प्रकार, लेखे व्यय का सही वर्गीकरण नहीं दर्शा रहे हैं।

तालिका 2.12: पूंजीगत शीर्षों के तहत अनुदान सहायता तथा आर्थिक सहायता का वितरण

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	अनुदान सहायता	आर्थिक सहायता	वज़ीफ़ा एवं छात्रवृत्ति	वेतन	खरीद की परिचालन लागत
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (सीओ)	76.23	--	--	--	--
4202-शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति पर सीओ	429.48	--	0.07	0.13	--
4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीओ	131.40	--	--	--	--
4217-शहरी विकास पर सीओ	8.55	--	--	--	--
4225-एससी, एसटी एवं अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण पर सीओ	84.11	1.90	0.35	0.01	--
4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सीओ	0.97	--	--	2.04	8.25
4236-पोषण पर सीओ	0.39	0.02	--	--	--
4401-फसली कृषि पर सीओ	130.30	117.65	--	0.75	--
4402-मृदा एवं जल संरक्षण पर सीओ	--	0.28	--	--	--
4403-पशुपालन पर सीओ	0.04	0.28	--	--	--
4405-मत्स्य पालन पर सीओ	0.33	--	--	--	--
4408-खाद्य संग्रहण तथा वेयरहाउसिंग पर सीओ	--	--	--	--	293.74
4425-सहयोग पर सीओ	--	1.70	--	--	--
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर सीओ	1,523.03	--	--	--	--
4702-ग्राम तथा लघु उद्योग पर सीओ	10.70	--	--	--	--
4851-ग्राम और लघु उद्योग पर सीओ	--	26.48	0.01	--	--
5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अन्वेषण पर सीओ	--	3.69	--	--	--
5452-पर्यटन पर सीओ	0.44	--	--	--	--
5475-सामान्य आर्थिक सेवाओं पर सीओ	--	--	--	0.01	--
कुल	2,395.97	152.00	0.43	2.94	301.99

स्रोत: वित्त लेखे

2.6 पेंशन का अधिक भुगतान

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के कार्यालय द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कोषागारों/उप-कोषागारों के निरीक्षण ने पेंशन/परिवार पेंशन तथा ग्रेच्युटी की अधिक राशि के भुगतान जैसे कारणों की वजह से ₹57.43 लाख (कश्मीर/लेह डिवीजन के 24 कोषागार तथा जम्मू डिवीजन के 23 कोषागार) तक अधिक राशि के भुगतान को प्रदर्शित किया।

जहां तक भुगतान संबंधी पेंशन का संबंध है, उनमें कोषागार अधिकारी के स्तर पर नियंत्रण को मजबूत किया जाना चाहिए।

2.7 भुगतान एवं लेखा अधिकारियों/रक्षा/रेलवे द्वारा पेंशन आदि की प्रतिपूर्ति न होना

ऐसे सव्यवहार जो आरंभ में राज्य कोषागार में हुए थे परन्तु पीएओ/रक्षा द्वारा समायोजन योग्य है, को संभावित समायोजनों हेतु उचन्त के तहत रखा जाता है। मार्च 2018 को समाप्त केन्द्रीय पेंशन लेखांकन अधिकारी, नई दिल्ली, रक्षा लेखा नियंत्रक, इलाहाबाद, रक्षा लेखा नियंत्रक, नार्थन कमांड, जम्मू तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (एफएएंडसीएओ) उत्तर रेलवे की ओर से राज्य कोषागार द्वारा भुगतान की गई क्रमशः ₹246.64 करोड़, ₹16.63 करोड़, ₹3.60 करोड़ और ₹3.48 करोड़ की राशि कोषागारों द्वारा संबंधित तिमाहियों को वाउचरों की प्रस्तुति न होने अथवा केन्द्रीय पेंशन लेखांकन अधिकारी, रक्षा तथा रेल विभाग से प्रतिक्रिया प्राप्त न होने की वजह से राज्य सरकार के लेखों में अभी भी समायोजन योग्य है (जुलाई 2018)। **मामले पर संबंधित विभागों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा की जाने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य को अधिक राशि प्रतिपूर्ति योग्य है।**

2.8 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

29 अनुदानों में से नमूना जांच किए गए दो अनुदानों (अनुदान संख्या: 06 तथा अनुदान संख्या: 08) में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा ने आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाई:

2.8.1 अनुदान संख्या 06 - विद्युत विकास विभाग

नमूना जांच किए गए अनुदानों में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा ने आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाई:

तालिका 2.13: 2017-18 के दौरान बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व (दत्तमत और प्रभारित)		पूंजी (दत्तमत और प्रभारित)		कुल विनियोग (राजस्व+पूंजी) (5)=(1+3)	कुल व्यय (राजस्व+पूंजी) (6)=(2+4)	कुल बचत (-)/अतिरिक्त (+) (राजस्व+पूंजी) (7)=(5-6)
	कुल विनियोग (1)	व्यय (2)	कुल विनियोग (3)	व्यय (4)			
1	10,269.84	5,061.91	6,251.49	660.22	16,521.33	5,722.13	10,799.20(65)
कुल	10,269.84	5,061.91	6,251.49	660.22	16,521.33	5,722.13	10,799.20(65)

(ब्रेकेट में कुल विनियोग के प्रति कुल बचत का प्रतिशत दर्शाया गया है)

- (i) राजस्व (दत्तमत) के साथ-साथ पूंजीगत (दत्तमत) दोनों भागों में काफी बचत हुई थी। ₹16,521.33 करोड़ के बजट/विनियोग के प्रति, वास्तविक व्यय ₹5,722.13 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹10,799.20 करोड़ (65 प्रतिशत) की कुल बचत हुई थी। ये यह दर्शाता है कि बजट आकलनों को या तो अयथार्थवादी ढंग से बनाया गया था या विभाग ने 2017-18 के दौरान राशि का वितरण नहीं किया था तथा बचतों को भी वापिस नहीं किया गया।
- (ii) जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 82 के अनुसार, यह राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किए गए अनुदान/विनियोग से अधिक धन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। ₹151.43 करोड़ (परिशिष्ट 2.8) के अधिक व्यय का विधान मंडल द्वारा विनियमन करना अपेक्षित है। यह विधानमंडल के प्रयोजन के विपरीत है तथा लोक निधि के उपयोग पर कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।
- (iii) राज्य बजट नियम पुस्तक के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग को जब भी बचत का पूर्वानुमान हो तब वित्त विभाग को अनुदान/विनियोग अथवा उसके भाग को वापिस करना अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर, 35 मामलों (परिशिष्ट 2.9) में, संबंधित विभाग द्वारा ₹7,732.34 करोड़ (65 प्रतिशत) की बचत को वापिस नहीं किया गया। अनुदानों में बचत अनुदानों के अधिक निर्धारण की सूचक है जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई तथा निधियों (बचतों) को वापिस न करना राज्य बजट नियम पुस्तक के निर्देशों का उल्लंघन है।

- (iv) दो मामलों (परिशिष्ट 2.10) में, ₹2.80 करोड़ की राशि का व्यय या तो मूल अनुदानों या अनुपूरक मांगों में बजटीय प्रावधान के बिना किया गया था। ये सेवाएं अनुदानों हेतु मांग में वर्णित न की गईं नई सेवाएं अथवा न्यू इन्स्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस भी हो सकती हैं जिसके प्रति कोई टोकन अनुदान भी प्राप्त नहीं किया गया था।
- (v) तेरह लघु शीर्षो/योजनाओं में ₹3,221.09 करोड़ (परिशिष्ट 2.11) का संपूर्ण बजट प्रावधान अनुपयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप सामान्य जन को अभीष्ट लाभों का अस्वीकरण हुआ। प्रावधान को उन जरूरतमंद योजनाओं/कार्यों के लिए पुनः विनियोजित किया जाना चाहिए जहां प्रावधान से अधिक व्यय हुआ था।

2.8.2 अनुदान संख्या - 08 - वित्त विभाग

अनुदान की बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा ने निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाया:

तालिका 2.14: 2017-18 के दौरान बचत/आधिक्य

क्र.सं. (1)	राजस्व (दत्तमत और प्रभारित)		पूंजी (दत्तमत और प्रभारित)		कुल विनियोग (राजस्व+पूंजी) (6)=(2+4)	कुल व्यय (राजस्व+पूंजी) (7)=(3+5)	कुल बचत (-)/अतिरिक्त (+) (राजस्व+पूंजी) (8)=(6-7)
	कुल विनियोग (2)	व्यय (3)	कुल विनियोग (4)	व्यय (5)			
1	11,473.18	10,370.32	21,186.45	22,813.51	32,659.63	33,183.83	(+524.20(2)
कुल	11,473.18	10,370.32	21,186.45	22,813.51	32,659.63	33,183.83	(+524.20

(ब्रैकेट में कुल विनियोग के प्रति कुल बचत का प्रतिशत दर्शाया गया है)

- (i) राजस्व (दत्तमत एवं प्रभारित) में बचते तथा पूंजीगत (दत्तमत एवं प्रभारित) भाग में आधिक्य था। ₹32,659.63 करोड़ के बजट/विनियोग के प्रति, वास्तविक व्यय ₹33,183 करोड़ था जिसके फलस्वरूप ₹524.20 करोड़ (दो प्रतिशत) का सम्पूर्ण आधिक्य था।
- (ii) जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 82 के अनुसार, यह राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किए गए अनुदान/विनियोग से अधिक धन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1,829.62 करोड़ (परिशिष्ट 2.8) के अधिक व्यय का विधान मंडल द्वारा विनियमन करना अपेक्षित है।

- (iii) राज्य बजट नियम पुस्तक के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग को जब भी बचत का पूर्वानुमान हो तब वित्त विभाग को अनुदान/विनियोग अथवा उसके भाग को वापिस करना अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर, 24 मामलों (*परिशिष्ट 2.9*) में, संबंधित विभाग द्वारा ₹1,732.27 करोड़ (25 प्रतिशत) की बचत को वापिस नहीं किया गया। अनुदानों में बचत अनुदानों के अधिक निर्धारण की सूचक है जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई तथा निधियों (बचतों) को वापिस न करना राज्य बजट नियम पुस्तक के निर्देशों का उल्लंघन है।
- (vi) 34 मामलों (*परिशिष्ट 2.10*) में ₹6,246.88 करोड़ की राशि का व्यय या तो मूल अनुदानों या अनुपूरक मांगों में बजटीय प्रावधान के बिना किया गया था। ये सेवाएं अनुदानों हेतु मांग में वर्णित न की गईं नई सेवाएं अथवा न्यू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सर्विस भी हो सकती हैं जिसके प्रति कोई टोकन अनुदान भी प्राप्त नहीं किया गया था।
- (v) तेरह लघु शीर्षों/योजनाओं में ₹5,820.02 करोड़ (*परिशिष्ट 2.11*) का संपूर्ण बजट प्रावधान अनुपयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप सामान्य जन को अभीष्ट लाभों का अस्वीकरण हुआ। प्रावधान को उन जरूरतमंद योजनाओं/कार्यों के लिए पुनः विनियोजित किया जाना चाहिए जहां प्रावधान से अधिक व्यय हुआ था।

2.9 संस्वीकृतियों की लेखापरीक्षा

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में प्राप्त 29 विभागों में से 14 विभागों के संदर्भ में वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹5,917.32 करोड़ की सीमा तक 242 संस्वीकृतियों की नमूना जांच के दौरान, इन संस्वीकृतियों में निम्नलिखित कमियां/अभाव देखा गया:-

(i) अनुदानों के लिए मांग में किसी प्रावधान के बिना संस्वीकृति जारी की गई

₹216.79 करोड़ की 38 संस्वीकृति में, विस्तृत शीर्ष, लघु शीर्ष तथा मुख्य शीर्ष स्तर आदि पर अनुदानों हेतु मांग में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया।

(ii) संस्वीकृति में कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया/अपूर्ण वर्गीकरण दिया गया/ गलत वर्गीकरण दिया गया

संस्वीकृति जारी करते समय पूर्ण वर्गीकरण अर्थात् मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, विस्तृत शीर्ष आदि दर्ज किए जाने चाहिए ताकि इसे सही प्रकार से संबंधित शीर्षों में दर्ज/प्रविष्ट किया जाए। इसके विपरीत, ₹33.08 करोड़ की राशि वाली 14 संस्वीकृति में कोई वर्गीकरण प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा, ₹719.16 करोड़ की राशि वाली 53 संस्वीकृति में अपूर्ण वर्गीकरण भी देखा गया था जहां संस्वीकृति में या तो मांग

संख्या या लघु शीर्ष या विस्तृत शीर्ष नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त ₹83.73 करोड़ वाली छः संस्वीकृति में गलत वर्गीकरण पाया गया था।

(iii) वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की गई संस्वीकृति

जम्मू एवं कश्मीर बजट नियम पुस्तक के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को वर्ष के दौरान जितना संभव हो उतने उपयुक्त शीर्ष के तहत व्यय का उपयोग करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही तथा विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में तीव्र गति व्यय करने से बचना चाहिए। इसके विपरीत, ₹188.52 करोड़ की राशि वाली 10 संस्वीकृति को मार्च 2018 के दौरान निधियों के व्यपगमन को रोकने के लिए जारी किया गया था इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अन्त में तीव्र गति से व्यय हुआ।

राज्य सरकार यह निर्देश जारी कर सकती है कि बजट निर्माण में त्रुटियों से बचने तथा सरलता एवं आसानी से लेखों का मिलान करने के लिए संस्वीकृति आदेशों में पूर्ण वर्गीकरण दर्ज किया जाए।

2.10 निष्कर्ष

₹26,833.97 करोड़ की बचत में ₹6,397.06 करोड़ के आधिक्य को समायोजित करके विभिन्न अनुदानों तथा विनियोगों में ₹20,436.91 करोड़ की कुल बचत हुई।

31 मार्च 2018 तक अनुमोदित प्रावधान से ₹1,14,061.35 करोड़ के अधिक व्यय को जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 82 के तहत नियमित करना अपेक्षित है। दस मामलों में अन्तिम पांच वर्षों में ₹एक करोड़ तथा कुल अनुदान के दस प्रतिशत अथवा अधिक तक निरन्तर बचत भी देखी गई। कई मामलों में, अन्य विकास प्रयोजनों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए वर्ष के अन्त तक पूर्वापेक्षित बचत को वापिस नहीं किया गया था। प्राप्ति तथा व्यय दोनों पक्षों में इस सीमा तक अधिक बजट निर्माण ने राज्य बजट का गलत वर्णन दर्शाया। विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 'तीव्र गति व्यय' के अलावा अपर्याप्त प्रावधानों तथा अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों के मामले भी थे।

जरूरतमंद क्षेत्रों/कार्यों को पूर्वापेक्षित बचत में से निधि प्रदान करने के लिए कोई पुनः विनियोजन/अभ्यारपण आदेश जारी नहीं किया गया था।

कोषागारों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा में पेंशन/परिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के अधिक भुगतान को दिखाया।

इसमें वर्ष के अन्त में मुख्य शीर्ष-8443-सिविल डिपॉजिट के अधीनस्थ लघु शीर्ष-800-अन्य डिपॉजिट के अन्तर्गत ₹530.71 करोड़ का संचित शेष है जिसे उस समेकित निधि जिससे इन्हें वास्तव में हस्तांतरित किया गया था, के तहत मुख्य लेखा शीर्षों में पुनः दर्ज नहीं किया गया है।

2017-18 के दौरान, ₹2,395.97 करोड़ की अनुदान सहायता, ₹152.00 करोड़ की आर्थिक सहायता, ₹0.43 करोड़ का वज़ीफ़ा एवं छात्रवृत्ति, ₹2.94 करोड़ का वेतन तथा पीडीएस के माध्यम से अनिवार्य मदों की खरीद/बिक्री की परिचालन लागत के रूप में ₹301.99 करोड़ को व्यय के पूंजीगत मुख्य शीर्षों के तहत वितरित किया गया जिसके फलस्वरूप पूंजीगत व्यय को अधिक तथा राजस्व व्यय को कम बताया गया।

अध्याय-III
वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय - III

वित्तीय रिपोर्टिंग

उचित तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक सहज आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमुख रूप से राज्य सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन में योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमावली, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता तथा गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन तथा नियंत्रणों पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी और परिचालनात्मक हो, तो सामरिक योजना बनाने तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल सुप्रबंधकता प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता करते हैं।

3.1 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारतीय संविधान की धारा 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के लेखों के फॉर्म निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 2017-18 में इन लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया तथा इसमें कमियों को नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अनुपालन/कमी
1	आईजीएस 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां- प्रकटन आवश्यकताएं	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 तथा 20)	वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि, गारंटियों में वृद्धि, विलोप जैसी विस्तृत सूचना, प्रत्येक संस्थान हेतु गारंटियों के क्षेत्र तथा वर्ग को प्रस्तुत किये गये परन्तु प्रत्येक संस्थान के लिए गारंटियों की संख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

2	आईजीएस 2: अनुदान सहायता का लेखांकन तथा वर्गीकरण	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखों का विवरण 10)	(i) राजस्व भाग के तहत वर्गीकृत की जाने वाली कुछ अनुदान सहायता को पूंजीगत भाग के तहत वर्गीकृत किया गया है (ii) राज्य सरकार द्वारा संवेदनापूर्ण दी गई अनुदान सहायता के संदर्भ में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2018)।
3	आईजीएस 3: सरकार द्वारा निष्पादित ऋण एवं अग्रिम	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखों का विवरण 18)	राज्य सरकार द्वारा बकायों तथा उस पर प्रोदभूत ब्याज की वसूलियों के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए।

स्रोत: भारत सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

3.2 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन

जम्मू एवं कश्मीर वित्त संहिता खण्ड-1 के पैरा 7.10 के अनुसार, ऐसे बिल जिन्हें भुगतान के पश्चात् प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है, को संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों पर अग्रिम भुगतान के रूप में आहरित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारियों को उस आगामी माह के अन्त तक डीसी बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें नियंत्रण अधिकारी के लिए एसी बिल को आहरित किया जाता है तथा नियंत्रण अधिकारी को इसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर महालेखाकार को प्रतिहस्ताक्षरित रूप में इसे प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(i) इसके विपरीत, 31 जनवरी 2018 तक विभिन्न आहरण तथा वितरण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा. एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर को एसी बिलों पर आहरित 2,032 बिलों के अन्तर्गत ₹2,545.83 करोड़ (परिशिष्ट 3.1) की कुल राशि के प्रति तदनुरूपी डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। शेष 2,032 एसी बिलों में से, ₹1,181.83 करोड़ के 1,854 बिल 2015-16 से संबंधित हैं, ₹34.08 करोड़ के 22 बिल 2016-17 से संबंधित हैं तथा ₹1,329.92 करोड़ के शेष 156 बिल वर्ष 2017-18 से संबंधित हैं। अधिकतर डीसी बिल निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित थे (मार्च 2018) जैसाकि नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: विभागों से प्रतीक्षित डीसी बिल

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि (₹करोड़ में)	प्रतिशत
01	शिक्षा विभाग	1,049.96	41.24
02	ग्रामीण विकास विभाग	271.73	10.67
03	राजस्व विभाग	211.55	8.31
04	चिकित्सा विभाग	160.85	6.32
05	गृह विभाग	147.64	5.80
06	कृषि विभाग	133.79	5.26
07	उद्योग विभाग	82.97	3.26
08	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग	80.08	3.15

(ii) इसके अलावा, 2017-18 के दौरान ₹2,112.91 करोड़ की राशि के 241 एसी बिलों को आहरित किया गया था जिसमें से केवल मार्च 2018 में ₹885.47 करोड़ (41.91 प्रतिशत) की राशि के 112 एसी बिल आहरित किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹139.32 करोड़ (15.73 प्रतिशत) की राशि के 21 एसी बिलों को आहरित किया गया था। मार्च 2018 में आहरित ₹885.47 करोड़ की राशि के 112 एसी बिलों में से शिक्षा विभाग द्वारा ₹430.22 करोड़ (48.59 प्रतिशत) के 13 बिल, सहकारी विभाग द्वारा ₹255.71 करोड़ का एक बिल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग द्वारा ₹72.24 करोड़ के सात बिल, ग्राम तथा लघु उद्योगों द्वारा ₹26.50 करोड़ के 13 बिल तथा सामान्य आर्थिक सेवा विभाग द्वारा ₹18.45 करोड़ के चार बिल आहरित किए गए थे। मार्च में एसी बिलों के प्रति व्यय यह दर्शाता है कि आहरण प्रमुख रूप से बजट प्रावधानों को खर्च करने के लिए थे तथा इससे अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का पता चलता है।

मामलों को समय-समय पर निरन्तर सरकार/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया है (जुलाई 2018)। राज्य वित्त विभाग द्वारा इस संदर्भ में निर्देश जारी होने के बावजूद, डीडीओ ने महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को लंबित डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए।

दीर्घावधि में ऐसी अधिक राशि के लिए डीसी बिलों का प्रस्तुतिकरण न होना वित्तीय विनियम का उल्लंघन करता है तथा यह लोक निधि के गलत विनियोजन के जोखिम से भरा है तथा यह एक खराब व्यवस्था है। सरकार मौजूदा नियमावली के तहत अपेक्षित अनुसार अनुबंधित अवधि के अन्दर आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

3.3 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

ऐसे स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण जिनके पास स्वयं के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, की वित्तीय रूप से सहायता सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किए जाने के लिए सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करके की जाती है। राज्य द्वारा स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रदान की गई जीआईए की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.3: राज्य द्वारा स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को प्रदान किया गया सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	श्रीनगर नगर निगम	117.73	161.16	158.18	285.02	108.47
2	जम्मू नगर निगम	74.30	108.64	98.54	134.49	163.42
3	शहरी स्थानीय निकाय (कश्मीर)	74.49	87.36	56.03	1.95	105.17
4	शहरी स्थानीय निकाय (जम्मू)	36.97	62.94	76.65	69.61	76.29
5	एसकेयूएसटी* - कश्मीर	80.92	100.54	132.18	166.75	94.62
6	एसकेयूएसटी* - जम्मू	70.15	59.48	54.61	81.00	146.38
7	कश्मीर विश्वविद्यालय	82.60	114.67	156.80	145.84	160.00
8	जम्मू विश्वविद्यालय	74.08	76.14	85.80	124.00	137.00
9	जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद	21.76	16.93	19.52	24.55	33.65
10	जम्मू-कश्मीर कला एवं संस्कृति अकादमी	14.31	17.16	15.18	23.97	24.29

11	प्रबंधन और लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)	9.63	10.47	10.13	12.14	13.70
12	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	19.46	7.48	17.47	13.11	18.00
13	अन्य	134.37	446.28	641.59	646.72	1,673.12
	कुल	810.77	1,269.25	1,522.68	1,729.15	2,754.11

*शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/कश्मीर

स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय नियमावली यह प्रावधान करती है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा गारंटियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त किया जाना चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात् अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो इन्हें उनकी संस्वीकृति की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

2017-18 के अन्त तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति:

31 मार्च 2018 तक प्रास्थिति

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	मदों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
2015-16 तक	527	1,654.31
2016-17	342	1,771.30
2017-18	545	3,259.58
कुल	1,414	6,685.19

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2018 तक ₹6,685.19 करोड़ सहित कुल 1,414 यूसी बकाया थे। बकाया 1,414 यूसी में से ₹1,771.31 करोड़ के 342 यूसी एक वर्ष से अधिक तक लम्बित थे तथा ₹1,654.31 करोड़ की राशि के 527 यूसी दो वर्षों से अधिक तक बकाया थे। अधिकतर बकाया यूसी शिक्षा विभाग (₹3,191.99 करोड़), आवासीय तथा शहरी विभाग (₹1,136.30 करोड़), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (₹650.74 करोड़) से प्रतीक्षित है।

इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि धन को वास्तव में अभीष्ट प्रयोजन हेतु व्यय किया गया था। यूसी का अधिक लम्बन निधियों के गलत विनियोग तथा धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

3.4 वार्षिक लेखों की प्रस्तुति न होना/विलम्ब से प्रस्तुति होना

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 14 के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को 56 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन स्वायत्त निकायों से कुल 801 वार्षिक लेखें प्रतीक्षित थे जैसाकि 31 मार्च 2018 तक में विवरण दिया गया है (परिशिष्ट 3.2)। लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखों की प्रस्तुति हेतु बार-बार इन निकायों के साथ मामलों पर चर्चा की गई है।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखों की सत्यापन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19(3) तथा 20(1) के तहत की जाती है। उक्त धारा के अनुसार लेखापरीक्षा सीमा के अन्तर्गत आने वाली एबी को प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित है। दस स्वायत्त निकाय जिन्हें सी एंड एजी को वार्षिक लेखे देने थे, के संदर्भ में, दो से 23 वर्षों के बीच विलंब था जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 3.5: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों की प्रस्तुति न होना

(₹ करोड़ में)

निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्षों में विलम्ब	लेखों की संख्या	2017-18 के दौरान अनुदान
लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद, लेह (एलएएचडीसी-एल)	23	23	278.31
लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद, कारगिल (एलएएचडीसी-के)	15	15	279.58
क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	09	09	शून्य
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएसटी) कश्मीर	08	08	94.62

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएसटी) जम्मू	02	02	146.38
ईपीएफ बोर्ड श्रीनगर	12	12	शून्य
जम्मू और कश्मीर राज्य आवास बोर्ड	06	06	शून्य
खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (केवीआईबी)	03	03	18.00
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	05	05	शून्य
राज्य कानून सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)	03	03	6.94
कुल		86	823.83

भारत के सीएजी को लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद (एलएचडीसी), लेह तथा एलएचडीसी, कारगिल की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। एलएचडीसी, लेह अपने आरंभ अर्थात् 1995-96 से लेखापरीक्षा हेतु लेखों को प्रस्तुत करने में विफल है तथापि, परिषद को अधिकतम राशि जारी की जा रही है तथा वर्ष के अन्त में अव्ययित बकायों का राज्य के लोक लेखे में गैर-व्यपगत निधि में क्रेडिट जारी रहा। यही स्थिति एलएचडीसी, कारगिल के संबंध में भी है जो वर्ष 2004-05 से अस्तित्व में आया तथा इसके आरंभ से ही लेखे बकाया है। क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएमपीए) ने भी अपने आरंभ अर्थात् नवम्बर 2009 से लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसी प्रकार, एसकेयूएसटी, कश्मीर, एसकेयूएसटी, जम्मू, ईपीएफ बोर्ड, श्रीनगर, केवीआईबी, बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी तथा एसएलएसए ने भी एक से बारह वर्षों की अवधि हेतु लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

राज्य बजट से अधिक निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखों की प्रस्तुति न होना/विलम्ब से प्रस्तुति होना वर्षों से विद्यमान एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस अननुपालन के संदर्भ में, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी तक राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जैसाकि उन संविधियों के तहत अपेक्षित है जिसके अन्तर्गत इन निकायों को बनाया गया था। लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब/बकायों में पता न लगने वाली वित्तीय अनियमितताओं से जोखिम होता है तथा यह धोखाधड़ी और गलत विनियोग की संभावना बनाते हैं। इसने राज्य

विधानमंडल को उनके कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर फीडबैक प्राप्त करने के अवसर से भी वंचित किया है।

सरकार राज्य विधानमंडल को प्रस्तुति हेतु लेखों के समय पर निर्माण तथा प्रस्तुति के लिए निकायों के साथ मामले पर चर्चा कर सकती है।

3.5 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

वाणिज्यिक प्रकार के कार्यकलापों को करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा लेखे तैयार करना अपेक्षित है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम लेखे उनकी सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यवसाय करने की कुशलता को परिलक्षित करते हैं। लेखों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार के निवेश, सुधारात्मक उपायों यदि कोई आवश्यक हो, तो उसे समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विलम्ब धोखाधड़ी और लोक धन की लीकेज के जोखिम से भरा है।

सरकारी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करे तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए निर्दिष्ट समय सीमा में महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत करें। सरकार के ऐसे दो विभागीय उपक्रम हैं: (क) सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, श्रीनगर एवं जम्मू तथा (ख) ग्राहक मामला तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)। इन दोनों उपक्रमों के वाणिज्यिक परिचालनों के प्रोफार्मा लेखे बकाया हैं। दो सरकारी प्रेसों ने 1968-69 से 2017-18 तक अपने प्रोफार्मा लेखे नहीं बनाए हैं (जुलाई 2018)। कश्मीर एवं लद्दाख डिवीजन में, विभागीय रूप से चल रही पीडीएस शॉप के साथ-साथ फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) द्वारा अर्थात् विभागीय शॉप के माध्यम से 55 प्रतिशत तथा एफपीएस के माध्यम से 45 प्रतिशत तक पीडीएस परिचालन किए गए हैं। इन दो डिवीजनों में 1975-76 (संशोधित लेखे) से 2017-18 (जुलाई 2018) तक प्रोफार्मा लेखे नहीं बनाए गए हैं। जम्मू डिवीजन में, पीडीएस परिचालन प्रमुख रूप से निजी डीलरों के नेटवर्क (लगभग 91 प्रतिशत) के माध्यम से है तथा 1973-74 से 1997-98 तक तथा 1999-2000 से 2017-18 तक प्रोफार्मा लेखे नहीं बनाए गए हैं। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफार्मा लेखों की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के अननुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती।

राज्य में पीएसयू के प्रोफार्मा लेखे की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-3.3 में दी गई है। 24 पीएसयू में से 20 पीएसयू के लेखे 1 से 21 वर्षों के बीच की अवधि हेतु अंतिम रूप देने के लिए लंबित थे।

3.6 सरकारी लेखों में अपारदर्शिता

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय को केवल तभी परिचालित करने पर विचार किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान न किया गया हो। बजटीय तथा लेखांकन के लिए लघु शीर्ष 800 के दैनिक परिचालन व्यय अथवा राजस्व के इसके उपयुक्त उद्देश्य के लिए प्राप्ति/व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किए बिना अस्पष्ट लेखे प्रदान करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹48,511.88 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 9.07 प्रतिशत बनाते हुए लेखों के 39 राजस्व मुख्य शीर्षों के तहत ₹4,401.42 करोड़ (विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की बिक्री की वजह से ₹3,150.94 करोड़ की उस राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित करते हुए जिसके लिए मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में कोई उपयुक्त लघु शीर्ष निर्धारित नहीं किया गया है) को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, ₹51,269.37 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 11.58 प्रतिशत बनाते हुए 58 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹5,934.59 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत बुक किया गया था। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत वर्गीकरण ने 2016-17 में 25.08 प्रतिशत से 2017-18 के दौरान 9.07 प्रतिशत तक सुधार किया परन्तु यह लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत 2016-17 में 11.08 प्रतिशत से 2017-18 में 11.58 प्रतिशत तक अधिक बढ़त हुआ है। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुक अधिक राशि का वर्गीकरण लेखों में सही स्थिति नहीं दर्शाता।

सरकार प्राप्त राशि तथा लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय तथा 800 अन्य प्राप्तियों के तहत अधिक स्पष्टता के लिए मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों तथा व्यय को एकत्र करने के बजाय स्पष्ट रूप से विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए व्यय को दर्शाने पर विचार कर सकती है।

3.7 ठेकेदारों को अदत्त देयता

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की ₹2,098.06 करोड़ तक प्रतिबद्ध देयता में मुख्य निर्माण कार्य तथा ठेके (₹127.75 करोड़), भूमि अधिग्रहण प्रभार (₹879.23 करोड़) तथा कार्यों/आपूर्ति पर अप्रदत्त बिलों (₹1,091.08 करोड़) सम्मिलित है। राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा निधियों का प्रावधान किए बिना ठेकेदार द्वारा कार्य करवा रही है तथा ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा इस प्रकार, इसके फलस्वरूप इस लेखे पर देयता का सृजन हुआ।

3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मुद्दों के लिए कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति (पीएसी)/सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू), स्वप्रेरित की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) को प्रस्तुत करने के लिए प्रशासनिक विभागों को इस तथ्य के मद्देनजर जून 1997 में निर्देश जारी किए थे कि इन समितियों द्वारा इन पर चर्चा की जा रही है या नहीं। इन एटीएन को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा राज्य विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर पूर्ण रूप से पुनरीक्षित करके इन समितियों को प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य वित्त (एसएफआर) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को 2008-09 से बनाया जा रहा था तथा वर्ष 2015-16 तक के प्रतिवेदनों को अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एसएफआर पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा किसी भी एसएफआर पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एसएफआर को 06 अप्रैल 2018 को अग्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि राज्य 20 जून 2018 से गवर्नर/राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है।


3.9 निष्कर्ष

31 जनवरी 2018 तक विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा एसी बिलों पर आहरित कुल ₹2,545.83 करोड़ की राशि के प्रति, तदनुरूपी डीसी बिलों को महालेखाकार (लेखा. एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में स्थिति में 2016-17 की तुलना में वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई। 31 मार्च 2018 तक कुल ₹6,685.19 करोड़ की राशि वाले कुल 1,414 यूसी बकाया थे। 31 मार्च 2018 तक लेखापरीक्षा के लिए 56 स्वायत्त निकायों के कुल 801 वार्षिक लेखे वर्ष 1972-73 से 2017-18 तक के बीच प्रतीक्षित थे।

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफार्मा लेखों की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के अननुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती।

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुक अधिक राशि का वर्गीकरण लेखों की सही स्थिति नहीं दर्शाता है।



(सुशील कुमार ठाकुर)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख

श्रीनगर/जम्मू

दिनांक 11 दिसम्बर 2019

प्रतिहस्ताक्षरित



(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक 26 दिसम्बर 2019

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: पैराग्राफ: 1)
जम्मू और कश्मीर की प्रोफाइल

क. सामान्य डेटा			
क्र. सं.	विवरण	आंकड़े	
1	क्षेत्र	2.22 लाख* वर्ग किमी.	
2	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	1.25 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =382 व्यक्ति प्रति सक्वेयर किमी.)	124 प्रति वर्ग किमी.	
4	2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.9 प्रतिशत)	10.4	
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 प्रतिशत)	67.2	
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)। (अखिल भारतीय औसत = 34 प्रति 1000 जीवित जन्म (2016))	24	
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष)	73.2	
8	एचडीआई	भारत (आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18)	0.467
	मूल्य दर	जम्मू और कश्मीर	0.529
	एचडीआई रैंक	जम्मू और कश्मीर	10
9	विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2008-09 से 2017-18)	13.30 13.00	
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2008-09 से 2017-18)	जम्मू और कश्मीर	14.30
		विशेष श्रेणी राज्य	14.60
11	जनसंख्या वृद्धि (2008-09 से 2017-18)	जम्मू और कश्मीर	11.20
		विशेष श्रेणी राज्य	11.10

ख. वित्तीय डेटा					
क्र. सं.	विवरण (सीएजीआर)	आंकड़े (प्रतिशत में)			
		2008-09 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
		विशेष श्रेणी राज्य	जम्मू और कश्मीर	विशेष श्रेणी राज्य	जम्मू और कश्मीर
क.	राजस्व प्राप्तियां	13.70	14.40	10.40	15.60
ख.	स्वयं कर राजस्व	16.00	18.30	#20.00	23.90
ग.	कर रहित राजस्व	8.30	21.90	8.00	7.10
घ.	कुल खर्च	13.70	13.90	10.60	6.50

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

ड.	पूँजीगत व्यय	7.80	6.60	19.60	24.90
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.60	19.90	15.80	21.50
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.00	17.80	20.50	4.70
ज.	वेतन और मजदूरी	14.70	15.70	20.60	6.60
झ.	पेंशन	18.80	16.20	28.10	28.20

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)

अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे बाहरी राज्यों को छोड़कर:

स्रोत: *जनगणना 2011, आर्थिक सर्वेक्षण (भारत सरकार) 2017-18

परिशिष्ट-1.2

भाग क: संरचना और सरकारी लेखों के प्रपत्र

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिक निधि और (iii) सार्वजनिक खाता।

भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष बिलों, आंतरिक और बाह्य ऋणों के निर्गम द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत राज्य की संचित निधि कहा जाता है।

भाग II: आकस्मिक निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिक निधि तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम देने में सक्षम बनाने हेतु विधानमंडल द्वारा लंबित प्राधिकार द्वारा राज्यपाल के नियंत्रण पर अग्रदाय की प्रकृति की होती है। विधानमंडल का अनुमोदन ऐसे व्यय के लिए और संचित निधि से समतुल्य राशि वापस लेने के लिए बाद में प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद आकस्मिक निधि से अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत व्यवस्थिति लोक लेखा; लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उच्चंत, प्रेषण आदि जैसे कतिपय लेन-देन के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण, जो संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को लोक लेखों में रखा जाता है और राज्य विधान मंडल के विषयाधीन नहीं हैं।

भाग ख: वित्त लेखों का प्रारूप

विवरण	प्रारूप
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण सं. 2	प्राप्तियों और संवितरण का विवरण
विवरण सं. 3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण सं. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण
विवरण सं. 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय का विवरण
विवरण सं. 6	उधार और अन्य देयताओं का विवरण
विवरण सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण
विवरण सं. 8	सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण
विवरण सं. 10	सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण

विवरण सं. 11	दत्तमत और शुल्क व्यय का विवरण
विवरण सं. 12	राजस्व के अलावा व्यय के लिए धन के स्रोतों और उपयोग का विवरण
विवरण सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक लेखों के तहत शेष राशि का सारांश
विवरण सं. 14	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 15	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 16	लघु शीर्ष और उप शीर्ष द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 17	उधार और अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम के विस्तृत विवरण
विवरण सं. 19	सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 21	आकस्मिक निधि और अन्य सार्वजनिक खाता लेनदेन पर विस्तृत विवरण
विवरण सं. 22	ईयरमार्कड शेष के निवेश पर विस्तृत विवरण

परिशिष्ट-1.3

वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति

चयनित राजकोषीय चर के लिए टीएफसी द्वारा निर्धारित मानदंड/उच्चतम शीर्ष, राजकोषीय समुच्चयों के एक सेट के लिए अपने अनुमानों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए वचनबद्धताओं/प्रक्षेपों के साथ अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में और अधिनियम के तहत विधायिका में बनाये गये अन्य विवरणों में (परिशिष्ट 1.2 के भाग ख) का उपयोग प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के रुझानों और पैटर्न का गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह मानते हुए कि सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेत है, कर और गैर-कर राजस्व, राजस्व और पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय समुच्चय वर्तमान बाजार कीमतों पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया। जीएसडीपी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय चरों के लिए उछाल गुणांकों का भी आकलन करने के लिए कार्य किया गया है कि क्या संसाधनों की जुटाव, व्यय का पैटर्न आदि आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख रहे हैं। विगत पांच वर्षों हेतु जीएसडीपी में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान कीमतों पर भारत जीडीपी (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
वर्तमान कीमतों पर राज्य जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887*
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07

स्रोत: *अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग निदेशालय जम्मू और कश्मीर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेब साइट, भारत सरकार

शर्तें	गणना का आधार
एक मानदंड में उछाल	मानदंड/जीएसडीपी गोथ की वृद्धि की दर
अन्य मानदंड (वाई) के संबंध में	मानदंड (एक्स) की वृद्धि दर
एक मानदंड का उछाल (एक्स)	मानदंड (वाई) की वृद्धि दर
विकास दर (आरओजी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवा + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियों की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2] * 100$
ऋण बकाया के लिए ब्याज प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुआ	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{शेष राशि} + \text{ऋणों और अग्रिमों का अंत शेष}) / 2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण और अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजी प्राप्तियां
प्राथमिक कमी	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पूर्व-विचलन गैर-नियोजित राजस्व घाटा	गैर-नियोजित राजस्व व्यय - (राज्य के अपने कर राजस्व + राज्य के अपने गैर-कर राजस्व)
राज्य की अपनी कमी	राजकोषीय घाटा-केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्सेदारी-केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान
गैर नियोजित राजस्व गैप	राजस्व कमी - 'योजना' लेखे पर राजस्व कमी = राजस्व कमी - (योजना राजस्व व्यय - योजना अनुदान)
प्राथमिक राजस्व व्यय	कुल राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.1, पैराग्राफ: 1.2 और 1.3)

राज्य सरकार वित्त पर समय श्रृंखला डेटा

(₹ करोड़ में)

भाग - क प्राप्ति	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय सकल					
1. राजस्व प्राप्तियां (क) + (ख)	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
(क) कर राजस्व	10,415 (38)	10,811 (37)	15,141 (42)	17,308 (41)	21,448 (44)
(i) राज्य के अपने कर से राजस्व	6,273 (23)	6,334 (22)	7,326 (20)	7,819 (19)	9,536 (20)
जिसके भाग हैं					
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स	0	0	0	0	2,611 (27)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,579 (73)	4,602 (16)	5,277 (15)	6,012 (77)	4,493 (47)
राज्य उत्पाद शुल्क	440 (7)	466 (2)	533 (2)	569 (7)	833 (9)
वाहनों पर कर	134 (2)	132 (1)	145 (0.43)	150 (2)	228 (2)
टिकट और पंजीकरण शुल्क	261 (4)	248 (1)	264 (1)	227 (4)	307 (3)
भू राजस्व	16 (1)	15 (0.05)	12 (0.03)	17 (0.28)	29 (0.30)
अन्य कर	843 (13)	871 (5)	1,095 (3)	844 (11)	1,035 (11)
(ii) केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	4,142 (15)	4,477 (15)	7,814 (22)	9,489 (23)	11,912 (25)
(ख) गैर-कर राजस्व	16,713 (62)	18,127 (63)	20,640 (58)	24,670 (59)	27,064 (56)
(i) राज्य का अपना गैर-कर राजस्व	2,870 (11)	1,978 (7)	3,913 (11)	4,072 (10)	4,362 (9)
जिसमें शामिल हैं					
बिजली विभाग प्राप्ति	1,533 (53)	1,428 (72)	1,477 (38)	2,770 (68)	3,151 (72)
(ii) केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	13,843 (51)	16,150 (56)	16,728 (47)	20,598 (49)	22,702 (47)
राज्य के अपने राजस्व (क) (i) + (ख) (i)	9,143	8,312	11,239	11,891	13,898
केंद्र से राजस्व स्थानान्तरण (क) (ii) + (ख) (ii)	17,985	20,627	24,542	30,087	34,614
2. विविध पूंजी प्राप्तियां (ऋण और अग्रिम की पुनर्प्राप्ति)	4	3	4	19	4
3. सकल सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां (राजस्व धन अग्रिमों की प्राप्ति सहित)	6,002	10,259	14,645	20,749	25,557
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (1+2+3)	33,134	39,201	50,430	62,746	74,073
5. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	0.55	0	0	0.15
6. सकल लोक लेखा प्राप्तियां (विभागीय नकद चैस्ट और नकद बचत में प्राप्तियों सहित)	32,406	37,242	49,546	35,983	30,698
सकल प्राप्तियां(6+5+4)	65,540	76,443	99,976	98,729	1,04,771
लोक लेखा प्राप्तियां (निवल) (विभागीय नकद चैस्ट और नकद बचत में प्राप्तियों सहित)	2,790	3,906	4,312	2,396	(-)164

101 करोड़ का अंतर जहां भी है, वह राउंड ऑफ करने के कारण है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भाग - ख वितरण					
राजकोषीय सकल	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. राजस्व व्यय	27,058	29,329	36,420	39,812	40,916
(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)	(85)	(85)	(83)	(83)	(80)
(क) योजना/सीएसएस/सीए	1,839 (7)	2,872 (10)	1,573 (4)	2,000 (5)	2,500 (6)
(ख) गैर-नियोजित/सामान्य/साधारण/ एसएफई	25,219 (93)	26,457 (90)	34,847 (96)	37,812 (95)	38,416 (94)
(i) सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	11,374 (42)	12,039 (41)	13,675 (38)	15,110 (38)	16,888 (41)
(ii) सामाजिक सेवा	6,319 (23)	8,501 (29)	11,331 (31)	11,564 (29)	13,117 (32)
(iii) आर्थिक सेवाएँ	7,526 (28)	8,789 (30)	11,414 (31)	13,138 (33)	10,911 (27)
2. पूंजीगत व्यय	4,507	5,134	7,331	8,286	10,353
(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)	(15)	(15)	(17)	(17)	(20)
(क) योजना/सीएसएस/सीए	4,172 (93)	4,501 (88)	1,256 (17)	1,440 (17)	2,716 (26)
(ख) गैर-नियोजित/सामान्य	335 (7)	633 (12)	6,075 (83)	6,846 (83)	7,637 (74)
(i) सामान्य सेवाएँ	648 (14)	608 (12)	1,112 (17)	769 (9)	803 (8)
(ii) सामाजिक सेवा	1,230 (28)	1,608 (31)	2,674 (36)	2,306 (28)	2,787 (27)
(iii) आर्थिक सेवाएँ	2,629 (58)	2,918 (57)	3,545 (48)	5,211 (63)	6,763 (65)
3. ऋण और अग्रिम का संवितरण	121	87	94	76	25
4. कुल (1 + 2 + 3)	31,686	34,550	43,845	48,174	51,294
5. सार्वजनिक ऋण का सकल भुगतान (राजस्व धन अग्रिमों के पुनर्भुगतान सहित) जिसमें शामिल है	4,147	8,549	10,815	17,023	22,490
आंतरिक ऋण (राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,218	1,213	1,485	1,951	3,168
राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन	-	226	0	890	589
भारत सरकार का विनियोजन	79	112	113	114	116
6. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-	0	0	0
7. समेकित निधि का सकल संवितरण	35,833	43,099	54,660	65,197	73,784
8. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	0	0	0.17
9. सकल लोक लेखा संवितरण	29,616	33,336	45,234	33,587	30,862
10. सकल संवितरण (7+8+9)	65,449	76,435	99,894	98,784	1,04,646
11. नकद शेष में वृद्धि	972	338	82	(-55)	125
.12 कुल योग	66,421	76,773	99,976	98,729	1,04,771

भाग - ग घाटा					
1. राजस्व अधिशेष (+) / राजस्व घाटा (-) (राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय)	(+)70	(-)390	(-) 640	(+)2,166	(+)7,595
2. राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों के शोधन को छोड़कर कुल व्यय - कुल गैर-ऋण प्राप्तियां)	(-)4,554	(-)5,608	(-)8,060	(-)6,177	(-)2,778
3. प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान)	(-)1,553	(-)2,075	(-)4,341	(-)1,610	(+)1885
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3,001	3,533	3,719	4,567	4,663
5. राजस्व बकाया	1,433	1,399	1,399	1,468	1,946
6. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, आदि।	1,481	1,535	1,523	1,729	2,754
7. राजस्व धन साधन अग्रिम/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	107 (7 दिनों में ओवरड्राफ्ट)	207 (2 दिनों पर ओवर ड्राफ्ट)	215 (7 दिनों पर ओवर ड्राफ्ट)	242 (2 दिनों पर ओवर ड्राफ्ट)	199 (27 दिनों पर ओवर ड्राफ्ट)
8. डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	4	9	13	19	22
9. लोक ऋण प्राप्ति	3,152	10,033	14,645	20,749	25,557
10. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी ²)	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
11. लोक लेखा को छोड़कर बकाया लोक ऋण ³ (वर्ष अंत)	26,490	28,201	32,031	35,756	38,823
12. ब्याज के साथ बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष अंत)	2,714	2,860	2,827	2,636	2,416
13. अधिकतम राशि की गारंटी (वर्ष अंत)	4,656	4,232	4,214	4,270	4,271
14. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	267	671	938	119	428
15. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	832	1,902	1,734	393	570
कुल व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	33.14	35.12	37.41	37.98	36.41
राजस्व प्राप्ति/कुल व्यय (प्रतिशत)	86	84	82	87	95
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	85	85	83	83	80
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	23.82	29.26	31.94	29	31
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	32.05	33.88	34.12	38	34.46
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रति प्रतिशत)	14.22	14.86	16.72	17.20	20.18
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	12.18	13.10	14.18	15.60	18.62
जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजस्व अधिशेष	(+)0.07	(-)0.40	(-) 0.55	(+)1.71	(+)5.39
जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	(-)4.76	(-)5.70	(-)6.88	(-)4.87	(-)1.97
जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार प्राथमिक घाटा	(-)1.62	(-)2.11	(-)3.70	(-)1.27	(+)1.34
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	लागू नहीं	6.95	8.08	लागू नहीं	लागू नहीं
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी (प्रतिशत)	46.72	49.11	47.24	49.05	48.41
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	164.67	166.95	154.71	148.22	140.62
ऋण शोधन (मूल+ब्याज)/वर्ष हेतु कुल ऋण प्राप्तियां	89.41	99.39	99.24	104.05	106.24
ब्याज पर रिटर्न	128.88	128.88	54.13	45.11	Nil
वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं	1.36	1.28	1.23	1.24	1.34

स्रोत: वित्त खाते

² राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जीएसडीपी के आंकड़े

³ केवल केंद्र सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.1 और 1.3)

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मद	2016-17	2017-18		विभिन्न मद	2016-17	2017-18	
1	2	3	4	5	6	7	8
भाग-क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्ति	41,978.47		48,511.88	I. राजस्व व्यय	39,812.18		40,916.49
स्वयं-कर राजस्व	7,819.13	9,536.40		सामान्य सेवाएँ	15,110.66	16,888.21	
				सामाजिक सेवाएं	11,563.68	13,116.97	
गैर-कर आय	4,072.19	4,362.34		शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,769.91	6,975.16	
				स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,375.49	2,567.13	
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	9,488.60	11,911.65		जल आपूर्ति, स्वच्छता/ एचएंडयूडी	1,900.83	2,102.55	
				सूचना और प्रसारण	48.34	45.97	
गैर-नियोजित अनुदान	12,776.41	0		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	95.52	108.76	
				श्रम और श्रम कल्याण	31.59	35.21	
राज्य योजना परियोजनाओं के लिए अनुदान	7,765.93	0		समाज कल्याण और पोषण	1311.38	1,248.00	
				अन्य	30.62	34.19	
केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान	56.21	0					
विशेष योजना परियोजनाओं के लिए अनुदान	0	0		आर्थिक सेवाएं	13,137.84	10,911.31	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	0	9,096.19		कृषि और सहायक गतिविधियाँ	1,954.71	2,032.33	
वित्त आयोग अनुदान	0	11,849.00		ग्रामीण विकास	515.77	363.85	
भारत सरकार से अनुदान (अन्य स्थानांतरण/राज्यों को अनुदान)	0	1,756.30		विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	564.90	595.69	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	506.67	521.95	
				ऊर्जा	8,060.17	5,061.91	
				उद्योग और खनिज	303.28	326.62	

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मद	2016-17	2017-18		विभिन्न मद	2016-17	2017-18	
1	2	3	4	5	6	7	8
				परिवहन	777.64	1,333.90	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	28.24	30.74	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	426.46	644.32	
II. भाग-ख में दर्शाया गया राजस्व घाटा	-	-	-	II. भाग-ख में दर्शाया गया राजस्व अधिशेष	*2,166.29	-	7,595.39
कुल भाग-क	41,978.47		48,511.88	कुल भाग-क	41,978.47		48,511.88

* ₹ 1,397.55 करोड़ की सीमा तक उदय बांड से प्राप्त व्यय को छोड़कर राजस्व अधिशेष ₹ 3,563.84 करोड़ हैं।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मद	2016-17	2017-18		विभिन्न मद	2016-17	2017-18	
1	2	3	4	5	6	7	8
भाग ख: पूंजी							
III. स्थायी अग्रिम और नकद शेष निवेश सहित आदि नकद शेष	526.90		428.62				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0		0	III. पूंजीगत आउटले	8,285.53		10,352.88
				सामान्य सेवाएं	768.71	803.02	
				सामाजिक सेवा	2,305.78	2,787.01	
				शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	566.01	884.90	
				स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	434.85	510.58	
				जल आपूर्ति, स्वच्छता /एचएंडयूडी	863.26	1,025.65	
				सूचना और प्रसारण	2.97	2.32	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	36.43	100.57	
				समाज कल्याण और पोषण	311.24	252.49	
				अन्य सामाजिक सेवाएं	91.02	10.50	
				आर्थिक सेवाएँ	5,211.04	6,762.85	
				कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	732.67	917.02	
				ग्रामीण विकास	1,117.19	1,849.85	
				विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	198.32	226.34	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	466.62	373.52	
				ऊर्जा	699.46	660.22	
				उद्योग और खनिज	204.35	210.92	
				परिवहन	831.85	1,571.00	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	9.59	52.45	
				सामान्य आर्थिक सेवाएँ	950.99	901.53	
V. ऋण और अग्रिम की पुनर्प्राप्ति	19.37		4.41	IV. ऋण और अग्रिम संवितरण	76.24		24.75
उद्योग और खनिज	2.50	2.50		उद्योग और खनिज	32.49	13.29	
ऊर्जा				परिवहन	30.00	7.50	
सरकारी सेवक	1.17	1.64		सरकारी सेवक	2.45	3.96	
अन्य	15.70	0.27		अन्य	11.30		

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मद	2016-17	2017-18		विभिन्न मद	2016-17	2017-18	
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. राजस्व अधिशेष	2,166.29		7,595.39	V. राजस्व घाटा	0.00		0.00
VII. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	20,748.53		25,557.58	VI. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	17,023.29		22,490.14
आंतरिक ऋण के अलावा अन्य राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	20,723.83	25,525.98		आंतरिक ऋण के अलावा अन्य राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	16,908.71	22,374.19	
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	24.70	31.60		भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतान।	114.58	115.95	
रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन				ओवरड्राफ्ट सहित राजस्व धन अग्रिमों के तहत निवल लेनदेन			
VIII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन	--		0	VII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन			--
IX. आकस्मिक निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	--		0.15	III- आकस्मिक निधि से व्यय	0.10		0.17
X. लोक लेखा प्राप्तियां	21,811.06		15,121.96	IX- लोक लेखा संवितरण	19,458.37		15,285.79
लघु बचत और भविष्य निधि	4,625.73	5,032.41		लघु बचत और भविष्य निधि	2,779.95	3,476.24	
रिजर्व फंड	452.41	419.22		रिजर्व फंड	111.29	129.35	
जमा और अग्रिम	3,823.50	4,894.44		जमा और अग्रिम	2,874.23	3,809.95	
उच्चत और विविध	3,589.86	3,842.12		उच्चत और विविध	3,682.92	3,981.69	
विप्रेषण	9,319.56	933.77		विप्रेषण	10,009.98	3,888.56	
				X. अंत में नकद शेष	428.62		554.38
				कोषागार और स्थानीय प्रेषण में नकद	6.77	6.77	
				बैंकों के पास जमा धन	21.98	147.74	
				स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	5.09	5.09	
				नकद शेष निवेश	383.92	383.92	
				आरक्षित निधि निवेश	10.86	10.86	
कुल भाग-ख	45,272.15		48,708.11	कुल भाग-ख	45,272.15		48,708.11

विस्तृत टिप्पण

1. पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ना होगा।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकदी आधार पर होने के कारण सरकारी लेखे में घाटा वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विपरीत नकदी आधार पर स्थिति को इंगित करता है। परिणाम स्वरूप, देय या प्राप्य मद या स्टॉक आंकड़ों पर मूल्यहास या भिन्नता जैसे मद खातों में नहीं होती हैं।
3. उच्चत और विविध शेष राशि में जारी किए गए चेक शामिल हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और राज्य की ओर से किए गए भुगतान और अन्य लंबित निपटान आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट-1.5 (पूर्ववत जारी)
31 मार्च 2018 की स्थिति तक जम्मू और कश्मीर
सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2018 तक	
देयताएं				
	34,266.75	आंतरिक ऋण		37,418.53
22,045.60		ब्याज दर वाला बाजार ऋण	26,019.50	
1,547.52		एलआईसी से ऋण	1,415.90	
10,673.63		अन्य संस्थाओं से ऋण	9,983.13	
	1,489.20	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम		1,404.85
37.79		1984-85 से पहले के ऋण	37.79	
96.29		गैर-नियोजित ऋण	96.29	
1,345.87		राज्य योजना परियोजनाओं के लिए ऋण	1,229.92	
-		केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के लिए ऋण	31.60	
9.25		राजस्व धन अग्रिम	9.25	
	1.00	आकस्मिक निधि		1.00
	19,362.63	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।		20,918.79
	1,885.38	रिजर्व फंड		2,175.25
	5,214.24	जमा		6,298.73
	3,718.37	प्रेषण शेष		763.58
	16,115.84	सरकारी खाते में अधिशेष		23,711.23
	82,053.41	कुल		92,691.96

31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2018 तक	
परिसंपत्तियां				
	79,712.27	स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय		90,065.15
803.74		कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	653.52	
78,908.53		अन्य पूंजी आउटले	89,411.63	
	1,640.52	ऋण और अग्रिम		1,660.85
746.51		उद्योग और खनिज	757.30	
566.12		परिवहन	573.62	
85.05		ऊर्जा	85.05	
40.73		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	40.69	
183.70		अन्य विकास ऋण	183.46	
18.41		सरकारी सेवक को ऋण और विविध ऋण	20.73	
	12.69	अग्रिम		12.69
	259.16	उच्चंत और विविध शेष		398.72
	0.15	आकस्मिक निधि (प्रतिपूर्ति रहित)		0.17
	-	अंत शेष लेखा शीर्ष से राशि को राईट ऑफ करना		-
	428.62	नकद		554.38
6.77		कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण	6.77	
21.98		बैंक के पास जमा	147.74	
4.97		विभागीय नकद शेष	4.97	
0.12		स्थायी अग्रिम	0.12	
383.92		नकद शेष निवेश	383.92	
10.86		रिजर्व फंड निवेश	10.86	
		सरकारी खाते में घाटा		-
	82,053.41	कुल		92,691.96

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.2)

**जम्मू और कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट
प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006**

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 9 ने 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए राज्य सरकार पर निम्नलिखित बाध्यताएं लागू की हैं:

(क) राजस्व अधिशेष को बनाए रखा जाना था और अधिशेष को लगातार सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाने थे।

(ख) हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटे को वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिकांश 20 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाना था और उसके बाद, वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी के एक प्रतिशत की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ स्तर को बनाए रखना था। (वर्ष 2005-06 में राज्य का हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा जीएसडीपी का 24.73 प्रतिशत था।

(ग) वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी की 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी की अधिकतम तीन प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाना था। (वर्ष 2005-06 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 9.96 प्रतिशत था।

(घ) वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी की पांच प्रतिशत तक की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ वर्ष 2009-10 तक 'बकाया कुल देयताओं' को उत्तरोत्तर रूप से कम करके जीएसडीपी को 55 प्रतिशत तक कम किया जाना था। (आधार वर्ष 2005-06 के लिए अधिनियम में यथा परिभाषित राज्य की "बकाया कुल देयताएं" सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया होने के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2005-06 में सरकारी लेखाओं के अनुसार सरकार की बकाया देयताएं जीएसडीपी का 63.31 प्रतिशत थीं। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य का बकाया ऋण जीएसडीपी का 63.27 प्रतिशत था।)

(ड) किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धिशील जोखिम वाली गारंटियों को पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत जो भी कम हो या पिछले वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत तक सीमित किया जाना था, जो भी कम हो।

अधिनियम में यह भी विचार किया गया था कि सरकार अधिनियम के प्रावधानों उपबंधों के समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने और राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए सरकार से अलग एक स्वतंत्र एजेंसी स्थापित कर सकती है।

एफआरबीएम नियमावली (जनवरी 2008) द्वारा वित्तीय संकेतकों की निगरानी के लिए, मैक्रो आर्थिक ढांचा विवरण (एमईएफएस)/मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस)/राजकोषीय नीति योजना विवरण (एफपीएसएस) के राज्य विधानमंडल के लिए बजट और विधानमंडल को राजकोषीय सूचना दर्शाते हुए कई विवरण सहित वार्षिक रूप से प्रारूपों को प्रस्तुत किया जाना निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम/नियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताएं वर्ष 2008-09 के बजट से कार्यान्वित की गई थीं। 12वें और 13वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऋण/घाटे में कमी के लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने/छूट देने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित मूल राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और बकाया कुल देयताओं को अधिनियम में मार्च, 2009 की अपेक्षा मार्च, 2010 तक क्रमशः 20 प्रतिशत, तीन प्रतिशत और 55 प्रतिशत तक कम करने के लिए 17 दिसम्बर, 2008 को एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- 20 अप्रैल, 2010 को अधिनियम में संशोधन के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर जीएसडीपी के चार प्रतिशत कर दिया गया। चूंकि वर्ष 2009-10 पहले ही समाप्त हो चुका था, पुनः निर्धारित लक्ष्य लागू नहीं किया जा सकता था।
- 9 अप्रैल, 2011 को अधिनियम में संशोधन के अनुसार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को जीएसडीपी के 5.3 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत तक पुनः निर्धारित किया गया है। चूंकि वर्ष 2010-11 पहले ही कार्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए पुनः निर्धारित लक्ष्य लागू नहीं किया जा सकता था।
- 25 अगस्त, 2011 को, आदेश द्वारा एफआरबीएम में एक संशोधन द्वारा 2010-11 से 2014-15 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान 56.1 प्रतिशत, 55.1 प्रतिशत, 53.6 प्रतिशत, 51.6 प्रतिशत और 49.3 प्रतिशत तक जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में बकाया ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य पुनः निर्धारित किया गया, जैसा कि 13वें वित्त कमीशन द्वारा सिफारिश की गई

थी। (चूँकि वर्ष 2010-11 पहले ही समाप्त हो चुका था, पुनः निर्धारित लक्ष्य लागू किये जाने योग्य नहीं था)।

- 14वें वित्त आयोग (2015-2020) की अवार्ड अवधि के दौरान जीएसडीपी की तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक राजकोषीय घाटे को रखने के लिए एफआरबीएम और बजट प्रबंधन में संशोधन 13 फरवरी 2018 को किया गया था।

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.2)

एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन

यदि विशेष रूप से वित्त आयोग के दायरे से बाहर यदि केंद्र सरकार पर्याप्त सहायता या ऋण राहत प्रदान करने का चयन करती है तो कोई भी राज्य सरकार राजकोषीय कमी, राजस्व घाटा, कुल देयताओं आदि को कम करने/समाप्त करने के लक्ष्यों को पूरा कर सकती है, राज्य की राजकोषीय सतर्कता या राजकोषीय उत्तरदायित्व का वास्तविक मापदंड राज्य की अपना घाटा है, जो राज्य के नियंत्रण में राज्य के व्यय और गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच संसाधन अंतर को भी यह मानकर आंकता है कि पुरानी वित्तीय देयताएं नये उधार से पुनः वित्तपोषित होती रहेंगी। ये गैर-ऋण संसाधन राज्य की अपनी राजकोषीय नीतियों पर निर्भर हैं। राज्य ने केंद्र सरकार से संसाधनों के अंतरण पर निर्भरता को 2006-07 में 67 प्रतिशत से 2014-15 में 60 प्रतिशत तक घटाकर राज्य ने सुधार दर्शाया है। निस्संदेह, यह केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के लेखों को छोड़कर कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित संसाधनों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

- राज्य के पास 2013-14 तक राजस्व अधिशेष रहा लेकिन ऐसा केवल केंद्र सरकार से अनुदान के उच्च स्तर के कारण था। तथापि, राजस्व अधिशेष में ₹ 1,100 करोड़ (2012-13) से ₹ 70 करोड़ (2013-14) तक की तीव्र गिरावट देखी गई है और वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान इसे बनाए रखा नहीं जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 390 करोड़ और ₹ 640 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, यद्यपि वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान ₹ 2,166 करोड़ और ₹ 7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष है। राज्य का अपना घाटा लगातार अधिक बना हुआ है और व्यय वृद्धि की राजस्व बढ़ाने से अधिक तेजी से वृद्धि होने से बड़ रहा है।
- वर्ष 2009-10 के अंत तक राजकोषीय योजनाओं को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक कम करने का मूल लक्ष्य बहुत व्यापक अंतर से चूक गया था क्योंकि उस वर्ष मूल राजकोषीय घाटा 9.1 प्रतिशत तक बढ़ गया था। 2010 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन अनुसार 2009-10 के लक्ष्य को चार प्रतिशत तब बढ़ाया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य ने

2011-12 में जीएसडीपी 4.7 प्रतिशत और 2012-13 में जीएसडीपी 4.2 प्रतिशत और 2013-14 में 3.6 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे का दर्शाया, लेकिन राजकोषीय घाटा वास्तव में क्रमशः 5.6, 5.4 और 5.2 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 का राजकोषीय घाटा 6.4, 8.8, 5.4 और 1.9 प्रतिशत के राजकोषीय कार्यों के साथ समाप्त हुआ जो 2016-17 तक तीन प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक रहा और चालू वर्ष के दौरान तीन प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम था।

- एफआरबीएम नियमों में (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (ख) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा और (ग) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देयताओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये नियम "हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा" जिसे 2009-10 तक जीएसडीपी के 20 प्रतिशत तक कम किया जाना था के लिए वार्षिक लक्ष्यों को परिभाषित नहीं करते, वास्तव में, इस राजकोषीय मानदंड कानून का राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों में भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस मानदंड पर सरकार का ध्यान नहीं गया क्योंकि राजकोषीय रियायतें/ प्रोत्साहन इसके अनुपालन से जुड़े हुए हैं।
- एफआरबीएम अधिनियम "बजट से बाहर दिये गये मूल और/या ब्याज जहां गारंटी सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) और विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) और अन्य समान तंत्र द्वारा उधार सहित राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देयताओं के रूप में 'कुल देयताओं' को परिभाषित करता है।" यह व्यापक योग था जिसे जीएसडीपी के 55.1 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य था। तथापि, राज्य सरकार सरकार के लेखों का हिस्सा बनने वाली सरकार की वित्तीय देयताओं को शामिल करती रही। पीएसयू/एसपीवी की देयताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस अनुपालन को इस तथ्य ने कठिन बना दिया था कि कई पीएसयू के लेखों में काफी बकाया है और इसलिए उनकी देनदारियों का पता नहीं लगाया जा सका। इनमें सरकारी लेखों से अलग बैंक खातों में सरकारी अधिकारियों द्वारा धारित निधियों के कारण

देनदारियों को शामिल नहीं किया जाता है, जो सामान्यतः राज्य लोक लेखे में क्रेडिट किया जाना चाहिए। वित्त विभाग सरकारी लेखों से बाहर धारित इन नकद शेष की निगरानी नहीं कर रहा है यद्यपि इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा परिचालित किया गया था। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में गैर-निधिकृत देयताएं भी इससे बाहर हैं, यद्यपि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार इन्हें भी शामिल किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार, 'कुल देयताओं' की गणना के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम मुख्य प्रावधानों का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है।

- विधानमंडल को प्रस्तुत की गई एफआरबीएम विवरणों में प्रकट की गई 'प्रतिबद्ध देयताओं' में ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जैसे (क) वेतन और पेंशन संशोधन की अवितरित बकाया देयताएं (ख) विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत काऊटरपोर्ट मैचिंग फंड की देयता। इस प्रकार ऐसे व्ययों को स्थगित करने के बावजूद ऋण/घाटा कम करने के लक्ष्य से चूक गए।
- जीएसडीपी के बारे में कुछ मान्यताओं और पूर्वानुमानों पर 12वें और 13वें वित्त आयोगों द्वारा राजकोषीय घाटे, कुल देयताओं आदि के वार्षिक लक्ष्यों की सिफारिश की गई थी। जीएसडीपी डेटा को संशोधित किए जाने के बाद भी, इन लक्ष्यों को संगत रूप से संशोधित नहीं किया गया था। वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष मानकर संशोधित किए जाने के बाद भी, वर्ष 2007-08 के लिए जीएसडीपी ₹ 35,620 करोड़ तक बढ़ गया। इस प्रकार, 1999-2000 के आधार वर्ष के रूप में जीएसडीपी श्रृंखला के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को एक नई जीएसडीपी श्रृंखला के साथ निर्धारित किया गया था जिसमें काफी अधिक संख्या दी गई थी, इसे कम करके संशोधित किया जाना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया था। इस प्रकार, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ऋण/बीमा में कमी के लक्ष्य (एफआरबीएम अधिनियम के प्रतिशत के रूप में) तेरहवें वित्त आयोग के अवलोकन से परे अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन पर जीएसडीपी में वृद्धि के कारण कम हो गए हैं। इस प्रकार, सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन प्रयासों का मूल्यांकन और बजट दस्तावेजों में एफआरबीएम अधिनियम अनुपालन के मूल्यांकन की प्रक्रिया को भाजक

प्रभाव (जीएसडीपी में वृद्धि) और गणक प्रभाव (सरकारी ऋण में कमी और पूर्ण राशि में कमी) पूरा करने के लिए अंतर करना चाहिए।

- एफआरबीएम अधिनियम से अभिप्राय कि सरकार अधिनियम के उपबंधों के समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने और राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा करने के लिए सरकार से स्वतंत्र एजेंसी गठित कर सकती हैं। तथापि, अभी तक ऐसी कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई है।
- एफआरबीएम अधिनियम में यह अपेक्षित था कि मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में, विधानमंडल को बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए, सरकार; सरकार के राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को निर्धारित करेगी और अंतर्निहित मान्यताओं के स्पष्ट प्रतिज्ञापन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष के अस्थाई लक्ष्य निर्धारित करेगी। (i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन (ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियाँ का उपयोग से संबंधित स्थिरता के मूल्यांकन को भी शामिल किया गया था। (iii) अगले दस वर्षों के लिए बीमांकिक आधार पर अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं आंकलित से संबंधित राजकोषीय संकेतक और निरंतरता पीछे विभिन्न मान्यताएं भी इस विवरण में शामिल की गई थीं। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं की गणना करना संभव नहीं था, तो सरकार उस अवधि के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि दर आधार पर पूर्वानुमान द्वारा पेंशन देयताओं का अनुमान लगा सकती है। तथापि, एफआरबीएम अधिनियम के इन उपबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और वास्तव में विधानसभा को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणों में नियमों के उपबंधों को दोहराया गया था।
- एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत, सरकार बजट दस्तावेजों में परिसंपत्तियों के सारांश को प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट के साथ प्रस्तुत विवरणों में भूमि सहित परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य को दर्शाया गया है। मूल्यांकन और पूर्णता का आधार देखने के लिए सहायक

अभिलेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा इन संख्याओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।

- उपर्युक्त विचलनों के बावजूद, राज्य ने कर राजस्व में काफी वृद्धि करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से प्राप्त अवसरों का अच्छा उपयोग किया है। वाणिज्यिक करों के रिकार्ड एकत्र किये गये हैं और राज्यों के राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, व्यय में अधिक वृद्धि और स्थापना संबंधित व्यय प्रतिबद्धताओं और विद्युत क्षेत्र में संसाधन अंतर में अधिक कमी के संदर्भ में राज्य का अपना घाटा अधिक बने रहना, चिंता का विषय है।

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.3)

**वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के बजट से बाहर कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां दर्शाने वाला विवरण।
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर दी गई निधियां) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)**

(₹ लाख में)

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	अन्य सहित राज्य स्वास्थ्य विभाग	-	-	-	-	35,488.95
2	विशेष श्रेणी के राज्य डीआईपीपी के लिए पैकेज (उत्तर पूर्व के अलावा)	जम्मू और कश्मीर वित्तीय निगम लि।	-	-	-	3,569.47	4,116.86
3	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम डीपीएडी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी, (आईडब्ल्यूएमपी)	सहायक आयुक्त (विकास) डीआरडीए	-	-	-	-	481.37
4	डीआरडीए प्रशासन आर.डी.	सहायक आयुक्त (विकास) डीआरडीए	-	-	-	-	1,161.49
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सहायक आयुक्त (विकास) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां	-	-	-	-	60,315.73
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	राज्य ग्रामीण सड़क एजेंसी	-	-	-	-	52,323.93
7	ग्रामीण आवास आईएवाई	सहायक आयुक्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां	-	-	-	-	5,642.49
8	सर्व शिक्षा अभियान	उजाला सोसायटी जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	89,143.50
9	सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)	जिला उपायुक्त	4,500.00	3,250.00	5,500.00	3,500.00	-
10	बौद्ध और तिब्बती संस्थान और स्मारक	बौद्ध अध्ययन संस्थान	2,315.58	-	-	967.67	-
11	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	वन विकास एजेंसी, राजौरी, पुंछ, किश्तवार, रियासी, बटोत, रामबन आदि।	-	-	-	-	810.82

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
12	आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ आईआईटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता	संस्थान और होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान	358.30	27.91	366.00	871.00	-
13	गंतव्य और सर्किट के लिए उत्पाद संरचना विकास	राज्य पर्यटन विभाग	-	-	-	-	-
14	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	एसडब्ल्यूएसएम सदस्य, सचिव सह अधीक्षण अभियंता कुपवाड़ा/श्रीनगर/ बारामूला/बडगाम	-	-	-	-	3,957.20
15	अनुसंधान और विकास सहायता (एसईआरसी)	पीएसयू एसकेयूएसटी कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	219.18	-	-
16	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र/व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) का संरक्षण	जम्मू और कश्मीर झील और जल मार्ग विकास प्राधिकरण के निदेशक हथकरघा विकास जम्मू कश्मीर श्रीनगर	-	-	-	-	2,989.53
17	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	उजाला सोसायटी, श्रीनगर/नूर सोसाईटी	-	-	-	-	13,578.18
18	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना	राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)	-	-	-	-	41,266.25
19	सोलर पावर -ऑफ ग्रिड	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल / लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास / रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर / 6 वीं बीएन आईटीबीपी	90.33	3,515.92	5,996.19	2,201.96	-
20	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	-	-	569.35	892.35	-
21	सभी गांवों के लिए ग्रामीण कार्यों के लिए अक्षय ऊर्जा	जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी	-	-	143.32	-	-
22	व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)	निदेशक हथकरघा विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर श्रीनगर / भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर।	-	871.50	131.87	-	142.04

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
23	आजीविका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरजोना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए)	-	-	-	-	2,837.79
24	ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर एमएनआरई	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड जम्मू और कश्मीर अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	-	1,448.88	2,929.77	3,864.21	-
25	नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के लिए बागवानी मिशन	केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर (आईसीएआर)	-	-	--	-	148.91
26	इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम आईआईयूएस डीआईपीपी	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम।	-	-	-	-	-
27	मद्य और मादक द्रव्यों (दुरुपयोग) के निषेध की योजना	विधवा, अनाथ, विकलांग और पुराने व्यक्ति (मिलिट्री के शिकार) के पुनर्वास के लिए परिषद - [आरसीएमवी]	300.00	300.00	304.97	288.11	-
28	बाबा साहिब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	विभिन्न एनजीओ और जेएंडके आंतरप्रनर शिप डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट	-	-	-	-	-
29	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	संस्थान और होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/खादय क्राफ्ट संस्थान (सोसाईटी) जम्मू	188.40	-	302.16	255.12	-
30	मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	कश्मीर के कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एसके विश्वविद्यालय, श्रीनगर एचआरडी एनीमल बायोटेक एवं जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान आदि।	-	613.85	-	122.89	-
31	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर राज्य एड्स की रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी	-	-	-	-	487.40

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
32	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई) जम्मू	-	-	-	-	1,749.92
33	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (सम्पदा) सीएस	सुपर स्टार मसाले, जियाफत ऑयल मिल्स, मीर एगो इंडस्ट्रीज, बसंतार ब्रुअरीज, डेली नीड मिल्क प्रोसेसिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हंसराज एक्सपोर्ट्स, काचरू इंडीग्रेटेड कोल्ड चेन।	-	-	1,815.75	-	-
34	कला और संस्कृति का प्रचार और प्रसार	सांगमत्रु कला उत्पादन	-	-	-	-	-
35	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी सोसायटी सिविल अनुभाग जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-
36	एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी)के लिए योजना	जम्मू और कश्मीर एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड	-	-	-	1,191.00	-
37	कौशल विकास	जम्मू और कश्मीर कौशल विकास पहल मॉड्यूलर रोजगार सोसायटी	-	-	-	263.10	1,130.63
38	राज्य अनुसूची जाति विकास निगम	जम्मू और कश्मीर एससीएसटी और बीसी विकास निगम लि.	-	-	-	-	-
39	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहयोग	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग	13,090.00	-	2,900.00	4,250.00	-
40	राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहयोग	जम्मू और कश्मीर एससी / एसटी और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	470.00	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
41	वयस्क शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ / संस्थानों / एसआरसी का सहयोग (एनजीओ, जेएसएस एसआरसी की विलय योजना)	जन शिक्षण संस्थान / राज्य संसाधन केंद्र, जम्मू और कश्मीर	-	-	114.25	-	-
42	विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन	एनआईटी श्रीनगर/ जम्मू और कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	-	-	-	-	544.31
43	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू/ जेएंडके स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी	-	-	-	-	-
44	पुलिस द्वारा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	पुलिस आवास निगम जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	270.00
45	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) राष्ट्रीय शहरी	राज्य शहरी विकास एजेंसी जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	607.94
46	बांस पर राष्ट्रीय मिशन	बांस विकास एजेंसी जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	108.25
47	मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना	जम्मू और कश्मीर श्रीनगर	-	-	-	-	500.00
48	एससी एवं ओबीसी के लिए लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल के निर्माण के लिए अनुदान	विश्वविद्यालय जम्मू	-	-	-	135.00	100.00
49	स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के बुनियादी ढांचे का विकास	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू	-	-	216.00	252.00	-
50	ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च	यूनानी दवा के क्षेत्रीय संस्थान श्रीनगर	-	-	-	148.80	-
51	इलेक्ट्रॉनिक शासन	जम्मू और कश्मीर सरकार की एजेंसियां/ कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	-	344.92	-

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
52	अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	मै. राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटी) - [एनआईआईटीजेके]/ मानव कल्याण संगठन/हिलाल संस्थान/नागरिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सोपोर/एसेंट ग्रुप	105.64	-	-	134.51	-
53	मुफ्त कोचिंग एससी और ओबीसी छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	106.27	-	-	-	-
54	ई-कोर्ट चरण- II	रजिस्ट्रार जनरल, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	17,679.54	-	-	-	-
55	मेगा क्लस्टर टैक्सटाईल्स	जम्मू और कश्मीर राज्य स्केल औद्योगिक विकास निगम	-	-	128.90	1,010.00	-
56	जनशक्ति विकास (आईटी में कौशल विकास सहित) डीआईटी	जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसियां	-	-	-	136.84	-
57	बेसिक रिसर्च के लिए मेगा सुविधाएं	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	158.00	140.36	-
58	नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन	एनआईटी श्रीनगर	-	-	-	132.12	-
59	युवा और किशोरों के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स	85.95	-	164.16	200.19	-
60	जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास विभाग	जेके विश्वविद्यालय	-	-	-	1,159.13	-
61	इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एफपीआई के लिए योजना	मीर एगो इंडस्ट्रीज/ कचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन	-	-	-	480.33	-
62	स्कीम फॉर डिफरेंटली एबलड पर्सन्स	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्पोजिट रीजनल सेंटर, श्रीनगर / कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजी	208.08	733.89	691.02	249.47	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
63	सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन	-	-	349.81	116.59	-
64	सीस्मोलॉजिकल रिसर्च	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	-	224.98	-
65	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	विश्वविद्यालय	-	-	-	112.84	-
66	एलायंस और आर एंड डी मिशन	भारतीय समन्वित चिकित्सा संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, कश्मीर विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी जम्मू/कश्मीर सेंट्रल यूनी यूनिवर्सिटी	-	436.76	428.80	-	-
67	बायोटेक्नॉलाजी रिसर्च और डेवलेपमेंट	एसकेयूएसटी जम्मू/कश्मीर, एसकेआईएमएस। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी	1,147.65	270.00	734.54	-	-
68	दिशा प्रोग्राम फॉर वुमन एन साईंस	भारतीय अंतरागमिक चिकित्सा संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी जम्मू/कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय	79.52	108.74	114.14	-	-
69	मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	एसकेयूएसटी जम्मू/कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर, डिग्री कॉलेज उधमपुर, कॉर्डिनेटर स्टार कॉलेज कार्यक्रम, एफवीएससी और पशुपालन सुहामा, महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज, गांधी नगर, जम्मू.	-	-	192.86	-	-
70	स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और ईएमआर सहित प्रबंधन	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू	140.00	-	-	-	-

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
71	राष्ट्रीय डायरी विकास योजना	जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	100.00	-	150.00	-	-
72	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	659.74	4,675.75	194.46	-	-
73	वन स्टॉप सेंटर	उप अधीक्षक/ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी	87.52	-	-	-	-
74	पश्मीना ऊन विकास कार्यक्रम	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह/कारगिल	-	162.00	1,099.25	-	-
75	अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन.	50.50	-	133.78	-	-
76	कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह की योजना	सोनम स्टोबगिस, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी स्तकना गोंपा, शाह-ए-जहान अहमद भगत, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी, तुकला गोंपा, कश्मीर म्यूजिक सोसायटी, नेशनल भाण्ड थियेटर, संगम थियेटर गुप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध स्टडीज, लालोक कुनफान थुंडल तसोगसपा, कर्मा दुप्युड च्योलिंग सांस्कृतिक एवं कल्याण संघ, सेवा बलिदान बंधु धर्म केंद्र आदि।	-	-	966.36	-	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
77	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मै. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग्स (एनआईटीटी)- [एनआईआईटीजेके]/सो सायटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग/ टेन्ड्रिल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/सॉफ्टवेक इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ मानव कल्याण संगठन/एवरग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नीकल ऐजुकेशन	1,324.22	109.76	893.02	-	-
78	पांच मैगा क्लस्टर की स्थापना	जम्मू-कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जम्मू-कश्मीर एसआईसीओपी)	-	-	310.00	-	-
79	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	एसकेयूएसटी कश्मीर, एनआईआईटी श्रीनगर	--	-	139.04	-	-
80	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (एटीयूएफएस)	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	357.12	847.33	-	-	-
81	चिनाब घाटी पावर को जेएंडके पीएमडीपी ग्रांट के अंतर्गत पाकुल डल एचईपी के लिए केंद्रीय सहायता	चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड.	20,000.00	20,000.00	-	-	-
82	खादी गांव ओर कॉइर उद्योग का विकास	जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड.		523.49	-	-	-
83	पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	-	1,040.07	-	-	-
84	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)	राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन (सिडको), जम्मू-कश्मीर	820.50	506.70	-	-	-
85	बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता निर्माण	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	491.12	110.62	-	-	-

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
86	नई पद्धति, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू-कश्मीर [एसकेयूएसटी-जम्मू और कश्मीर], कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेशन सेंटर	361.89	-	-	-	-
87	कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू और कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां	434.61	271.38	-	-	-
88	खेल के विकास के लिए खेलो भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईयूएसटी), अवंतीपोरा, पुलवामा, कश्मीर और निदेशक युवा सेवाएं और खेल जम्मू कश्मीर	531.34	786.87	-	-	-
89	भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	जम्मू-कश्मीर भूमि अभिलेख प्रबंधन एजेंसी (जेकेएलआरएमए)	477.00	-	-	-	-
90	कानूनी मेट्रोलॉजी और गुणवत्ता आश्वासन भार और मापन	जम्मू और कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जम्मू/श्रीनगर	-	650.00	-	-	-
91	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया के सुदृढीकरण	प्रबंधन और लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)/ क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र बडगाम।	100.40	750.45	-	-	-
92	नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल	कॉमटेक प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी और समाज कल्याण संगठन/विकास और प्रशिक्षण के लिए सेसाईटी/तकनीकी प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान	479.85	493.25	-	-	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
93	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी-[जेकेएसएपीसीएस]	777.04	803.06	-	-	-
94	राष्ट्रीय शिक्षा अभियान-साक्षर भारत (सीएस)	जन शिक्षा संस्थान जम्मू/टंगडार/राज्य संसाधन केंद्र श्रीनगर.	-	195.60	-	-	-
95	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	जम्मू-कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हरिओम पशमीना हथकरघा औद्योगिक सहकारी समिति, जन कल्याण हथकरघा बुनाई औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड, एस्क्वायर रैफल्स पशमीना हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स बदाम पशमीना और राफल हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स झेलम वैली डेस्टिट्यूट वीवर्स इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मैसर्स शोकीन पशमीना राफल और कॉटन हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लि.	295.90	181.25	-	-	-
96	राष्ट्रीय न्यायपूर्ण वितरण और कानूनी सुधार मिशन	रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय/संगठित अनुसंधान और विकास के लिए कश्मीर संस्था	-	531.31	-	-	-
97	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	इंडो कश्मीर/कचरू एकीकृत कोल्ड चेन/ केसर मसाले और खाना/वाज़ान खाना, सुरक्षित और ताजा खाना/शफात तेल मिल्स और मसाले/ मीर एग्रो इंडस्ट्रीज आदि	20.29	1,325.22	-	-	-
98	तीर्थयात्रा पुनः आरंभ करने और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव (प्रसाद)	जम्मू कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	1,152.11	840.42	-	-	-

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
99	स्माल हाइड्रो पावर ग्रिड इंटरएक्टिव	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल/जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास कांपरिशन लिमिटेड	1,433.35	-	-	-	-
100	नए आईआईएम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू	1,645.00	-	-	-	-
101	पारंपरिक उद्योगों के संपोषण के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटी आई)	जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	430.50	-	-	-	-
102	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान/शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएंडके	1,517.28	-	-	-	-
103	अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	349.25	-	-	-	-
104	अनुसंधान और विकास	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू और कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू, विश्वविद्यालय, पारिस्थितिकी पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग, श्रीनगर	119.42	-	-	-	-
105	स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना	पीएमएनआरएफ/बाढ़ राहत जम्मू और कश्मीर प्रधान/सीएओ जीएमसी श्रीनगर/ सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू	-	317.00	-	-	-
106	विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम/जम्मू और कश्मीर राज्य केबल कार निगम.	11,550.08	11,862.79	-	-	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
107	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/ जम्मू और कश्मीर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद/एसकेआई एमएस/श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जम्मू	-	156.78	-	-	-
108	विकास के लिए पारंपरिक कला/क्राफ्ट्स में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूपसटीटीएडी)	मानव कल्याण संगठन/राष्ट्रीय तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान, बांदापुरा कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	82.20	167.00	-	-	-
109	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	जम्मू और कश्मीर कौशल विकास पहल- मॉड्यूलर रोजगारी कौशल सोसायटी.	-	1,053.88	-	-	-
110	प्रधान मंत्री वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर/जम्मू और कश्मीर सरकार.	2,900.45	-	-	-	-
111	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	196.75	-	-	-	-
112	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	उप आयुक्त बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि।	262.91	-	-	-	-
113	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सब्सिडी	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान	1,681.64	-	-	-	-
114	कृषि मशीनीकरण का उप-अभियान	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएंडके और जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	521.20	-	-	-	-
115	नए आईआईटी की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू	13,928.00	-	-	-	-

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
116	स्थापना व्यय-आयुष	जम्मू विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी कश्मीर, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, सोवारीगपा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान	136.65	-	-	-	-
117	परिवार कल्याण योजनाएं	कश्मीर विश्वविद्यालय	84.92	-	-	-	-
118	मतदाता शिक्षा	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर	328.75	-	-	-	-
119	रोड विंग्स के तहत निर्माण कार्य	विभिन्न व्यक्तियों और निजी निर्माण कं	2,681.19	-	-	-	-
120	विंड पावर-ऑफ ग्रिड	लद्दाख अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	85.72	-	-	-	-
121	राज्यों से ई एंड आई को सीआरएफ से अनुदान	एमजी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमि.	763.66	-	-	-	-
122	अन्य योजनाएँ	अन्य योजनाएं	875.80	2,859.16	1,442.98	1,681.16	89.38
कुल योग			1,10,491.13	62,798.59	29,799.93	29,366.12	3,19,992.87

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.3.6)

14वें वित्त आयोग के सौंपे जाने के अंतर्गत अनुदान अनुमानों/निर्गम की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तांतरण	14वें वित्त आयोग की सिफारिश (2015-20)	अनुमान (विभाग-वार)			वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (2015-18)	प्रस्तुत किये गये यूसी	लंबित यूसी	निर्गम हेतु लंबित अनुदान
			2015-16	2016-17	2017-18*				
1	शहरी स्थानीय निकाय (आवास विभाग)	1,044.51	125.30	173.50	200.46	शून्य	शून्य	शून्य	499.26
	सामान्य मूल अनुदान सामान्य निष्पादन अनुदान	261.13	---	51.21	57.95	शून्य	शून्य	शून्य	109.16
2	ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरडीडी)	3,117.36	373.96	517.81	598.29	367.72	367.72	शून्य	1,122.34
	सामान्य मूल अनुदान सामान्य निष्पादन अनुदान	346.37	---	67.92	76.86	शून्य	शून्य	शून्य	144.78
3	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआर एफ) केंद्रीय शेयर राज्य शेयर	1,268.00	229.00	241.00	253.00	470.20	18.66	451.54	252.80
		141.00	25.00	27.00	28.00	52.00	शून्य	शून्य	28.00
कुल		6,178.37	753.26	1,078.44	1,214.56	889.92	386.38	451.54	2,156.34

* भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 तक ₹876.42 करोड़ जारी किया गया था और 2016-17 की दूसरी किस्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा 2017 के दौरान ₹13.50 करोड़ रुपये भी जारी किए गए थे।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.1)

नियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2016-17
के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन सं.	अतिरिक्त	लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा का स्तर
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18, 19,20,21,22,23	227.90	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई।
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,18,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24,26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	09	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14, 16,18,20,21,23,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26,27	4,189.21	
1998-99	06	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,28,29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,28	505.61	
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28,29	2,108.42	

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,29	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27	3,277.38	
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
2016-17	12	3,4,5,8,11,15,16,19,23,26,28,29	2,896.86	
कुल			1,07,664.29	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.2.1 और 2.3.1)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ अतिरिक्त व्यय किया गया है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	कुल अनुदान / विनियोजन	व्यय	अतिरिक्त (प्रतिशत)
I- राजस्व (दत्तमत)					
1	3	योजना और विकास विभाग	75.61	444.34	368.73 (488)
2	4	सूचना विभाग	2.13	2.32	0.19 (9)
3	16	लोक निर्माण विभाग	757.54	1,855.31	1,097.77 (145)
4	28	ग्रामीण विकास विभाग	452.54	508.24	55.70 (12)
5	29	परिवहन विभाग	54.35	71.25	16.90 (31)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			1,342.17	2,881.46	1,539.29
II- पूंजी (दत्तमत)					
6	05	लद्दाख कार्य विभाग	201.54	226.33	24.79 (12)
7	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	439.49	593.11	153.62 (35)
8	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	30.95	58.12	27.17 (88)
कुल (II- पूंजी दत्तमत)			671.98	877.56	205.58
III- प्रभारित पूंजी					
9	08	वित्त विभाग	17,837.95	22,490.14	4,652.19 (26)
कुल (III- प्रभारित पूंजी)			17,837.95	22,490.14	4,652.19
कुल योग (I+II+III)			19,852.10	26,249.16	6,397.06

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.2.1 एवं 2.3.2)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान में से ₹ एक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक बचत थी।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	प्रतिशत
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासनिक विभाग	327.52	46.53	14
2	02	गृह-विभाग	5,413.40	764.03	14
3	04	सूचना विभाग	65.20	19.22	29
4	05	लद्दाख कार्यों का विभाग	637.62	41.93	7
5	06	बिजली विकास विभाग	10,269.84	5,207.93	51
6	07	शिक्षा विभाग	6,585.57	445.68	7
7	08	वित्त विभाग	6,316.39	608.94	10
8	09	संसदीय कार्य विभाग	57.48	5.96	10
9	10	विधि विभाग	371.23	154.33	42
10	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	309.65	68.16	22
11	12	कृषि विभाग	1,108.83	166.54	15
12	13	पशुपालन विभाग	467.35	68.65	15
13	14	राजस्व विभाग	1,267.24	470.27	37
14	15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	168.20	1.39	1
15	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,715.73	148.61	5
16	18	समाज कल्याण विभाग	1,521.81	324.05	21
17	19	आवास और शहरी विकास विभाग	705.98	3.04	-
18	20	पर्यटन विभाग	171.54	6.96	4
19	21	वन विभाग	716.89	116.66	16
20	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	600.10	105.09	18
21	23	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,195.88	43.87	4
22	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	234.19	15.79	07
23	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	80.48	14.45	18
24	27	उच्च शिक्षा विभाग	932.26	134.46	14
कुल - I			42,240.38	8,982.54	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	प्रतिशत
(राजस्व प्रभारित)					
25	01	सामान्य प्रशासन विभाग	16.26	1.84	11
26	08	वित्त विभाग	5,156.78	493.91	10
27	09	संसदीय कार्य विभाग	1.66	1.22	73
28	10	विधि विभाग	37.10	4.07	11
कुल - II			5,211.80	501.04	
पूँजी (दत्तमत)					
29	01	सामान्य प्रशासन विभाग	576.92	549.12	95
30	02	गृह विभाग	929.45	510.86	55
31	03	योजना और विकास विभाग	2,370.58	1,872.39	79
32	06	बिजली विकास विभाग	6,251.49	5,591.27	89
33	07	शिक्षा विभाग	1,258.44	639.39	51
34	08	वित्त विभाग	3,348.50	3,025.14	90
35	10	विधि विभाग	87.60	81.30	93
36	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	249.38	29.23	12
37	12	कृषि विभाग	907.28	333.92	37
38	13	पशु भेड़पालन विभाग	65.86	41.69	63
39	14	राजस्व विभाग	1,117.26	858.92	77
40	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	372.28	62.14	17
41	16	लोक निर्माण विभाग	2,006.00	194.90	10
42	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	793.01	282.43	36
43	18	समाज कल्याण विभाग	460.78	333.44	72
44	19	आवास और शहरी विकास विभाग	974.07	519.54	53
45	20	पर्यटन विभाग	639.64	520.32	81
46	21	वन विभाग	121.49	73.64	61
47	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	1,348.94	987.92	73
48	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	120.14	100.74	84
49	26	मत्स्य विभाग	16.50	1.98	12
50	27	उच्च शिक्षा विभाग	425.92	173.39	41
51	28	ग्रामीण विकास विभाग	2,391.21	541.36	23
52	29	परिवहन विभाग	41.75	24.85	60
कुल -III			26,874.49	17,349.88	
कुल I+II+III			74,326.67	26,833.46	

स्रोत: विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.4)

अनावश्यक पूरक अनुदान/विनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या और नाम	वास्तविक प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान से की गई बचत
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	09- संसदीय कार्य विभाग	53.41	4.08	51.53	1.88
2	26- मत्स्य पालन विभाग	68.79	0.25	68.59	0.20
कुल		122.20	4.33	120.12	2.08
II - राजस्व (प्रभारित)					
3	01-सामान्य प्रशासन विभाग	16.16	0.10	14.41	1.75
4	09- संसदीय कार्य विभाग	1.55	0.11	0.43	1.12
5	10- विधि विभाग	36.90	0.20	33.04	3.86
कुल		54.61	0.41	47.88	6.73
कुल-I		176.81	4.74	168.00	8.81
II-पूंजी (दत्तमत)					
6	26- मत्स्य पालन विभाग	16.25	0.25	14.52	1.73
कुल -II		16.25	0.25	14.52	1.73
कुल योग (I+II)		193.06	4.99	182.52	10.54

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.4)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां ₹ एक करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान / विनियोजन का नाम	वास्तविक	पूरक	कुल	व्यय	अतिरिक्त
पूंजी (प्रभारित)							
1	8	वित्त विभाग	16,595.13	1,242.82	17,837.95	22,490.14	4,652.19
कुल			16,595.13	1,242.82	17,837.95	22,490.14	4,652.19

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.5)

₹ एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की वापसी न करने पर बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत	वापसी	बचत जिसकी वापसी की जानी है
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासनिक विभाग	46.53	शून्य	46.53
2	02	गृह विभाग	764.03	शून्य	764.03
3	04	सूचना विभाग	19.22	शून्य	19.22
4	05	लद्दाख मामलों का विभाग	41.93	शून्य	41.93
5	06	बिजली विकास विभाग	5,207.93	शून्य	5,207.93
6	07	शिक्षा विभाग	445.68	शून्य	445.68
7	08	वित्त विभाग	608.94	शून्य	608.94
8	09	संसदीय कार्य विभाग	5.96	शून्य	5.96
9	10	विधि विभाग	154.33	शून्य	154.33
10	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	68.16	शून्य	68.16
11	12	कृषि विभाग	166.54	शून्य	166.54
12	13	पशुपालन विभाग	68.65	शून्य	68.65
13	14	राजस्व विभाग	470.27	शून्य	470.27
14	15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	1.40	शून्य	1.40
15	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	148.61	शून्य	148.61
16	18	समाज कल्याण विभाग	324.05	शून्य	324.05
17	19	आवास और शहरी विकास विभाग	3.04	शून्य	3.04
18	20	पर्यटन विभाग	6.96	शून्य	6.96
19	21	वन विभाग	116.66	शून्य	116.66
20	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	105.09	शून्य	105.09
21	23	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	43.87	शून्य	43.87
22	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	15.79	शून्य	15.79

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत	वापसी	बचत जिसकी वापसी की जानी है
23	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	14.45	शून्य	14.45
24	27	उच्च शिक्षा विभाग	134.46	शून्य	134.46
कुल -I			8,982.55	शून्य	8,982.55
II- राजस्व (प्रभारित)					
25	01	सामान्य प्रशासन विभाग	1.84	शून्य	1.84
26	08	वित्त विभाग	493.91	शून्य	493.91
27	09	संसदीय कार्य विभाग	1.22	शून्य	1.22
28	10	विधि विभाग	4.06	शून्य	4.06
कुल -II			501.03	शून्य	501.03
III-पूंजी (दत्तमत)					
29	01	सामान्य प्रशासन विभाग	549.12	शून्य	549.12
30	02	गृह-विभाग	510.86	शून्य	510.86
31	03	योजना और विकास विभाग	1,872.39	शून्य	1,872.39
32	06	बिजली विकास विभाग	5,591.27	शून्य	5,591.27
33	07	शिक्षा विभाग	639.39	शून्य	639.39
34	08	वित्त विभाग	3,025.14	शून्य	3,025.14
35	10	विधि विभाग	81.30	शून्य	81.30
36	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	29.23	शून्य	29.23
37	12	कृषि विभाग	333.92	शून्य	333.92
38	13	पशु भेड़पालन विभाग	41.69	शून्य	41.69
39	14	राजस्व विभाग	858.92	शून्य	858.92
40	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	62.14	शून्य	62.14
41	16	लोक निर्माण विभाग	194.90	शून्य	194.90
42	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	282.43	शून्य	282.43
43	18	समाज कल्याण विभाग	333.44	शून्य	333.44
44	19	आवास और शहरी विकास विभाग	519.54	शून्य	519.54
45	20	पर्यटन विभाग	520.32	शून्य	520.32

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत	वापसी	बचत जिसकी वापसी की जानी है
46	21	वन विभाग	73.64	शून्य	73.64
47	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	987.92	शून्य	987.92
48	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	100.74	शून्य	100.74
49	26	मत्स्य विभाग	1.98	शून्य	1.98
50	27	उच्च शिक्षा विभाग	173.39	शून्य	173.39
51	28	ग्रामीण विकास विभाग	541.36	शून्य	541.36
52	29	परिवहन विभाग	24.85	शून्य	24.85
कुल -III			17,349.88	शून्य	17,349.88
कुल योग -I+II+III			26,833.46	शून्य	26,833.46

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.7)

₹ एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	अनुदान का नाम	राशि
1	01	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	34.48
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	2.97
		4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	30.00
		5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.00
		5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	53.05
2	02	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	115.00
3	03	3454	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3.11
		5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,622.68
4	06	2801	विद्युत	1.03
		4801	विद्युत प्रोजेक्ट्स पर कैपिटल आउटले	1,900.00
5	07	2202	सामान्य शिक्षा	18.00
		4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	407.19
6	08	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	1.75
		2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	250.25
		5465	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान में निवेश	2,251.00
		6235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ऋण	25.00
		6885	उद्योग और खनिजों के लिए अन्य श्रण	1,000.00
7	10	2014	न्याय का प्रशासन	4.39
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	36.80
8	11	4851	गांव और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	72.50
		4852	लोहा और इस्पात उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	2.57
		4853	गैर लौह-खनन और धातु कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	2.50

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

9	12	4401	फसल पैदावार पर पूंजी परिव्यय	495.95
		4705	कमांड एरिया डेवलपमेंट पर पूंजीगत परिव्यय	25.00
		4851	विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज पर पूंजीगत परिव्यय	9.04
10	13	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	43.56
11	14	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5.60
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	1.50
		4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5.00
12	15	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	59.25
13	16	2216	आवास	5.00
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	131.87
		5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	1,105.00
14	17	4210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	21.37
15	18	2055	पुलिस	2.26
		2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2.67
		4225	एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.45
		4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	114.82
16	19	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	272.90
17	20	4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2.75
		5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	56.50
18	21	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	4.55
		4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	82.65
19	22	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8.90
		4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	225.00
		4711	बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय	928.00
20	23	2215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	1.30
21	24	2216	आवास	25.46

परिशिष्ट

22	26	4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.38
23	27	4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	128.88
		4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.27
24	28	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	386.86
कुल				12,021.01

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 और 2.8.2)

अनुदान संख्या 06 के अंतर्गत व्यय किए गए अधिक व्यय को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	अतिरिक्त
1	2801/05/001/0099/0933	1,137.86	1,267.70	129.84
2	2801/05/001/0099/1687	2,654.72	2,758.97	104.25
3	2801/05/001/0099/2455	519.86	861.13	341.27
4	2801/05/603/0099/1685	773.43	1,170.77	397.34
5	2801/06/001/0099/0911	61,253.31	61,477.25	223.94
6	2801/06/001/0099/0978	61,639.25	67,525.75	5,886.50
7	2801/06/001/0099/1676	1,501.01	7,202.39	5,701.38
8	2801/06/611/0099/0911	11,086.40	12,771.08	1,684.68
9	2801/06/619/0099/0978	1,947.50	2,178.39	230.89
10	2801/80/001/0099/1686	237.76	265.58	27.82
11	2801/80/005/0099/2170	396.40	493.55	97.15
12	2801/05/800/0099/0250	225.00	543.40	318.40
कुल		1,43,372.50	1,58,515.96	15,143.46

स्रोत: विनियोजन लेखा

अनुदान संख्या 08 के अंतर्गत व्यय किए गए अधिक व्यय को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	अतिरिक्त
1	2030/01/001/0099/0344	1,786.50	1,961.97	175.47
2	2047/00/103/0099/0293	64.44	110.96	46.52
3	2049/01/101/0099/0191	1,89,159.00	1,95,176.59	6,017.59
4	2054/00/095/0099/0316	747.70	764.18	16.48
5	2054/00/095/0099/2430	285.01	312.29	27.28
6	2054/00/800/0099/0310	327.70	350.69	22.99
7	2054/00/800/0099/0312	386.68	581.21	194.53
8	2071/01/115/0099/2190	31,146.09	39,606.24	8,460.15
9	2071/0/117/0099/2327	30,862.94	31,107.67	244.73
10	2075/00/103/0099/0317	16.30	34.98	18.68

परिशिष्ट

11	2235/60/102/0099/0313	24.00	93.73	69.73
12	62203/22/101/0099/0161	2,22,610.00	2,22,610.10	0.10
13	6003/00/103/0099/0167	16,025.00	16,151.15	126.15
14	6003/00/104/0099/0300	20.00	41.08	21.08
15	6003/00/105/0099/0186	38,654.00	39,118.76	464.76
16	6003/00/106/0099/2140	4,143.00	4,143.21	0.21
17	6003/00/110/0099/2420	14,55,727.80	16,22,783.00	1,67,055.20
कुल		19,91,986.16	21,74,947.81	1,82,961.65

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 और 2.8.2)

अनुदान संख्या 06 में वापस न की गई काफी बड़ी बचत के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	अतिरिक्त
1	2801/01/101/0099/0933	8,20,000.00	3,03,559.18	5,16,440.82
2	2801/05/001/0099/1685	2,305.49	1,929.26	376.23
3	2801/05/602/0099/1685	900.71	818.79	81.92
4	2801/05/604/0099/1687	914.75	855.25	59.50
5	2801/05/605/0099/1687	855.49	776.01	79.48
6	2801/05/606/0099/1687	1,177.71	742.63	435.08
7	2801/05/607/0099/1685	1,370.19	1,002.16	368.03
8	2801/05/609/0099/0933	273.45	199.34	74.11
9	2801/05/610/0099/0933	356.75	120.75	236.00
10	2801/06/052/0099/0911	46.00	1.87	44.13
11	2801/06/612/0099/0911	3,438.29	3,101.35	336.94
12	2801/06/613/0099/0911	1,268.84	1,135.67	133.17
13	2801/06/614/0099/0911	2,788.74	2,631.47	157.27
14	2801/06/615/0099/0911	4,273.90	3,542.14	731.76
15	2801/06/616/0099/0911	1,077.55	778.85	298.70
16	2801/06/617/0099/0911	1,271.71	1,124.55	147.16
17	2801/06/618/0099/0978	12,800.21	7,573.01	5,227.20
18	2801/06/620/0099/0978	1,852.92	873.17	979.75
19	2801/06/621/0099/0978	2,574.96	1,143.94	1,431.02
20	2801/06/622/0099/0978	1,786.61	608.37	1,178.24
21	2801/06/623/0099/0978	2,573.25	1,530.68	1,042.57
22	2801/06/624/0099/0978	1,979.57	1,226.55	753.02
23	2801/06/625/0099/0978	1,674.37	1,281.32	393.05
24	2801/06/626/0099/0978	1,380.80	864.53	516.27
25	2801/06/627/0099/0978	4,818.92	3,449.86	1,369.06
26	2801/06/628/0099/0978	3,401.88	2,288.05	1,113.83
27	2801/06/629/0099/0978	2,578.29	1,727.41	850.88
28	2801/06/630/0099/0911	1,458.46	1,326.22	132.24
29	2801/06/633/0099/0911	1,131.82	942.60	189.22
30	2801/80/001/0099/1673	469.26	417.65	51.61
31	2801/80/004/0099/2169	653.91	542.12	111.79
32	2801/80/800/0099/2111	272.80	103.71	169.09
33	2801/01/800/0011/2021	126,042.00	13,349.46	112,692.54
34	2801/05/800/0011/0306	2,500.00	800.85	1,699.15
35	2801/05/800/0011/0478	174,382.31	51,048.75	123,333.56
कुल		11,86,651.91	4,13,417.52	7,73,234.39

अनुदान संख्या 08 में वापस न की गई काफी बड़ी बचत के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
1	2039/00/001/0099/0334	3,793.06	2,743.07	1,049.99
2	2040/00/001/0099/0334	9,233.05	5,683.66	3,549.39
3	2040/00/800/0099/1429	108.97	72.91	36.06
4	2045/00/104/0099/0968	361.05	183.97	177.08
5	2045/00/104/0099/0983	80.75	39.51	41.24
6	2049/03/104/0099/2187	1,83,224.00	1,41,506.21	41,717.79
7	2049/03/104/0099/0189	5,300.00	4,975.15	324.85
8	2049/05/104/0099/0185	11,000.00	2,793.20	8,206.80
9	2054/00/003/0099/0328	161.86	120.85	41.01
10	2054/00/003/0099/0329	376.88	315.32	61.56
11	2054/00/095/0099/0312	923.85	837.04	86.81
12	2054/00/095/0099/0326	251.21	208.85	42.36
13	2054/00/097/0099/0324	1,973.62	1,557.75	415.87
14	2054/00/097/0099/0335	1,630.80	1,389.66	241.14
15	2054/00/097/0099/2431	1,264.08	1,047.07	217.01
16	2054/00/097/0099/2432	1,432.00	1,153.54	278.46
17	2054/00/098/0099/0314	447.26	437.28	9.98
18	2054/00/800/0099/1190	4,210.25	3,395.50	814.75
19	2071/01/101/0099/2190	4,37,990.97	3,34,838.45	1,03,152.52
20	2235/02/001/0099/0244	922.92	746.53	176.39
21	2235/60/107/0099/0965	300.72	6.83	293.89
22	4059/80/800/0011/2341	5,750.30	2,635.72	3,114.58
23	6003/00/109/0099/0302	2,942.00	2,688.54	253.46
24	6004/02/101/0099/0848	11,616.00	2,692.17	8,923.83
	कुल	6,85,295.60	5,12,068.78	1,73,226.82

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 और 2.8.2)

अनुदान संख्या 06 में बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	4801/05/800/0011/1382	शून्य	67.77
2	4801/05/800/0011/1719	शून्य	211.95
	कुल		279.72

स्रोत: विनियोजन लेखा

अनुदान संख्या 08 में बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय के मामलों दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2030/01/101/0099/1657	शून्य	1.87
2	2030/01/101/0099/1659	शून्य	1.65
3	2030/02/101/0099/0333	शून्य	2.79
4	2030/02/101/0099/1658	शून्य	529.97
5	2030/02/101/0099/1660	शून्य	3.67
6	2030/02/101/0099/1663	शून्य	8.81
7	2039/-/001/0099/0307	शून्य	36.58
8	2049/01/101/0099/3005	शून्य	79.17
9	2049/01/115/0099/9899	शून्य	1,838.03
10	2049/01/115/0099/9901	शून्य	399.18
11	2049/01/123/0099/0159	शून्य	40,668.35
12	2049/01/200/0099/0186	शून्य	11,530.54
13	2049/01/200/0099/0302	शून्य	1,898.57
14	2049/01/200/0099/2120	शून्य	295.96
15	2049/01/200/0099/2121	शून्य	13,095.74
16	2049/01/200/0099/2694	शून्य	28,412.21
17	2049/01/200/0099/3002	शून्य	23.76

18	2049/01/200/0099/3003	शून्य	8.20
19	2049/01/200/0099/3007	शून्य	1,556.34
20	2049/01/305/0099/3004	शून्य	551.30
21	2049/04/101/0099/1871	शून्य	2,796.19
22	2049/04/109/0099/1920	शून्य	6,009.70
23	2049/60/701/0099/0185	शून्य	12,672.71
24	2071/01/102/0099/2190	शून्य	35,847.58
25	2071/01/104/0099/2190	शून्य	77,534.65
26	2071/01/105/0099/2190	शून्य	21,003.39
27	2071/01/111/0099/2190	शून्य	699.24
28	2071/01/115/0099/0418	शून्य	194.47
29	4059/01/001/0099/0334	शून्य	1.00
30	5465/01/190/0011/0964	शून्य	28,200.00
31	6003/-/110/0099/9901	शून्य	2,97,810.45
32	6003/-/111/0099/0159	शून्य	32,056.70
33	6003/-/109/0099/0303	शून्य	16.00
34	6004/02/105/0099/1920	शून्य	8,903.27
कुल			6,24,688.04

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 और 2.8.2)

अप्रयुक्त अनुदान को दर्शाता विवरण

अनुदान संख्या 06

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2801/05/052/0099/0933	3.00	शून्य
2	2801/05/052/0099/1685	28.00	शून्य
3	2801/05/052/0099/1687	10.00	शून्य
4	2801/06/052/0099/0978	56.50	शून्य
5	2801/80/052/0099/2169	8.00	शून्य
6	2801/80/052/0099/2170	3.50	शून्य
7	4801/05/601/0011/1873	10,000.00	शून्य
8	4801/05/601/0031/1873	1,00,000.00	शून्य
9	4801/05/800/0011/2463	1,000.00	शून्य
10	4801/05/800/0011/2464	1,000.00	शून्य
11	4801/05/800/0031/2463	10,000.00	शून्य
12	4801/05/800/0031/2464	10,000.00	शून्य
13	4801/80/190/0099/1370	1,90,000.00	शून्य
कुल		3,22,109.00	शून्य

अप्रयुक्त अनुदान को दर्शाता विवरण

अनुदान संख्या 08

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य /लघु /उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2047/-/103/0099/2437	174.69	शून्य
2	2049/01/101/0099/0163	4,46,61.00	शून्य
3	2049/01/101/0099/0184	2,000.00	शून्य

4	2049/04/101/0099/0723	8,776.00	शून्य
5	2049/04/104/0099/0171	42,512.00	शून्य
6	2049/60/701/0099/2120	634.00	शून्य
7	2049/60/701/0099/2140	28,412.20	शून्य
8	2050/-/800/0099/0418	70,150.00	शून्य
9	2235/02/105/0099/0323	25,025.00	शून्य
10	5465/01/190/0011/0318	2,25,100.00	शून्य
11	6003/-/109/0099/0159	32,057.00	शून्य
12	6235/02/190/0099/0668	2,500.00	शून्य
13	6885/01/190/0099/1211	1,00,000.00	शून्य
कुल		5,82,001.89	शून्य

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.2)

मार्च 2018 को समाप्त प्रमुख शीर्ष-वार बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित
आकस्मिक (डीसी) बिल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
1	2012	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ राज्यपाल/यूटी का प्रशासक	0.11	0.00	0.11
2	2013	मंत्रिपरिषद्	0.22	0.00	0.22
3	2014	न्याय प्रशासन	0.00	0.01	0.01
4	2015	चुनाव	4.92	2.87	7.79
5	2030	टिकटें और पंजीकरण	0.00	1.90	1.90
6	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0.01	4.51	4.52
7	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.15	0.00	0.15
8	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	0.08	0.00	0.08
9	2053	जिला प्रशासन	0.25	0.06	0.31
10	2055	पुलिस	6.23	120.40	126.63
11	2056	जेलें	0.42	0.00	0.42
12	2059	लोक निर्माण कार्य	0.04	0.26	0.30
13	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.86	1.50	2.36
14	2202	सामान्य शिक्षा	582.90	0.44	583.34
15	2203	तकनीकी शिक्षा	0.25	0.02	0.27
16	2204	खेल और युवा सेवाएं	2.47	0.00	2.47
17	2205	कला और संस्कृति	2.63	0.00	2.63
18	2210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5.15	3.98	9.13
19	2211	परिवार कल्याण	0.00	0.02	0.02
20	2217	शहरी विकास	0.05	0.00	0.05
21	2225	एससी, एसटी और ओबी का कल्याण	0.25	0.00	0.25
22	2230	श्रम और रोजगार	0.60	0.12	0.72

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
23	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.71	22.54	26.25
24	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2.27	209.28	211.55
25	2401	फसल पैदावार	0.66	0.00	0.66
26	2403	पशुपालन	0.03	0.32	0.35
27	2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0.02	0.00	0.02
28	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1.75	21.43	23.18
29	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.07	0.00	19.07
30	2801	विद्युत	0.00	0.20	0.20
31	2851	ग्राम और लघु उद्योग	5.58	0.00	5.58
32	3451	सचिवालय - अर्थशास्त्र सेवाएँ	0.25	0.04	0.29
33	3452	पर्यटन	0.80	1.92	2.72
34	3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	0.25	0.08	0.33
35	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	1.12	1.12
36	4055	पुलिस पर पूंजी परिव्यय	21.01	0.00	21.01
37	4058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग पर पूंजीगत परिव्यय	0.21	0.00	0.21
38	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8.10	6.30	14.40
39	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.00	0.25
40	4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.48	0.00	8.48
41	4202	शिक्षा, खेल कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	442.07	21.81	463.88

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
42	4210	मेडिकल और पब्लिक पर केपिटल आऊटले	0.86	151.09	151.95
43	4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.75	3.75
44	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	13.33	28.33
45	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	4.56	4.56
46	4225	एस.सी, एस.टी. ओ.बी.सी कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	0.00	0.50
47	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	10.47	17.16	27.63
48	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	88.24	0.00	88.24
49	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	31.03	0.34	31.37
50	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.00	0.07
51	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	0.91	1.66
52	4408	खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	48.08	32.00	80.08
53	4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	8.25	91.41	99.66
54	4425	सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	10.80	0.00	10.80
55	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	252.66	0.00	252.66

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
56	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.50	0.00	4.50
57	4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	27.43	1.07	28.50
58	4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	48.86	0.00	48.86
59	4853	गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.00	0.05
60	5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	50.40	0.00	50.40
61	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	8.07	0.00	8.07
62	5425	अन्य वैज्ञानिक पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.67	0.00	0.67
63	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	54.22	6.76	60.98
64	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	14.44	4.87	19.31
कुल			1,797.45	748.38	2,545.83

स्रोत: वीएलसी डेटा

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.4)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित वार्षिक लेखों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	अवधि जिसके लिए लेखों की प्रतीक्षा की गई	प्रतीक्षित लेखों की संख्या
1	श्रीनगर नगर पालिका	1988-89 से 2016-17	30
2	कश्मीर विश्वविद्यालय	2001-02 से 2017-18	17
3	कश्मीर शहरी विकास एजेंसी, श्रीनगर	1999-2000 से 2017-18	19
4	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, श्रीनगर	2002-03 से 2017-18	16
5	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अनंतनाग	2007-08 से 2017-18	11
6	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुलवामा	2002-03 से 2017-18	16
7	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, लेह	2008-09 से 2017-18	10
8	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कारगिल	2008-09 से 2017-18	10
9	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, श्रीनगर (एसकेआईसीसी)	1999-2000 से 2014-15, तथा 2017-18	17
10	श्रीनगर विकास प्राधिकरण, बेमिना	1999-2000 से 2017-18	19
11	जम्मू और कश्मीर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, श्रीनगर	2003-04 से 2017-18	15
12	इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, श्रीनगर	2001-02 से 2017-18	17
13	झीलों और जलमार्गों का विकास, प्राधिकरण, श्रीनगर	2005-06 से 2017-18	13
14	जम्मू विश्वविद्यालय	2008-09 से 2017-18	16
15	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जम्मू	2008-09 से 2017-18	10
16	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कठुआ	2008-09 से 2017-18	10
17	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुंछ	2008-09 से 2017-18	10
18	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डोडा	2003-04 से 2017-18	15

19	कला संस्कृति और भाषा अकादमी	2003-04 से 2017-18	15
20	जम्मू विकास प्राधिकरण	1972-73 से 2017-18	46
21	जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	1995-96 से 2017-18	23
22	जम्मू और कश्मीर खेल परिषद, श्रीनगर	2003-04 से 2017-18	15
23	जम्मू और कश्मीर उर्जा विकास एजेंसी (जेएकेईडीए), श्रीनगर	2003-04 से 2017-18	15
24	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बडगाम	2007-08 से 2017-18	11
25	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बारामूला	2007-08 से 2017-18	11
26	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुपवाड़ा	2006-07 से 2017-18	12
27	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, गांदरबल	2008-09 से 2017-18	10
28	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुलगाम	2008-09 से 2017-18	10
29	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शोपियां	2008-09 से 2017-18	10
30	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बांदीपोरा	2008-09 से 2017-18	10
31	जम्मू नगरपालिका	2002-03 से 2016-17	16
32	जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान, (जेकेईडीआई) पंपोर	1996-97 से 2002-03, 2016-17 तथा 2017-18	09
33	पर्यटन विकास प्राधिकरण, डूडपथरी	2005-06 से 2017-18	13
34	पर्यटन विकास प्राधिकरण, कोकेरनाग	2004-05 से 2017-18	14
35	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मानसबल	2005-06 से 2017-18	13
36	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पहलगाम	2002-03 से 2017-18	16
37	पर्यटन विकास प्राधिकरण, सोनमर्ग	2003-04 से 2017-18	15
38	पर्यटन विकास प्राधिकरण, यूसमर्ग	2005-06 से 2017-18	13
39	पर्यटन विकास प्राधिकरण, वेरीनाग	2006-07 से 2017-18	12
40	वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर	2012-13 से 2017-18	06
41	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रामबन	2007-08 से 2017-18	11

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

42	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मंसार, सुरिनसर	2006-07 से 2017-18	12
43	पर्यटन विकास प्राधिकरण, राजौरी	2005-06 से 2017-18	13
44	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पुंछ	2005-06 से 2017-18	13
45	पर्यटन विकास प्राधिकरण, लखनपुर	2005-06 से 2017-18	13
46	पर्यटन विकास प्राधिकरण, किश्तवाड़	2005-06 से 2017-18	13
47	जम्मू शहरी विकास एजेंसी (जेयूडीए)	1999-2000 से 2017-18	19
48	जम्मू और कश्मीर राज्य आवास बोर्ड	2002-03 से 2017-18	16
49	रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स	2016-17 से 2017-18	2
50	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, उधमपुर	2000-01 से 2017-18	18
51	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रियासी	2008-09 से 2017-18	10
52	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, राजौरी	2001-02 से 2017-18	17
53	पर्यटन विकास प्राधिकरण, गुलमर्ग	2000-01 से 2017-18	18
54	पर्यटन विकास प्राधिकरण, अहरबल	2006-07 से 2017-18	12
55	पर्यटन विकास प्राधिकरण, भद्रवाह	2006-07 से 2017-18	12
56	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पटनीटॉप	2002-03 से 2017-18	16
कुल			801

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.5)

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों और सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
1.	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	2016-17	00	52.14	1,276.04	1,328.18	प्रस्तुत नहीं किए गए
2.	जम्मू और कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं	2016-17	00	20.00	0.00	20.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
3.	जम्मू और कश्मीर एससी/एसटी/ओबीसी विकास कॉर्पोरेशन लि.	2001-02	15	10.63	10.76	21.39	प्रस्तुत नहीं किए गए
4.	जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2015-16	01	10.00	78.61	88.61	प्रस्तुत नहीं किए गए
5.	जम्मू और कश्मीर कृषि उद्योग विकास कॉर्पोरेशन लि.	2003-04	13	1.95	11.48	13.43	प्रस्तुत नहीं किए गए
6.	जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन और विपणन निगम लिमिटेड	2000-01	16	9.20	43.21	52.41	प्रस्तुत नहीं किए गए
7.	जम्मू और कश्मीर लघु स्तर उद्योग विकास कॉर्पोरेशन लिमि.	2004-05	12	3.11	8.65	11.76	प्रस्तुत नहीं किए गए
8.	जम्मू कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड.	2011-12	05	17.64	22.72	40.36	प्रस्तुत नहीं किए गए
9.	जम्मू और कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2010-11	06	1.97	0.61	2.58	प्रस्तुत नहीं किए गए
10.	जम्मू और कश्मीर पुलिस हाउसिंग	2008-09	08	2.00	0.00	2.00	प्रस्तुत नहीं

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
	कॉर्पोरेशन लि।						किए गए
11.	जम्मू और कश्मीर इंडस्ट्रीज विकास कॉर्पोरेशन लि।	2006-07	10	16.26	424.42	440.68	प्रस्तुत नहीं किए गए
12.	जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प (एस एंड ई) निगम लिमिटेड	1999-00	17	5.71	26.54	32.25	प्रस्तुत नहीं किए गए
13.	जम्मू और कश्मीर हथकरघा विकास कॉर्पोरेशन लिमि.	2002-03	14	3.09	43.08	46.17	प्रस्तुत नहीं किए गए
14.	जम्मू और कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2007-08	09	34.50	48.94	83.44	प्रस्तुत नहीं किए गए
15.	जम्मू और कश्मीर खनिज लिमिटेड	1996-97	20	8.00	68.17	76.17	प्रस्तुत नहीं किए गए
16.	जेएंडके, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि।	2011-12	05	5.00	1,493.55	1,498.55	प्रस्तुत नहीं किए गए
17.	जम्मू और कश्मीर चिनाब घाटी विद्युत परियोजना लि.	2016-17	00	924.08	0.00	924.08	प्रस्तुत नहीं किए गए
18.	जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड.	2012-13	04	15.96	4.26	20.22	प्रस्तुत नहीं किए गए
19.	जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	06	23.57	0.00	23.57	प्रस्तुत नहीं किए गए
20.	जम्मू कश्मीर, प्रवासी रोजगार निगम लिमिटेड.	2010-11	06	2.56	0.00	2.56	प्रस्तुत नहीं किए गए
21.	जम्मू-कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लि.	2016-17	00	98.19	28.10	126.29	प्रस्तुत नहीं किए गए
22.	जम्मू कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14	03	178.37	514.94	693.31	प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खारों की अवधि	अंतिम खारों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
23.	जम्मू कश्मीर राज्य वन निगम	1996-97	21	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	प्रस्तुत नहीं किए गए
24.	जम्मू-कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड.	मार्च 2014 से शामिल	03	0.05	उपलब्ध नहीं	0.05	प्रस्तुत नहीं किए गए
कुल			194	1,443.98	4,104.08	5,548.06	

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम. सं.	अवधि	विवरण
1	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्थान शामिल हो सकते हैं जो राज्य में उदाहरणतः एसएसए के लिए राज्य कार्यान्वयन समिति और एनआरएचएम के लिए राज्य स्वास्थ्य अभियान आदि में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं।
2	जीएसडीपी	जीएसडीपी को आय या श्रम का प्रयोग करते हुए उत्पादित माल और सेवा के बाजार मूल्य और मौजूदा कीमतों पर उत्पादन/राज्य की कुल आय के सभी अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।
3	वृद्धि अनुपात	वृद्धि अनुपात मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती की अनुक्रियता के लचीलापन या स्थिति को दर्शाता है। उदाहरणतः 0.6 पर राजस्व वृद्धि से तात्पर्य है कि यदि जीएसडीपी एक प्रतिशत बढ़ती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशतता बिंदुओं तक बढ़ सकती हैं।
4	आंतरिक ऋण	इसमें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) को जारी किये गये बाजार ऋण और विशेष प्रतिभूतियां शामिल होती हैं।
5	कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सब नागरिक इस रूप में प्रयोग करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामान की इस प्रकार खपत करता है जिससे अन्य व्यक्तियों की खपत

		<p>के लिए इस सामान की कमी न रहे, उदाहरणतः कानून और नियम लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और बचाव, प्रदूषण रहित हवा और अन्य पर्यावरणीय सुविधाएं और सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे पण्य पदार्थ होते हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त या सब्सिडी दरों पर प्रदान करते हैं क्योंकि समाज को उनकी जरूरत आवश्यकता आधार पर होनी चाहिए न कि सरकार की अदा करने की क्षमता और ईच्छा पर और इसलिए उनकी खपत बढ़ने की ईच्छा रखी जाती है। ऐसे पण्य पदार्थ के उदाहरणों में पोषण बढ़ाने के लिए गरीब हेतु मुफ्त या सब्सिडी वाले योजना का प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति और मृत्यू को कम करना, सभी को आधारभूत शिक्षा पेय जल और स्वच्छता आदि उपलब्ध कराना शामिल होते हैं।</p>
6	विकास व्यय	<p>व्यय डेटा का विश्लेषण विकास और गैर-विकास व्यय में समुचित नहीं है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम से संबंधित व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणी बद्ध हैं। वृहद रूप से, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय शामिल होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर-विकास व्यय के रूप में माना जाता है।</p>
7	ऋण निरंतरता	<p>ऋण निरंतरता को किसी समयावधि में मौजूदा ऋण-जीडीपी अनुपात बनाये रखने के लिए राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और अपने ऋण के प्रयोग की योग्यता के प्रसंग को भी समाविष्ट करता है। इस प्रकार, ऋण की</p>

		निरंतरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए मौद्रिक परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधार से रिटर्न सहित अतिरिक्त उधार की लागतों के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी दर्शाती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के समान होनी चाहिए।
8	गैर-ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	राज्य की वृद्धिपूर्ण गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता में वृद्धिपूर्ण ब्याज देयताओं और वृद्धिपूर्ण प्राथमिक व्यय को कवर किया जाता है। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार और वृद्धिशील व्यय पूरा किया जाये तो ऋण निरंतरता को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता था।
9	उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण शोधन (मूल+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है और उस सीमा को दर्शाता है जो उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण शोधन में ऋण प्राप्तियों को प्रयुक्त किया गया है।
10	गैर ऋण प्राप्तियां	राज्य की वृद्धिपूर्ण गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता में वृद्धिपूर्ण ब्याज देयताओं और वृद्धिपूर्ण प्राथमिक व्यय को कवर किया जाता है। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार और वृद्धिशील व्यय पूरा किया जाये तो ऋण निरंतरता को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता था।
11	निवल ऋण उपलब्ध	सार्वजनिक ऋण पुनः भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान में सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in

www.agjk.nic.in